



# अन्नपूर्णा भूमि

लेखक

आचार्य जी० एस० पथिक

आमुख-लेखक

डा० पंजावराव देशमुख

भारत सरकार के कृषि मंत्री

१९६६

प्रकाशक

राजस्थानी साहित्य परिषद्

४, जगमोहन महिला लेन,

कलकत्ता

मूल्य ३)

प्रकाशक :....

## राजस्थानी साहित्य परिषद्

४, जगमोहन मल्लिक लेन,

कलकत्ता

लेखक की अन्य रचनायें :—

१. अंग्रेज जब आए
२. भारत में राष्ट्रीय शिक्षा
३. स्वराज्य की मांग
४. हमारी स्वतंत्रता और समाजसुधार
५. वारदोली का सत्याग्रह
६. सुभाषचन्द्र बोस का नेतृत्व
७. सुलगता काश्मीर
८. अंग्रेज जादूगर
९. लोकतंत्र शासन-व्यवस्था
१०. कांग्रेस के प्रवास दर्श
११०. आज का भारत
१२. अगले पाँच साल

मुद्रक :—

सुराना प्रिण्टिङ्झ वर्क्स,  
४०२, अपर चितपुर रोड,

कलकत्ता

हे धरती, तू वड़ी कृपण है, कठिन श्रम और एड़ी-चोटीका पसीना एक कर देनेके बाद तू हमें अन्न प्रदान करती है। विना श्रमके तू हमें अन्न दे दिया करे, तो तेरा क्या घट जाएगा ?

धरती मुस्कराई—‘मेरा तो इससे गौरव ही बढ़ेगा, किन्तु तेरा गौरव सर्वथा लुप्त हो जाएगा ।’

‘तू चल उठ, यहां क्या गोमुखीमें हाथ डाले जप रहा है, यदि भगवानके दर्शन करने हैं, तो वहां चल, जहाँ किसान जेठकी दुपहरी में हल चला रहे हैं और चोटीका पसीना एड़ी तक वहा रहे हैं ।’

—महाकवि रवीन्द्रनाथ

सब भूमि भगवान की है। मनुष्यके लिए ईश्वरकी यह सब से बड़ी देन है। भगवानने कहा कि जितनी जमीन पर आदमी अपने हाथसे कठोर परिश्रम कर जोते और बोए, उतनी जमीन उसकी है। पर उससे अधिक जमीन पर किसीका कोई अधिकार नहीं है। जो लोग अधिक जमीन रखते हैं, वे असीरी और गरीबी दोनों पैदा करते हैं, ये दोनों ही पाप हैं। हमें इस पापको मिटा देना है। जिनके पास अधिक सम्पत्ति है, उन लोगोंकी परीक्षा है। ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा, जो अधिक सम्पत्ति रखते हैं।

—संत विनोदा

हम ग्रामोंमें क्रान्ति ला रहे हैं। बड़ी-बड़ी बांध-योजनाएं, सिंचाई, विद्युत प्रसार और सामूहिक योजनाएँ ग्रामोंमें नए भारतका निर्माण कर रही हैं, विज्ञान और टेक्नालॉजीका संदेश ग्रामोंमें दूर-दूर तक फैल रहा है। हम ग्रामोंमें न केवल नई अर्थ-व्यवस्थाका निर्माण कर रहे हैं, बल्कि उनके सामाजिक जीवनमें नई भावनाएं और नए विचार ला रहे हैं।

—सरदार के० एम० पानीकर

## आमुख

स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात् हमारा ध्यान ग्रामोंके पुनरुत्थान की ओर जाना स्वाभाविक था। वास्तवमें हमारा भारत ग्रामों में ही वसता है। जब तक ग्रामोंकी सर्वतोमुखी उन्नति नहीं होगी, तब तक देशकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके फलोंका आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता। पर यह तभी हो सकता है जब कि हम ग्रामोंकी जनताको उसके अभ्युदयके लिए समुचित जागरूक बनाएँ, कृषि एवं उद्योगमें समान स्थिति लानेके लिए सक्रिय कदम उठाएँ, किसानोंके जीवन स्तरको उच्च बनानेका कार्य करें और ग्रामोंमें पंचायतें आदि स्थापित करके उनके माध्यमसे क्षेत्रोंकी सर्वाङ्गीण उन्नति करें।

भारत सरकार जहाँ एक ओर कृषि अनुसंधान परिपदके शोध कार्यों तथा अन्य सामूहिक ढंगसे किए गए प्रयत्नों द्वारा भारतीय कृषि क्षेत्रमें शनैः शनैः एक युगान्तर उपस्थित कर रही है, वहाँ दूसरी ओर मेरा यह विचार है कि अन्य व्यक्ति और गैर-नरकारी संस्थाएँ भी निजी स्वप्से इस कार्यको अधिक कुशलता व सुचारुतापूर्वक सम्पन्न कर सकती हैं। प्रस्तुत रचना ‘अन्नपूर्णा-भूमि’ श्री जी० पृ० पर्याप्त द्वारा लिखी गई है। इस दिशामें यह एक दीप-स्तम्भ रहे। यह खेदकी वात है कि अब तक इस प्रकारकी रचनाओं का देशमें प्रायः अभाव-सा है। मेरी अनुसन्धिमें ऐसी रचनाओंकी हमें अत्यधिक आवश्यकता है और इसे उन्हें भरसक प्रोत्साहन देना चाहिए।

अन्नपूर्णा भूमिमें विद्वान् लेखक द्वारा कृपिके महत्व, किसानों के दायित्व, ग्रामोत्थानके साधन और पंचायतों द्वारा ग्रामोंको स्वावलम्बी बनानेके विविध उपायों पर समुचित प्रकाश डाला गया है। यह रचना इस विषयकी प्रथम पुस्तक है और ऐसी चार रचनाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इन रचनाओंमें क्रमशः भूमि, खाद, सिंचाई, पशुधन, ग्रामोत्थान और पंचायत राज्यके महत्व आदिके विषयोंका सांगोपांग वर्णन है। इन रचनाओंको विभिन्न प्रादेशिक भाषाओंमें अनूदित करनेका भी लेखकका विचार है।

श्री पथिकजी देशके पुराने और तेजस्वी राजनीतिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्रके विद्वान् हैं। ग्रामोत्थान-कार्यमें उनकी अभिरुचि आरम्भ से ही रही है। श्री पथिकजीके गम्भीर अध्यवसाय का परिचय उनकी कृति दे रही है। मैं उन्हें इस प्रथम पुस्तकके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, जो हमारे देशके उन किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी जो ग्रामोंमें रहते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि-कार्य है। इसके अतिरिक्त मेरी यह भी धारणा है कि यह पुस्तक उन सामुदायिक-विकास-कार्य करने वाले असंख्य ग्राम-सेवकों के लिए भी पथ-प्रदर्शनका कार्य करेगी, जो आज भारत सरकारकी विभिन्न योजनाओंको कार्यान्वित करनेके लिए सर्वत्र ग्रामोंमें कार्य कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकोंका जो अभाव हमारे साहित्यमें खटकता है, वह इस रचनासे दूर हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं आशा करता हूँ कि 'अन्नपूर्णा भूमि' को उचित सम्मान ग्राप्त होगा।

# विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
१—हमारी खेती	...	१
२—खेतीका महत्व	...	६
३—खेतीका बढ़ता हुआ क्षेत्र	...	१६
४—राष्ट्रीय आयमें कृषिका स्थान	...	२२
५—किसान उठं	...	३१
६—ग्राम स्वर्ग कैसे बनें ?	...	४२
७—प्राम गणतंत्रके निर्माणमें	...	५०
८—भारतीय किसानोंकी क्षमता	...	५६
९—किसान स्वयं अपने पैरोंपर खड़े होंगे	....	६५
१०—आदर्श प्रामकी रचना	...	७०
११—प्राम विकासके पथमें	....	७६
१२—प्राम-पंचायत	...	८४
१३—भूमिका राष्ट्रीयकरण	...	११४
१४—खेती सम्बन्धी कानून	...	११८
१५—जमीदारी-उन्मूलन	...	१२६
१६—भूमि-विभाजनका आधार	...	१३६
१७—सदकारी खेती	...	१५२
१८—भूमिकी उर्वरा-शक्ति	...	१७१
१९—भूदान-यज्ञ	...	१७५
२०—छोटे खेतोंमें समिलित खेती	...	१८५
२१—छोटी जमीनमें खेतीकी सफल पैदावार	...	१९३



## दो शब्द

भारत के स्वतन्त्र होने पर ५ लाख ग्रामों में नवजागरण उत्पन्न हुआ और वे एक नए मोड़ पर खड़े हुए। विगत दो सौ वर्षों में ग्रामों का जो लगातार हास हुआ और उनकी जो क्षति-विक्षत अवस्था हुयी, उसने देश के नवनिर्माण से ग्राम-समस्याओं को सर्वोपरि स्थान दिया। वे ग्राम ही थे, जिन्होंने स्वतन्त्रता-युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतएव यदि इन ग्रामों की ओर ध्यान न दिया जाए तो, देश का अभ्युदय कभी संभव नहीं है। वे ग्राम ही तो भारत की रीढ़ हैं।

इधर ग्रामों में क्रान्ति उत्पन्न हो रही है। यह क्रान्ति उनके कायापलट की है। आज से पहले कभी भी ग्रामों के उत्थान के लिए इतनी विशाल योजनाओं का निर्माण न हुआ था। भूमि-सुधार और सामुदायिक योजनाओं और सिचाई, खाद् तथा अन्य साधनों द्वारा ग्रामों की नई रचना हो रही है। वे सब आर्थिक प्रयत्न हैं, पर इनके साथ सामाजिक प्रयत्न भी जारी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा समाजसुधार आदि पर भी जोर दिया जा रहा है। पर इन कामों में विलम्ब लगेगा। जमीदारी-उन्मूलन और भूदान आदि भूमि-व्यवस्था के पहले फटम हैं। हमें ग्रामीणों को सहकारी खेती के क्षेत्र में लाना है और यह बताना है कि, जमीन अब किसी की विरासत की चीज नहीं रह गई है। जो व्यक्ति जितने काल तक खेती करेगा,

उतने काल तक जमीन उसकी रहेगी। किसानों को इस मोड़ पर लाने के लिये यह आवश्यक है कि, स्थान-स्थान पर सहकारी आधार पर खेती की जाए और किसानों में सामूहिक जीवन के भाव भरे जाएँ। उनका जब जीवन पलटेगा, तब दूसरे किसान पीछे न रह सकेंगे। किसानों में धार्मिक तथा सामाजिक रुद्धियाँ जड़ पकड़ गयी हैं। उनमें सहकारिता रह ही नहीं गयी है। इनसे उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। हर एक ग्राम में नई क्रान्ति का बीजारोपण करना है। यदि उद्योग धन्धों के मजदूरों के समान किसानों में भी ऐस्य हो, उनका संगठन हो तो भारतीय-संघ-राज्य में हरएक ग्राम राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के इकाई होंगे।

पर ग्रामों का नव दत्थान तभी संभव है, जब ग्राम-साहित्य का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसार हो। पढ़े लिखे किसान, ग्राम-संस्थाएँ और ग्राम कार्यकर्ता हरएक के लिए ग्राम-साहित्य आवश्यक है। सामुदायिक कार्यकर्ता ग्राम-साहित्य के द्वारा किसानों में नई प्रेरणा भर सकते हैं। उनमें नवजीवन ला सकते हैं और उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। फिर गैर-सरकारी रूप में ग्राम-साहित्य का प्रकाशन होना अधिक बांछनीय है।

‘अन्नपूर्णा भूमि’ तथा अन्य तीन रचनाएँ इसी लक्ष्य से लिखी गयी हैं। दूसरी रचना में खाद्यान्न, व्यापारिक उपज, बागबानी, फल-सब्जी आदि की पैदावार का वर्णन है। इस

पुस्तक में पैदावार बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। तीसरी पुस्तक ‘भारत में गौ पालन’ पर है। इसमें भारत के पशु-धन का धर्णन है। चौथी पुस्तक में ग्रामीण उद्योग धन्वों का व्यापक धर्णन है।

अंग्रेजी, हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में इन विषयों पर पुस्तकें नहीं सी है। यदि हमें प्रोत्साहन मिला तो एक एक विषय पर लिखने का प्रयत्न किया जावगा।

केन्द्रीय सरकार के कृषि-मन्त्री डॉ पंजावराव देशमुख का में अत्यन्त श्रृंगार हैं जिन्होंने इस पुस्तक का ‘आमुख’ लिखा है। उन्होंने सामुदायिक योजना के समानान्तर एक गैरसरकारी प्रयत्न के रूप में इस रचना के प्रकाशन को महत्व दिया है और इसे नामुदायिक योजनाओं के सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी प्रकट किया है।

मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा, यदि देश में इस पुस्तक का समुचित आदर हुआ।

—त्रिवक



## प्रकाशक की ओर से

एक दो दशक पूर्व प्रकाशन का जो स्तर था, वह आज नहीं है। उस समय न प्रकाशकों का अभाव था और न किसी विषय के प्रकाशन में कोई संकोच था। सभी विषयों पर रचनाएँ निकलती थीं। अनेक स्थानों से प्रन्थमालाओं के द्वारा नियमित रूप से सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन होता था। पर उस समय स्कूली पुस्तकों का प्रकाशन अधिक नहीं था। तब यही कारण था कि, साहित्य के विविध अंगों का सूजन हो पाया था।

पर जब आज हिन्दी का व्यापक क्षेत्र हुआ, तब प्रकाशन का दायरा विशृंखलित हो गया। स्कूली प्रकाशन ने अप्र स्थान ले लिया और उसने इस क्षेत्र में अनेकिता तथा भण्टाचार पैदा किया। विश्वविद्यालय तथा कालिज व स्कूलों के प्रोफेसर व अध्यापक शिक्षासम्बन्धी पुस्तकों के एकमात्र लेखक मान लिये गये और दूसरे लेखकों का कोई स्थान नहीं रहा। अध्यापकों और प्रकाशकों के जोड़तोड़ ने शिक्षा व साहित्य के परिवर्तनों में अन्य दबदबायों के समान कालादाजार पैदा कर दिया। इस जोड़तोड़ के आगे रचना का कोई महत्व नहीं रहा। इस अवस्था में शिक्षासम्बन्धी साहित्य का स्तर गिर गया और उन्न उत्तुण्ड साहित्य का प्रकाशन भी दिविल पड़ गया।

पूँजीवादियों के हाथ में पुस्तक-प्रकाशन का धंधा जाने से वह एक प्राणहीन व्यवसाय बन गया। लेखक की महत्वाकांक्षा तिरोहित हो गयी। प्रकाशन का लक्ष्य हो गया कि, ऐसा साहित्य प्रकाशित हो, जिससे विनियोग की हुई पूँजी तुरन्त निकल आए। पर आज के इस व्यावसायिक युग से अतीत का दुर्बल काल कहीं अधिक स्वर्णिम था। उस समय लेखक तथा प्रकाशक दोनों ही मिशनरी भावाप्रन्न थे। तब यदि एक उत्कृष्ट ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रकाशक पूँजी निकलने का भी कोई भविष्य नहीं देखता और उसके अपने पास भी पर्याप्त धन नहीं होता तो भी इधर उधर से साधन जुटाकर पुस्तक प्रकाशित करने में महान् गौरव अनुभव करता था।

उस समय लेखक को जो मिलता था, वह आज जीवन के उच्च व्यय स्तर में न्यून कहा जा सकता है, पर दोनों समय के जीवन-व्यय स्तर का मुकाबला करने से यह प्रकट होगा कि, आज लेखक को जो मिलता है तो भी वह जहाँ का तहाँ खड़ा है। अनैतिकता इतनी है कि, लेखक को रायलटी आदि ईमानदारी से मिलती ही नहीं है।

इस स्थिति में कई लेखकों को अपने साधन जुटाकर प्रकाशन क्षेत्र में आना पड़ा। कई प्रकाशन-संस्थाएँ लेखकों की अपनी हैं। फिर हिन्दी में अच्छे प्रकाशन के लिये यह आवश्यक है कि, सहकारी पद्धति के संगठन आदि द्वारा प्रकाशन हो। अन्यथा जीवित साहित्य का प्रकाशन संभव न होगा।

‘नवभारत प्रकाशन’ पूँजीवादी संगठन नहीं है। वह एक सहकारी संगठन है। उसका निर्माण केवल आर्थिक लाभ की हृषि से ही नहीं हुआ है। यह संस्था यदि किन्हीं विशिष्ट मन्थों के प्रकाशन में भारी क्षति का अनुभव करेगी, तो भी उसके प्रकाशन में पीछे न रहेगी। प्रकाशन से जो भी स्वल्पतर आव होगी, वह अन्य व्यय के उपरांत पुनः प्रकाशन के विनियोग में लगेगी। इस संस्था द्वारा साहित्य के उन अंगों का प्रकाशन होगा, जिनका हिन्दी में अभाव है। अतः संस्था के इस मत्स्यकल्प की दाता केवल जनता है, उसीका हमें एकमात्र सम्बल है।

‘नवभारत प्रन्थमाला’ द्वारा नियमित रूपसे प्रति वर्ष अनेक रचनाओं का प्रकाशन होगा। शनैः शनैः प्रकाशन में प्रगति होगी। यो गपए अमानती जगा कर प्रत्येक व्यक्ति, विद्यालय, पुस्तकालय, पंचायतें आदि इस प्रन्थमाला के स्थायी सदस्य होंगे। स्थायी सदस्यों को प्रन्थमाला की प्रत्येक पुस्तक प्रकाशित होते ही ? मूल्य में बी० पी० पी० से भेजी जाएगी। यह रियायत केवल स्थानी धारणों के लिये है। जो सदस्य सूचना मिलने पर मनीषार्थ से रपन्ना भेज देंगे, उन्हें डाक व्यय नहीं देना पड़ेगा। पर प्रन्थमाला के स्थायी सदस्यों की संख्या सीमित होगी। एक निश्चित संख्या के अन्दर ही स्थायी सदस्य होंगे। पारंपर यह है कि, इस संस्था के प्रकाशन में पुस्तकों के मूल्य में एक शर्तक व्यय का शुमार नहीं हो पायेगा, इसलिये यह संस्था

अधिक मूल्य रखकर अधिक कमीशन देना धातक समझती है। यह भार अन्ततः ग्राहकों पर ही पड़ता है। आज के युग में छपाई, कागज और ब्लाक आदि के भारी व्यय से पुस्तक पर वैसे ही अधिक व्यय पड़ता है।


‘नवभारत ग्रन्थमाला’ का प्रकाशन ‘अन्नपूर्णा भूमि’ से प्रारम्भ हो रहा है। ग्राम-साहित्य की अन्य तीन रचनाएँ प्रेस में हैं। अन्य एक और ग्रन्थ है भारतीय नारियों के सामाजिक संघर्ष की क्रान्तिकारी रेचना ‘स्त्री समाज’ जिसका प्रकाशन भी यथासम्भव शीघ्र ही होगा।

विश्वास है कि, भारत के अभ्युदय और हिन्दी के उपयोगी साहित्य के सृजन में हमारी ये विनम्र सेवाएँ सभी ओर से अपनायी जाएँगी। सरकारी और अन्य प्रकाशनों के मध्य में हमारा यह प्रयत्न अपना स्थान रखता है।

हम अपने इस आयोजन में सभी के सहयोग की कामना करते हैं।

—प्रकाशक

# अन्नपूर्णी भूमि—



# नन्नपूर्णा भूमि—

कार्यकर्ता गृह	सहकारी-भंडार (चीनी नमक)	वीज-घर	ओजार-घर	फल और उपज आदि
-------------------	----------------------------	--------	---------	------------------

अ खा ड़ा	व्यायामालय	चित्र-चार्ट-पोस्टर पसल और उद्योगधन्धों की प्रदर्शनी रेडियो	पशुओं का स्थान
वि श्रा म	वाचनालय	सभा-भवन	सन्तति निग्रह और चिकित्सालय

बरण्डा

फलों के पौधों की बागायत


पशुओंके लिए

स्नान घर



तालाब

पंचायतघर का नमूना



कुँआ

# अन्नपूर्णा भूमि

## हमारी खेती

मानव जीवनमें भूमिकी समस्या सबसे प्रमुख है। जीवन और भूमि का निकटतम सम्बन्ध है। मनुष्य, पशु-पक्षी और वृक्ष लादि सभी भूमि के आश्रित हैं। पर हमने इस वसुन्धरा के प्रति अपने फर्तव्यकी सदा उपेक्षा की। हमारा कितना पतन हुआ, जब हमने अपने नेत्रोंके सम्मुख भूमिका विनाश होने दिया। उसकी उपज पठती चली गई और हम केवल देखते रहे।

एमारी शुटियाँ छुल, कम नहीं हैं। हमने रेगिलान बढ़ने दिए, घनोंको भेदान करा दिया, वर्षांके साधनोंको सिटा दिया, मानके प्राम नष्ट कर नगरोंकी जागादी बढ़ाई, वर्षांके जलका

खेतीके लिए कभी संचय नहीं किया, ग्रामोंमें पैदा होनेवाली खादको बर्बाद हो जाने दिया और अन्य बीसों कुकूत्य हैं, जिन्हें हम करनेमें लज्जित नहीं हुए। हमने न कभी खादका उपयोग किया और न अच्छे बीजोंका। इसप्रकार हम अपने विनाशके स्वयं कारणभूत हुए। अपने हाथोंसे ही हमने खेतों की उपजका ह्रास किया। आज उसीका परिणाम है कि देशमें खाद्य-पदार्थों की पैदावार घट गई।

हमने कभी यह भी न सोचा कि कौन सी जमीन कैसी है। हमने उनके किसीके जाननेका भी कभी प्रयत्न नहीं किया कि किस जमीनमें कौन-सी पैदावार सम्भव है। पर आज हमारा कर्तव्य है कि हम यह जानें कि कितनी भूमि कृषिमें लगी हुई है और किस जमीनमें किन पदार्थों की उपज होती है, कितनी जमीन बंजर पड़ी है तथा कितनी जमीन गोचर-भूमि और गोशालाके लिए छोड़ी गई है। फिर हम यह भी देखें कि कितनी बंजर भूमि नए साधनोंसे उर्वरा बन सकती है और कितनी ऐसी जमीन है, जिसमें विलकुल उपज नहीं हो सकती है।

हम यह भी देखें कि खाद्य पदार्थ और व्यापारिक फसलोंके उत्पादनमें किन-किन वस्तुओंकी उपज घट वढ़ रही है। इस दृष्टिसे हम संयुक्त रूपसे ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी पैदावार संतुलित हो। हरएक राज्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण आत्म-निर्भर बने।

नई परिस्थितियोंमें हमें वर्षा और मौसम पर ध्यान देनेकी

आवश्यकता है। विगत कई वर्षोंसे वर्षा अनियमित रूपमें होती है। कहीं आरम्भमें अधिक वर्षा होती है और कहीं बादमें। इससे कहीं तो फसल नष्ट हो जाती है और कहीं पैदा नहीं हो पाती है। यही कारण है कि हमारी पैदावार कम होती चली जाती है। ग्रामों और बनोंमें वृक्ष न रखनेसे बाढ़ल नहीं रुकते हैं। एगारा यह प्रबल होना चाहिए कि हम ग्रामोंको नगर न बनने दें। हम उन्हें धरा-भरा और घने वृक्षोंसे भरपूर रखें।

गोमग और वर्षामें परिवर्तन वैज्ञानिकोंके प्रयत्नोंसे लाना नम्भय है। आज आकाशमें साधारण बाढ़ल होनेपर वैज्ञानिक प्रयत्नसे नकली वर्षा की जाती है। योरप और अमेरिका के जिन देशोंमें देतीऐसे प्लाटके रूपमें मौदानके मैदान हैं, वहाँ वर्षा के अभाव की पूर्ति नकली वर्षासे होती है। हमने तो बनों और ग्रामोंको नगर पर अपने लिए संकट खड़ा कर दिया है। भारतमें नकली वर्षाके प्रयोग हिए गए हैं। पर इसके सिवा जब कभी भी वर्षा छोड़ देके जलवो संचय करनेसे वर्षा का अभाव दूर किया जा सकता है। एसिके लिए निचार्का प्रदन सबसे गहरपूर्ण है।

एधर पहुँचायोंमें निचार्की दोटी-घड़ी योजनाएँ जारी हैं हैं। दोटी निचार्क योजनाओंके संगठन राज्योंमें घड़ी प्रगति वर रहे हैं। इनके दिशेपरा निचार्क जादिके कार्यक्रमको सफल बनानेमें लुट पहे हैं। ये किसानोंको एतम्बकारका सहयोग देते हैं। इन प्रयत्नोंसे उपरिके जनीनमें निचार्क होगी और

उसके परिणाम-स्वरूप पैदावार बढ़ेगी। परं यदि युद्धस्तरपर ग्रामोंकी सारी शक्तियाँ और साधन इस ओर जुट पड़ें तो यह निश्चय है कि हम अपनी पैदावारके प्रश्नको हल करने में कामयाव हो सकते हैं।

ग्रामोंमें जहाँ एक ओर किसानोंकी भूमिसेना खड़ी हो, जो खेतोंको जोते-वोए और सिंचाई करे, वहाँ दूसरी ओर राज्यका कर्तव्य है कि वह सिंचाईके साधनोंकी व्यवस्था करे और उनके लिए खाद् तथा बीज उपलब्ध करे। उनके लिए धनकी भी व्यवस्था करे। ग्रामोंके विविध कार्योंके लिए ग्रामीण बैंकोंका निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है। कृष्ण देनेके सम्बन्धमें महाजनों पर जो पार्वदियाँ लगी हैं, उनसे किसानोंको आसानीसे कृष्ण नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि धनाभावके कारण किसान सिंचाई, खाद् और बीज आदि की योजनाओंको अग्रसर नहीं कर पाते। परं यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसानोंको जो कृष्ण मिले, उसका वे पूरा सदुपयोग करें।

अनेक प्रदेशोंमें लाखों एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है जो कई तरीकों से सहजमें उपजाऊ बन सकती है। किसानोंका यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे बंजर जमीनको उपजाऊ बनाकर अपने राज्यकी पैदावार बढ़ाएँ। इस दिशामें राज्य अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी भूमिको उपयोगी बनानेके लिए हरएक राज्यमें ट्रैफ्टरों की भारी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्यमें करोड़—दो करोड़ रुपए इस मद्दमें व्यय हुए हैं। प्रायः सभी राज्योंमें सर-

कारी व्यवस्थाके अन्तर्गत ट्रैफटर विभागकी स्थापना हुई है। ट्रैफटरोंपे अनिरित शूष्मि भूमिकी अन्य मरीनें भी उपलब्ध नहीं नहीं हैं। ट्रैफटरोंपे दल वंजर भूमिको उपजाऊ बनानेमें लगे हुए हैं।

जो किसान खेतिहार है, जिनके पास जमीन नहीं है, वे इस वंजरमें जुटफर जमीनके मालिक बन सकते हैं और स्वतन्त्र रूपमें अपनी शक्ति उत्पादनमें लगा सकते हैं। सरकार ट्रैफटरों को किरण पर भी देती है। प्रति एकड़ चालीस और पचास रुपए के अल्प व्यवसे ट्रैफटरोंने वंजर जमीनको उपजके लायक बना दिया है।

एमारा फलंदाय है कि एम उत्पादन-कार्यको घरावर प्रगति है। एम भूमि यी सेवाके साथ ऐसे साधन निर्माण करें, जिससे प्रशुति एमारी भएगक दने। जितना एमारा निकटतम सम्बन्ध भूमि और प्रशुतिसे होगा, उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी।

## खेतीका महत्व

मानव समाजमें कृषि सबसे प्राचीनतम धंधा है। वह कवसे प्रारम्भ हुआ, यह नहीं कहा जा सकता। पर समाजमें उसका स्थान अन्य धन्धोंसे अधिक गौरवपूर्ण है। संसारके सभी देशोंमें किसानका जीवन श्रेष्ठतम माना गया है। इस देशमें तो कृषिको मानवके अभ्युदयका प्रतीक माना है। आजीविकाके जितने भी साधन हैं, उन सबमें कृषिको श्रेष्ठ बताया है यथा :—‘उत्तम खेती, मध्यम बनिज, अधम चाकरी, भीख निदान’—यह निर्देश समाजका सदा लक्ष्य रहा है। अतः खेतीको जो सन्मान समाजमें प्रदान हुआ, वह अन्य किसी भी धंधेको नहीं। इस देशने नौकरीको सदा निकृष्ट माना है। वह कितनी भी उच्चपदकी क्यों न हो, उसे गुलामी ही करार दिया। कृषि और व्यापारके आगे समाजमें अन्य सभी धंधे क्षुद्र माने गए। गीतामें भगवान् कृष्णने कृषि और वाणिज्य को प्रधानता दी। फिर कृषिका धंधा मानवताकी रक्षा करता है। अन्नके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य हो, या पशु-पक्षी सबको शरीर रक्षाके लिए अन्न और वस्त्र चाहिए। मनुष्य को शरीर रक्षा के लिए अन्य पदार्थ भी चाहिएँ। सृष्टिके आरम्भ कालमें मनुष्य अपनी क्षुधाकी पूर्ति वन के फल-फूलोंसे करता था। पर उससे जब पूरा न पड़ता, तब लोग पशुओंका शिकार करते थे। पर ये भी सब समय-समय पर मिलते

थे । इनकिए मनुष्यको अन्न उपार्जन करने और उसे संभ्रह करने की चिना थुड़ी । उसने गाव-वैलका पालन करना आरंभ किया और त्रिती आरम्भ कर गेहूँ और जौ आदिकी पामल उत्पन्न थी । उस समय फिसानोंके सामने केवल एक लक्ष्य था कि वे अपने और अपने परिवारके पोपणके लिये अनाज उत्पन्न करें और वस्त्रोंके लिए पश्चुओंकी खाल का उपयोग करें । थारी पारण है कि द्विती आदिकी खाल पवित्र मानी गई । उस समय अन्नको बेचनेवाली आवश्यकता नहीं थी । गृहस्थ हो या शृणि-गुनि नहीं अपने पोपणके लिए अन्न उत्पन्न करते थे । कोई फिसी पर भार स्वरूप नहीं रहता था । लोग गेहूँका घूर्ण पाते और गोटिया आदि बनाते । जौ का उपयोग सोमरस बनानेमें होता था । इनके उपरांत भेड़ आदिके उनसे बख्त बनने लगे । इनप्रयार समाजका प्रत्येक व्यक्ति शृणि-कार्यमें लगा । अप्प उत्पादनका यही एक गारं था । अनेक शृणि की उपजसे एक-एक परिवार आत्मनिर्भर था । अम और वस्त्रके लिए किसीके आपीन टोना पाप समझा जाता था । प्रत्येक व्यक्ति और परिवार अपने परिवारसे उत्पन्न किया हुआ अनाज खाता था । शोर्दि विजान ही या राजसेवी अथवा न्यायाधीश, उनका परिगम बत्तेमें दर्जा रखता नहीं है । हम तो याहे मात्रनिक ही या शारीरिक सदस्य स्थान बरादर हैं । अनीत दासमें भारतीय समाजमें दोनों प्रजाति के असरों समान स्थान प्राप्त हुआ ।

जैसे समय व्यतीत हुआ, कुछ लोगोंने खेतीका परित्याग कर व्यापार और उद्योगका विकास किया। वे नगरोंमें जाकर वसे, जहाँ वे अनाज पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें उसे खरीदना पड़ा। उनकी मांग पूरी करनेके लिए किसानोंको खेतीमें नए सुधार कर पैदावारसे वृद्धि करनी पड़ी। अपने और परिवारका भलीभांति पोषण करनेके उपरान्त जो अनाज बचता, उसे वे उन लोगोंको बेचने लगे, जो दूसरे धंधोंमें लगे थे। वे जुलाहोंको ऊन देने लगे, जो उनके लिए वस्त्र तैयार करते। इस प्रकार किसानोंको अपने अन्नके अतिरिक्त आय भी होने लगी। वे द्रव्यका उपयोग वस्त्र और अन्य वस्तुओंके खरीदनेमें करने लगे। खेतीबारीके औजार और साज सामान आदि उन्हें धनसे खरीदने पड़ते। इस प्रकार उद्योग धंधे बढ़े और व्यापारका विकास हुआ। खेती जो आत्मनिर्भरताका धंधा था, वह अन्न बेचकर व्यापार द्वारा मुनाफा कमानेका साधन बन गया।

धीरे-धीरे कला-कौशलका विकास हुआ। देशने अपने उद्योगधन्ये और व्यापारमें इतनी अधिक उन्नति की, कि वह संसार का अग्रणी बन गया। आर्थिक जीवनका स्तर उच्च होनेपर भारतीय समाजमें सभ्यताका विकास हुआ। अतएव इस देशने जहाँ ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रमें संसारको अद्भुत प्रकाश दिया, वहाँ उसका व्यापार भी सर्वत्र फैला। भारतीय वस्तुओं के संसार भरमें बाजार कायम हुए। कोई भी ऐसा देश नहीं

था, जहाँ भारतवी चमुण्ड न पिकली थीं। चट्टी कारण या कि मन्मार भरपा सोना भारतमें हुआ चला आता था। यह देश विद्वमें मम्पन्न बन गया। संनारके देश उनकी ओर लुण्णा-पूर्ण दृष्टिसे देखतेहैं। भारतीय शारीगतों छारा इन्हाँ महीन वर्ष तेयार होता था कि एक रेशमी नाड़ी अंगूठीमें से निकल आती थी और भी कला-कौशलकी ऐसी अद्भुत चमुण्ड तेयार होती थी कि जिन्हें लरीदनेहैं लिए संनार लालायित रहता था।

भारतवी उपज, और उत्ती-पन्धोंका विकास अंगेजोंके लानेके समय लग था। आज मिश्र-भिन्न नगरोंमें हमें जिस कला-कौशलके दर्शन होते हैं, वह उनका भन्न रूप है। पर उस समय, आमाम, मुर्धियावाद, बनारस, भिर्जापुर और जय-पुर आदि धीसियों नगरोंमें शारीगतीकी सुन्दर चमुण्ड तेयार होती थी। अंगेजोंने हंडारायर और भैनचंद्ररखे कारब्बानोंकी इन्हिं नियंत्रित भारतीय शारीगतोंकी अंगुलियाँ कटवा दी, जिससे कि वे विद्या घन्द तेयार न कर सकें। एवं इस मिलोंके मुकाबोंमें तापसे तेयार विद्या हुआ भारतीय घन्द किर भी सुन्दर और समा पहुता था और भिलका दस्त्र इन्हाँ सुन्दर भी नहीं होता था।

संदित्तीने इसी-शर्ती नपट नहीं पायी क्योंकि उनका देश सूखि राखने नहीं था। भारतीय रूपसे धंटागिटेनरे शारबतने पक्कते हैं और उनका तेयार घन्द यार्जि बाजारतोंसे दिलता था। इन देशों भारत विद्यार्थी मजारी अवधारा दृश लोत बन गया था।

मगर इतनेपर भी उन्होंने कृषिके विकासमें कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने ऐसी अर्थ-व्यवस्था कायम की कि जिससे किसानका जीवन अनिश्चित रहे और वह कोई उन्नति न कर सके। जिन जमीदारोंको भूमिका स्वामी बनाया, उन्होंने लाखों और करोड़ों किसानोंको कभी स्वावलम्बी नहीं बनने दिया। यही कारण है कि भूमिकी पैदावार बढ़नेकी अपेक्षा गिरती चली गई। जमींदार और महाजन—दोनोंसे जब किसान सताया जाने लगा, तब वह कर्जके भारसे दब गया, उसका जीवन तबाह हो गया। तब वह कैसे कृषि सुधार कर सकता था। जब जमीन पर उसका अधिकार स्थायी नहीं रहा, तब यह कैसे संभव था कि वह अपनी खेतीमें उन्नति करता। यही कारण है कि जिस देशमें धी-दूधकी नदियां वहती थीं, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण था, वह निर्धन बन गया, अन्न उत्पादनमें पिछड़ गया और यहांतक हालत हो गई कि अपने भरण-पोषणके लिए दूसरे देशोंका मुहताज़ बना। जमीनकी उर्वराशक्ति नष्ट हो गई, अनाज और अन्य व्यापारिक पदार्थ हल्के दर्जेके उत्पन्न होने लगे और धीरे-धीरे उनकी उपज बेतरह घट गई। अन्न और रुई आदि की पैदावार ही नहीं घटी, अपितु उनकी श्रेष्ठता भी कम हो गई। यहाँका गेहूँ और यहाँकी रुई हल्के दर्जेकी पैदा होने लगी और दूसरे देशका गेहूँ, दूसरे देशका तेलहन और दूसरे देशकी रुई सर्वोत्तम पैदा होने लगी। मिश्र और कनाडा आदिकी तुलनामें भारतीय रुईकी किस्म गिर गई। यही अवस्था तेलहन आदि की है।

आज देशमें कृषिने ज्यापारका स्वप्र ग्रहण किया है, जिसमें खेती, जमीनकी व्यवस्था और पशुओंका संरक्षण आदि है। खेती विद्वीके लिए अन्न पैदा करनेके लिए हो या पशुओंके पोषणके लिए धास आदि उपज करनेके लिए हो। पहली अवस्थामें फसलकी विद्वीसे किसान को आय होती है। जो अनाज उत्पन्न होता है उससे प्राम और नगरके लोगोंकी धूधापूर्ति होती है। किसान गन्नोंसे गुड़ आदि भी तैयार करते हैं। पशुओंका भली-भाँति पालन प्रामोंमें नहीं होता है; अन्यथा दूध, घो और मक्कनकी विद्वीसे भी किसानोंको भारी आय हो। पर किसानोंने गो-बैलके पालनका नच्चा महत्व भुला दिया। इस देशमें कृषिका प्रधान उद्देश्य अन्न और अनेक पदार्थोंकी उपज करनेका रहा, किन्तु इस ओर जाहीं अन्य देशोंने जमीनकी उर्ध्वा शक्तियोंकी रक्षाका पूरा ध्यान रखा, जहाँ पहाड़ोंके किसानोंने उसकी सर्वथा उपेक्षा की। यदि यह जमीनकी उर्ध्वा-शक्ति दर्जी रहती, तो आज देश मर्दनम्यन्न होता।

पासलें कई प्रकारकी होती हैं। कुछ तुरन्त विद्वीके लिए पैदायार की जाती है, उन्हें आर्थिक दृष्टिमें नफद-पसल कहते हैं। इनके मिलाय अन्न आदि की उपज है, जो प्रागिकोंका प्राय पदार्थ है। एहत पासलें जैसे कि फल, आलू, गन्ना, भाग-भाड़ी आदि किस स्पर्शमें पैदा होती है दे उन्हीं स्पर्शमें दाढ़ास्तें भिज जाती हैं। लोग इसका तुरन्त उपयोग करते हैं। दूसरी प्रकारें किस स्पर्शमें पैदा होती है, उनका इस स्पर्शमें उपयोग

नहीं होता है। गेहूँका आटा तैयार होता है और उसकी रोटियां बनती हैं, तब वह कहीं उपयोगमें आता है। धान से चावल निकाला जाता है, पालिश होता है, तब वह बाजार में विक्री है और लोग उसका उपयोग करते हैं। गन्नेको लोग चूसते हैं, किन्तु उसका बहुत बड़ा भाग गुड़, खांड, बूरा और चीनी बननेके उपयोग में आता है।

इसके उपरान्त व्यापारिक फसलोंकी उपज—रुई, पाट, आदिके रूपमें होती है। ये वस्तुएँ मानवकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

पर इस देशमें नगरोंकी वृद्धिसे एक ओर जहाँ ग्रामोंका क्षय हुआ, वहाँ वृक्षोंका भी विनाश हुआ। अधिकाधिक वृक्षोंके कटने पर वन और ग्राम वीरान हो गए। वृक्षोंके हरे-भरे स्थान पर खुले मैदान निकल आए। यह स्थिति भारतीय कृषि के लिए अत्यन्त संकटजनक हुई। अन्य औद्योगिक देशोंने ग्राम और बनोंको नष्ट नहीं किया, अपितु उनके प्राकृतिक रूपकी पूर्ण रक्षा की गई। विदेशोंमें पक्के महल नहीं खड़े किए गए, बल्कि छोटी-बड़ी भोपड़ियोंको महत्व दिया गया। इस देशके समान विदेशियोंने ग्रामजीवन की उपेक्षा नहीं की। वहाँ नगरों में व्यस्त जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति भी अवकाश मिलते ही ग्रामोंकी भोपड़ियोंमें रहनेके लिए दौड़ते हैं। पर भारत में ग्राम और बनोंके वीरान होनेपर जलकी समस्या खड़ी हो गई।

इस देशमें कृषिकी एक दो नहीं, अनेकों समस्याएँ उपस्थित हैं, जिन्हें किसानोंको हल करना है। समव आगे बढ़ गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, जीवन परिवर्तित हो गया है, ऐसी अवस्थामें आज यह प्रश्न उपस्थित है कि, किसान किन प्रकार पैदावारमें उन्नति करें, और अन्य नए नए काम-धन्धोंके द्वारा अपना और अपने प्रामका जीवन सुग्रमय बनाएँ। आज ऐसे भी तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, जिनपर किसानोंका नियन्त्रण नहीं हो सकता। यद्यपि कृषिके मन्दन्धरमें किसानों को पूरी स्वतन्त्रता है कि वे किसी भी पहचानियों अपनाएँ, परन्तु वर्षके लिए वे क्या करें। यह तो बेकम ही जाते हैं। यदेशोंमें ऐसे आयोजन हुए कि किसान वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं। वर्षा जब कभी हो, उमसका जल उनकी पैदावारके लिये उपलब्ध रहता है। कहीं किस जमीनमें किन प्रकार किन पदार्थोंकी खेती हो सकती है, और नए जीवनमें रखेकी क्या व्यवस्था हो, किन साधनोंसे खेती की जाए और उत्पादन की पुष्टिके लिए क्या और जलकी किस प्रकार उपयुक्त व्यवस्था हो, वे सब बातें किसानोंके लिए विचरण-धीन हैं। भूमिको उदास रखने, द्वा-भरा रखने और प्रामको दुन्दर समाप्त करनेके नियाय अन्य सारी समस्याएँ हल करने का उद्देश्य किसानका है। इन सबके अन्तिम पशुओंका इताप, इनकी रक्षा, द्वादश उत्पादन, साम, बनावर भूमि, सरकान, दीद भाइयां और मर्दों आदिया निर्माण किन तंत्रों, को, इस समस्याका सार्व-जग रिसान निर्माण हर सभके हैं।

ग्रामकी स्वच्छता, स्वास्थ्य और एकताका जीवन उत्पन्न करनेकी ओर हरएक किसानका ध्यान जाना आवश्यक है।

उत्पादनकी वृद्धि और ग्रामके नव-निर्माणकी सब नीतियाँ और कार्यक्रम किसान तय कर सकते हैं। किसान स्वयं ही अपना मार्ग निर्देशन करें। उनका अपना नेतृत्व ही उनके लिए प्रकाश-स्तम्भ होगा।

भारतीय किसान सामाजिक और आर्थिक क्रान्तिके चौमुहानेपर खड़े हुए हैं। संसारके किसान आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने नई क्रान्तियों द्वारा अपने देशोंका नवनिर्माण किया है। इस देशमें भी किसानके कन्धोंपर देशका भविष्य निर्भर है। देशका राजनीतिक निर्माण भी किसानोंपर कायम है कि, वे किस दिशामें आगे बढ़ेंगे।

पर क्या भारतीय किसान अज्ञ बना रहेगा? यदि उसने अपने उद्योग और अपने जीवनकी समस्याएँ हल करनेमें दक्षता प्राप्त न की, तो उसका भविष्य अनधकारमय रहेगा। पर एकता, विश्वास और अनुशासन, भारतीय किसानोंकी सफलताके महामन्त्र एवं कवच है। किसानोंके संगठित जीवन और एकतामें ही उनकी सफलता निहित है। परिस्थितियाँ विपरीत होनेपर भी भारतीय किसानोंको अपनी उन्नति द्वारा एक संगठित संयुक्त राष्ट्र निर्माण करना है। पर यह सब किसानों पर निर्भर है कि वे किस प्रकार ग्रामोंकी समस्या हल करते हैं, और किस प्रकार उत्पादन बढ़ानेमें समर्थ होते हैं। क्या इस

दिशामें भारतीय किसान अपनेको चोग्य साधित करेंगे ? वे अपने जीवनसे यह बनाएंगे कि, वे संसारको दौड़में पीछे नहीं हैं। संसारके किसानोंके भवान उन्होंने अद्वाता और अन्य-विद्यान तथा पुरानी पहचनियोंका परित्याग कर नए जीवनमें प्रवेश किया और अपने देशकी आर्थिक भवत्वाएं लड़ की। कारण उनके ही लाधमें देशके गौरवका भार है। उनके ही बलपर देशने स्वतन्त्रता अर्जित की। अब उन स्वतन्त्रताको मायार रूप देनेमें वे पथा पिछड़े गे ? वे कभी संसारको यह कहने पा अवसर न देंगे कि देशकी ज्ञान-वानकी पट्टीमें वे पिछड़ गए। अतः वे संगठित सेनाकि स्पष्टमें एक कलारमें नवबल और नव भाषणोंके साथ गढ़े होकर इन देशका अभ्युदय कर नक्ते हैं। पीछे लाग प्रामोक्ती पाया पहल नक्ते हैं। यह उनकी कल्पय पीछे पिछा है, देश यारी बना रहेगा और जमीन चर्ही बनी रहेगी, पर उनके कार्य इनिहानमें अजर-अजर रहेंगे। वे संघीर्णनाखों पीछे परिप्रयोंसे बाहर चिक्कलपर इस देशको पुनः धन-धान्यपूर्ण और महद् बनारेंगे। वे ऐसे समाजकी रचना बरेंगे दि डिसमें फोर्ट एन दुर्गी न रहेगा और न फोर्ट घटा-लोटा तथा न फोर्ट डे एन-र्सीज। वे मानव-मानवमें फोर्ट भेद न रखेंगे।

# खेतीका बढ़ता हुआ क्षेत्र

संसारके देश आधुनिक विज्ञानके द्वारा अपनी कृषि-प्रणाली में परिवर्तन कर उत्पादनमें नित्य-प्रति अत्यधिक वृद्धि करनेमें लगे हैं, और भूमिकी उर्वरा शक्ति बढ़ानेमें समर्थ हुए हैं। किन्तु भारतीय किसानों तक विज्ञानका आलोक नहीं पहुँच सका। उसे आधुनिक विज्ञानसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। वह आज भी दो बैलोंकी पुरानी जोड़ी लिए दिनभर खेतमें टक-टक किया करते हैं और पानीकी दो वूँदोंके लिए आकाशको ताका करते हैं। उन्हें वैज्ञानिक आविष्कारोंका पता नहीं और न उन्हें इसे जाननेका मौका ही मिला है। जमीनको वे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते हैं। जमीनके साथ उनका सम्बन्ध उसी प्रकारका है, जिस प्रकार मा के साथ सन्तानका होता है। वे जमीनकी ममता छोड़ नहीं सकते। उन्हें कोई दूसरा काम करना अभीष्ट नहीं है। उनके लिए कृषि-कार्य जीवनका एक आवश्यक अंग है।

विगत तीस-बत्तीस बर्षोंमें भारतने औद्योगिक क्षेत्रमें उन्नति की। किन्तु इस प्रगतिसे नगरोंका ही उत्यान हुआ। किसान उससे कुछ लाभ न उठा सके। उनके जीवन-स्तरमें कोई वृद्धि नहीं हुई। पर अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दीमें योरोपीय देशोंमें उद्योग-धन्धोंमें जो अभिवृद्धि हुई, उसके परिणामस्वरूप उनके समग्र देशवासियोंका जीवनस्तर उच्च हुआ। उन देशोंमें कोई वर्ग भी अद्यूता नहीं बचा। वहाँ वैज्ञानिक आविष्कारोंका

प्रयोग वैराग्यी आर्थिक इन्नतिके लिए इन प्रकार किया गया जिसमें और भी लाभ उठानेसे वंचित नहीं रहा। उयोग और शृणि इन्नतिमें मार्गजल्य रखते हुए वैतानिक तरीकोंका इन दंगले उपयोग किया गया, जिससे उनका प्रभाव समन्व जनता पर पड़ा।

जमीनमें तराई-तराई की फसल उपन्न करने, निच्छाईकी व्यवस्था करने, फसल बोने और काटने पर्यं जमीनकी ऊर्जा खोना व्यवस्था रखनेवें लिए अच्छी व्यापके उपयोगके लिए वैतानिक तरीके उपयोग किए गए, जिसके परिणाम त्वरित उत्तराधनमें अत्यधिक हुआ हुए और शृणि-उत्तराधन व्यवसायके स्तर पर आ गया। शृणि और व्यवसाय दोनोंकी प्रगति माध्य-माध्य हुई, इनमें उन देशोंको अपनी मार्गतात्त्विक व्यवस्था बदलनेमें लापत्ती घटालता मिली। किसान और ग्रामीण दोनोंका जीवन रथान सप्तसे इनका हुआ।

लिए लाभप्रद नहीं हुए और उसका जीवन इतना सिमटा हुआ दूरवर्ती रहा कि उसका इस ओर कभी ध्यान तक नहीं गया। ऐसी अवस्थामें वह उन्हें जाननेकी प्याचेष्टा करता। जीवनके स्तरको ऊँचा उठानेकी भावनासे भी वे अदृते रहे। इसका मूल कारण यह था कि वैज्ञानिक आविष्कारोंसे उद्योग-धंधोंको सफलता मिली, नागरिक लोगोंका जीवन सुधरा, किन्तु उनका प्रकाश किसानों तक नहीं पहुँचा। कोई ऐसी योजना या परिकल्पना नहीं बनी जिससे वे वैज्ञानिक प्रयोगोंसे लाभ उठाते और अपने कष्ट दूर करते। उल्टे उनसे किसानोंको क्षति पहुँची।


कृषिसे सम्बन्ध रखनेवाले जो ग्रामोद्योग थे, वे नष्ट हो गए। अनेक प्रयत्न करने पर भी किसान उनकी रक्षा नहीं कर सके और न उन्हें कोई दूसरा मार्ग मिला कि ग्रामोंमें नए उद्योग धंधोंको जन्म देते। केवल कृषि-कार्य उनके जीवनका अवलम्बन रह गया। भूमि ही उनकी जीवनदायिनी देवी और एकमात्र अवलंब रही।

उद्योग धंधोंके विकाससे भारतके कुछ इने-गिने नगर समृद्धि-शाली बने, कुछ लोगोंके घेरेमें धन और सम्पत्तिका केन्द्रीय-करण हो गया, किन्तु उनकी प्रतिक्रिया लाखों ग्रामोंपर विपरीत हुई। उनकी प्रगतिसे ग्रामोंकी आर्थिक अवस्था बिगड़ गई। ग्रामोंमें निर्धनता और गरीबी बढ़ती गई और उसे रोकनेकी कोई सूरत नहीं रही। कारण, नगरोंकी औद्योगिक उन्नतिका ग्रामकी आर्थिक व्यवस्थासे कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हुआ।

## अन्नपूर्णा भूमि—



गोदी री चक्रवत्ता पर दिवार



संस्कृति सामग्री का बहुत अधिकांश इस विज्ञापन

अन्नपूर्णा भूमि—

ग्राम का कुँआ

ग्राम में नये ढंग का पक्का कुँआ

भारतका किनान जर्दोंका नहीं बना रहा। उसकी ओर किसीने हमियान नहीं किया। यही कारण है कि भारतकी कृषि, जर्दों की, पर्याप्त नहीं और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

पर जब प्रामोंकी अवधी पक्कारनी क्षीण हुई, और देशको जल गायब हुआ कि राष्ट्रकी रीढ़, किनानकी ज़ज़र खेड़खाल से भगानक परिणाम उपमिन रोनेकी आशंका है, तब नेहरून्देशका व्याप हम और गया। उन्होंने इस दात्यते समझा कि भारतके प्राण प्रामोंका जब तक सुधार नहीं होता, तब नक देशका फलदाण संभव नहीं है। पर जब देशकी व्याप-संकटका नामना रखा पड़ा, तब लोगोंका ज्ञान प्राप्त और किनानोंकी ओर एक चूँगी चूप्ते गया।

जर्दान भरकारते एक ओर प्रकालेंकि निवारणकी तरहता प्रकट ही, वही देशक किनानोंको एक प्रकारसे मुद्र-मुद्रिया ऐसीनेके अनेक कार्य किए। अभी तक लोगोंकी पार पारेगा रही कि भगानमें किनानका जीवन भरभराएं रखान गई रखता पर्योंकि ऐसेनेमें कोई लार्धिक लाभ नहीं होता। पर व्याप-पदार्थ और कर्जे गालों पास चढ़नेके किनानोंकी लार्धिक भवगति जो परिवर्तन हुए, उनमें लोगोंपर शूरियरी पर्योगिया प्रकट हुई। जिन किनानोंकि पास जर्दान पी, उनकी उपलसे लट्टे खल्ली आए हुए। पर इन किनानोंकी मौज़ा बेघार है, जिनके पास जर्दान नहीं है। उनकी दूसरीहीन व्याप्ति हैरी भी जो खल्ली।

इसके अतिरिक्त कृषि-प्रणालीमें कोई सुधार नहीं हुआ और उत्पादन बढ़नेके बजाय घटता जा रहा है। जब तक वैज्ञानिक प्रयोगोंसे उत्पादनमें वृद्धि नहीं लाई जाती, जसीनकी उर्वरा शक्ति की वृद्धिके लिए समुचित खादोंका उपयोग नहीं किया जाता, उत्पादन केन्द्रोंके निकट कृषि-उत्पादनके किसानों द्वारा बाजार नहीं बनते, ग्रामीण सड़कोंका पर्याप्त सुधार नहीं होता, सिचाईकी समुचित व्यवस्था नहीं होती और ग्रामोद्योगका पुनरोद्धार नहीं होता तथा कृषि और उद्योगमें अर्थ-नैतिक सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तब तक भारतीय किसानका जीवन स्तर उच्च नहीं होता। कृषिका उद्योग भारतवर्षका मेहु दण्ड है। राष्ट्र इसीके आधारपर आगे बढ़ सकेगा। कृषि तथा कृषि संलग्न उद्योगोंमें आधुनिक विज्ञानके आविष्कारोंका प्रयोग कर हमें वर्तमान सामाजिक अवस्थाको बदल देना होगा।

कृषिका अर्थ केवल अन्न आदिका उत्पादन ही नहीं समझा चाहिए। इसके अन्तर्गत पशु-पालन, वन-संरक्षण, मत्स्य-पालन जल शक्तिका व्यवहार, प्राकृतिक दृश्योंका संरक्षण और ग्रामोंकी उपजसे चलनेवाले अनेक धंधोंकी अभिवृद्धि करना भी है। आज ग्रामोंकी उपजके धंधे नगरोंमें धनियोंके हाथमें चले गए हैं और वे उनसे लाखों और करोड़ों रुपये उर्पजिन करते हैं। यदि ये सब धंधे छोटे-छोटे पैमाने पर ग्रामोद्योगके रूपमें किसानों द्वारा ग्रामोंमें संचालित हो, तो ग्रामोंकी लौटी हुई लक्ष्मी पुनः वापस आ सकती है। चावल, दाल, तेल, गुड़ और गन्ने आदिके धंधे

प्रामोगि ती अस्ते लोहिय। किन्तु इन द्वयोंसे स्थलाकर  
एवं विश्वार भाव निवृत्त होते। इनके प्रामोगि इन प्रामोगि द्वयों जौर  
में बदलते हुए अपनी ओर चलते हैं। हुरि और प्रामोगोंकी  
अवधिये ती किसागोंकी प्राप्तिक उच्चति नम्भर होती।

प्रामोगि अवधुदयक द्वय सरकार आगलक है। उनकी  
स्थलाग्नि भूमध्याते और हुरि द्वय उद्योगमें समाज मिहिं  
द्वानेके द्वय राष्ट्रकार मिहिय द्वयम छार है। नदि प्रवाहोंसे भार-  
तीय एवं शूगालक ग्यापित द्वया जा सकता है। नदि योजन-  
प्रामोगि द्वय सरकार हुरि उच्चत्त्वमाता पार्थ देखा, उसी प्रकार  
शारदीय द्वयान अपना राज्यम सरकार उद्योगमें लाने देना।  
प्रत्यक्ष, भावों भारतमें द्वयान्तरा भविष्य भावय वृक्षराम और  
प्राप्तिक है।

# राष्ट्रीय आयमें कृषिका स्थान

१९५१ की भारतीय जनगणनामें देहातमें रहनेवालोंकी संख्या २६ करोड़ ५० लाख दिखलाई गई थी, जिनमें २४ करोड़ ६० लाख खेती पर वसर करनेवाले थे। यहांपर दी गई तालिकासे यह ज्ञात होगा कि विभिन्न राज्योंके गांवोंमें कृषिकारों तथा अन्य पेशे वाले परिवारोंका अनुपात बहुत अधिक है—

## कृषि और सरकारी आय

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित योजना-प्रगतिमें विभिन्न विभागोंमें समस्त राज्योंकी आयका निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है।

( १९५३-५४ का बजट करोड़ रु० में )

लगान ६७.५	मोटर गाड़ियों पर टैक्स १२.२
कृषि आयकर ३.१	बिक्री कर ५४.७
राज्योंका नशाकर ४४.२	मोटर स्पिरिट कर ३.८
स्टाम्प २३.१	आन्तरिक पूँजी ६.१
रजिस्ट्रेशन ३.८	दूसरे कर २१.५
	कुलयोग २४२.६

नीचेकी तालिकासे यह भी ज्ञात होगा कि भारतकी कुल राष्ट्रीय आयमें कृषिजन्य आयका एक भाग है ? १९४६ के अंकड़े देखिये—

( अख्य ८० में )

कुल ४५६	प्रति व यात्रनाले ६७
प्रोटे लोग ८०	लेंगे व संवादव्यवस्था ३५
दिव. धीमा यात्रायात १४०	शीक्षिक प्रोटे ३२
मरकारी गोदानियां ४०	परेल नीवारियां १६
ग्रह यात्रा ग्रामिया ४०	

कुल ४५६ अख्य ८०

### प्रति व्यक्ति जाय

यह भी साक्षम हुआ हि कि रेलीमें प्रति व्यक्ति ६०० रु., वाहनमें १५०, प्रोटे लोगमें १०० रु., लेंगे आदिमें १६०० रु., मरकारी गोदानियांमें १५० रु. और यात्रायातमें १५० रु. जाय रही हि ।

विद्यु इमरे साथ ही हमें या नहीं भूला जातिये कि जब एक लोगों या लोगोंमें प्रति व्यक्ति जाय अधिक होती हि, तो उन्हें प्रति व्यक्ति जाय हो कम होती हि । इसी कारण यहां दूसरी लोगों याय अधिक गोदान भरकारा जाय कम है । इसीकी वज्र या जावे वालों ही भास्तकी जाय अस्तित्व जायता है । इसी दृष्टि अनुसारे वालों ही भास्तकी जाय अस्तित्व जायता है ।

### विद्यु इमरे जाय और नहि

विद्यु इमरे जाय है भास्तकी हि भरकारे विद्यु इमरे जाय नहि है व यादोंका विद्यु इमरे जाय है ।

## लाख रुपयोंमें

	१९५०-५१	१९५१-५२
गोला	८६०	८६०
चाय	७६६०	८३४०
कच्चा तमाखू	१३००	१३६०
काली मिर्च	२०४०	२३२०
सिगरेट आदि	२२०	२८०
लाख	११६०	१४८०
कच्चा चमड़ा	६४०	८३०
मूँगफली व उसका तेल	२०३०	६६०
अरंडी व उसका तेल	७३६	६६०
अलसी व उसका तेल	६८०	६४०
रुई ( कच्ची व वेस्ट )	१७३०	२१००
कपड़े	१०५८०	४२६०
हैसियन	५२६०	१२४७०
बोरियां	५५२०	१३३३०
सूत	१७१०	२००
कमाया हुआ चमड़ा	२५२०	२४६०

भारतसे निर्यात होनेवाले मालमें भी यहाँके कच्चे मालका विशेष भाग है; दूसरा सामान बहुत कम निर्यात होता है।

योजना आयोगने ५ वर्षों तक कृषि उत्पत्तिका निम्नलिखित लक्ष्य नियत किया है।

एवार्दि

अनाज ( टन )	५२५०
मूँह ( ४०० पौंछ वरी मौड )	३०६०
दालास ( १५२ पौंछ वरी मौड )	१३००
बिलात ( टन )	३३२
पीली-मुँह ( टन )	८६०

ये गुण यह है कि जिसमें एक वर्ष का एक वर्ष अधिक अवधि है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्थामें एक विशेष अवस्थावाल्या वर्षावह है। इस्युल अवधि मिल जाने वाले एक वर्ष विशेष विज्ञ विवाह है—

१. भारत वरी एवियोजन व्यवस्थावाली विविध आविष्कार आविष्कार है।

२. भारत व्यवस्थावाली एक विशेष व्यवस्थावाली-व्यवस्थावाली वृभिरा विविध है।

३. भारत वरी गार्डीन आवर्दि व्यवस्था वर्ष १९४५ से १९४६ व्यवस्था वर्ष १९४६ से ही आवर्दि है।

४. भारत वरी विविध व्यवस्थावाली वरी एक विशेष व्यवस्थावाली व्यवस्थावाली विविध है।

गांवों में किसान परिवारों का भारी प्रतिशत	ग्रामों की संख्या	कुल परिवार	भूमिक्षमी	जोतदार	कुणि मजदूर	प्रतिशत अद्युपत
(२५)	२३४७	११७०	४०५	३०३	९३०८	
(४५)	३७९४	१३२२	१२३	१३१२	८६३	
(१२०)	१४९०९	१२५०	८३३०	१९३६	९४०३	
(१६)	१५१७	११३३	१८१	३०	८२०२	
(१६)	६०७१	१२५३	३६५	१९८८	९३०६	
(२९)	५०७९	३२६६	८५७	५२८	७६०५	
(१६)	३३२८	१०५४	३६५	२९०	७६०७	
(५६)	८७७३	५३८	३२०२	१९३६	९४०३	
(५५)	८१००	३८६०	१६०३	१४७१	८५०७	
(८०)	९५५६	३८०	३७५४	३५१२	७७०६	
(८४)	२५७४४	६१२५६	१७३०	१२४४७	९२०४	
(६०)	४९९१	३४८	९७५	१९९२	८६०४	
(२४)	२५१२	१०४३	६०६	४११	८७०१	
(३५)	१९५१	८८९	११४	७०५	९३०७	
(३७)	३१८६	१२९३	९६५	३५०	९३०१	
(१२)	१२९४	३८०	२३८	२०४	९४०२	
(३४)	५४२१	२२६५	२३६	१८००	८७०२	
पहली संख्या उन ग्रामों की संख्या है, जिसमें यह गणना की गई है।						

भारतका कृषि उत्पादन

[ हजार की संख्या में ]

फसलें	क्षेत्र (एकड़में)	उत्पादन (टनमें)		
	१९४९-५०	१९५०-५१	१९४९-५०	१९५०-५१
अनाज				
चावल	७५४९४	७५९९७	२३१७०	२०२६०
जुआर	३८३३५	२८४४७	३७७७	५४०८
बाजरा	२२८८१	२९३१३	२७९०	२५५७
मक्का	८०८१	७७१७	२०१४	१७२३
रागी	५४५०	५४४२	१५२०	१४०७
छोटे अनाज	१५३०२	१२५५०	२२४२	१८०६
गेहूं	२४११४	२३९८३	६२९०	६९५०
जौ	७८६०	७६४६	२२१५	२३२५
दालें				
चना	२०४९७	१२३८७	३६६७	३७६६
दालें	२१३३६	२६४४८	४३६३	३८५८
गन्ना	३६२४	४१३८	४९३८	५४०२
आलू	५७७	५८८	१५१९	१६२०
बदरक ( सूखा )	५७	५८	२४	२४
फाली मिर्च	११६	१११	३१	३१
तमाखा	८६०	८३९	२६४	२

फसलें	क्षेत्र (एकड़में)	उत्पादन		(टनमें)
		१९४९-५०	१९५०-५१	
तेलहन				
नंगारली	९८३.२	१११३०	३३७९	३४३७
धोंडी	१४५.८	१३७८	१२८	१०४
मीमिन	५,०६५	५६२९	४३१	४५३
राई और मरमो	४७८१	५५०५	७९३	८२६
अलडी	३७५.९	३५०३	४९९	३८५
रेणु				
कपास	१२१७.३	१३८५९	२६२८५	२९२६५
पटनान	११६.३	६,४६.४	४३०८९	४३३०९

कृषि पदार्थोंके उत्पादनसे आय

[ दस लाख रुपये में ]

उत्पादन	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
चावल	९७६९	९६९७	९३०४	९४३८
गेहूं	२२११	२३७७	२७५७	२३७८
मक्का	५०३	५९८	६०७	६९७
जौ	७१५	५९८	७३६	६६४
जुआर	१४२४	१७१६	१७१३	१८६२
बाजरा	६४५	८६६	७५९	६९९
रागी	३१७	३६९	३२३	२६८
गन्ना	१०२५	१०१३	११९४	११८४
चना	१५९१	१११७	१२९७	११०९
मूँगफली	१४८८	१६४२	२४१३	२२९६
अंडी	५२	७२	६९	७८
सरसों और राहे	५२५	७०६	७२७	६८०
घलसी	२०५	२३३	२८१	२२४
तिल	२५२	३३१	४५१	३८१
चाय	८६४	९५४	१०६२	९३६
काफी	४०	७१	७२	९२
फपास	५१६	७८८	९४५	१०८३
पटसन	३००	४२९	५९१	१५९१
रसर	२५	२८	३०	२३
जग्गामू	४४८	४६९	४९७	४९३
२० पहलोंकी आय	२२९१७	२४०७४	२५८५७	२६७८८
अन्य फलतोंकी आय	५६६०	७५२०	८०००	७६४०
कुल आय	३०४७७	३१५०४	३३८५७	३३७८८

## अन्य छोटी फसलोंसे आय

१९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ १९५१-५२

## १—छोटी फसलोंका

क्षेत्रफल (दस लाख एकड़में )	४९	४०	४०	४०
(इसमें २५ प्रतिशत दुहरी फसलके क्षेत्रके कम उत्पादनका क्षेत्र कम करके )				

## २—प्रति एकड़ मूल्य फसलों

की आयका औसत मूल्य—रुपयेमें	१०६	१०४	११०	१०५
-------------------------------	-----	-----	-----	-----

## ३—फल और शाकभाजी

की प्रति एकड़ औसत आय—रुपयेमें	५२०	५२२	५६४	५३६
----------------------------------	-----	-----	-----	-----


## ४—प्रति एकड़ वजनके

बाधारपर मूल्य— रुपये में	१८९	१८८	२००	१९१
-----------------------------	-----	-----	-----	-----


## ५—छोटी फसलोंकी

कुल आय रुपयेमें	७५६०	७५२०	८०००,	७६४०
--------------------	------	------	-------	------

अन्नपूर्णी भूमि—



ग्राम-अदालत




ग्राम-सेवादल

## अन्नपूर्णा भूमि—



किसानों का जागरण



भारतीय किसानों को निर्देश

## किसान उठें

देशके नव-निर्माणमें कृषि-विस्तार-कार्यने प्रमुख स्थान ग्रहण किया है। पर यह कृषि-विस्तार-कार्य क्या है? इस कार्यका लक्ष्य ग्रामीण जनताका जीवनस्तर उच्चतर करना है। इस योजनाके अन्तर्गत शिक्षित युवकगण ग्रामीणोंको इस प्रकार तंगार बरें कि, वे अपने निर्माण-कार्यमें स्वयं जुट जाएँ। अतः ग्रामीणोंमें नवचेतना उत्पन्न करनेसे ही ग्रामोंका विकास संभव है। कृषि संवर्धी योजनाओंकी सफलताका आधार यदि ग्रामीण जनता नहीं होती है, तो उनका कोई महत्व नहीं रहता है। ग्रामोंका निर्माणकार्य ग्रामीणोंके द्वारा स्वतः आरम्भ होना चाहिए। वह उनपर लादा नहीं जा सकता है। इस प्रकार ग्राम सम्बन्धी ज्ञान तथा कार्य-पद्धति और आधुनिक आवश्यकताओं का व्यवहार और प्रयोग ही कृषि-विस्तारका कार्य है। इसका मुख्य स्वरूप प्रदर्शनों द्वारा किसानोंको खेतीके नए-नए तरीकोंसे परिचित करना है। पर चूंकि हर एक प्रदेशकी परिस्थितिवां मिल्न-मिल्न है, इसलिए कृषिविस्तार कार्यके लिए कोई एक समान लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है। अतएव हर एक प्रान्तकी विशेष परिस्थितियोंके अनुकूल आधुनिक ज्ञानके प्रकाश में अपनी उन्नतिका कार्यगत निर्धारित होगा।

एषि-पिलार कार्यके अन्तर्गत अनेक प्रकारके ऐसे सुधार समिलित हैं, जो किसान और उसके कृषि-कार्य तथा ग्रामोंके

बहुमुखी सुधारोंके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। उदाहरणके लिए उत्तरप्रदेश राज्यमें इटावा योजनाके अन्तर्गत सौ ग्रामोंमें इस योजनाका आरम्भ किया गया है। यहाँ इस योजनाकी सफलतासे यह प्रकट हुआ कि ग्राम्य समुदायोंके विकासके लिए विस्तार-कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम द्वारा वहाँ किसानोंको अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और जुताई तथा फसल की रक्षा आदिके सम्बन्धमें ज्ञान कराया जाता है, वहाँ उन्हें बयस्क शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य तथा रहन-सहनमें परिवर्तन करनेकी ओर इस ढंगसे अग्रसर किया जाता है कि सारा ग्राम्य-जीवन ही एक नई शक्तिसे संचारित हो उठे।

ग्रामोंमें जो प्रथाएँ प्रचलित हैं उनके साथही आधुनिक तरीकोंका संयोग किया गया है। जो किसान पहले नए तरीके अपनानेमें आनाकानी करते थे, उनके विचार नए तरीकोंके प्रदर्शनसे बदल गए। वे नए मार्गमें चलनेके लिए स्वयं प्रेरित हुए। इस प्रकार नए तरीकोंके प्रति उनकी उदासीनता मिट गई और उन्होंने उनका प्रयोग अपने खेतोंमें किया। जब एक परीक्षणमें उन्हें सफलता मिली, तब फिर क्या था, एक-एक करके सहस्रोंकी संख्यामें लोग नए तरीके अपनानेके लिये अग्रसर हुए।

इस योजना द्वारा ग्राम्य समुदायोंको नए तरीके व प्रयोगों की जानकारी कराकर शिक्षित करना है। इस प्रकार विस्तारका कार्य शिक्षाका है। इस शिक्षा द्वारा ग्राम-जनोंको उनकी समस्याओंसे उन्हें अवगत करना है और उन्हें यह विश्वास दिलाना

है कि नव-निर्माणके लिए नए परिवर्तन आवश्यक हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रमके द्वारा ग्राम-जनोंकी विचारधाराको रचनात्मक प्रणालियोंमें प्रवाहित करने और उनके विचारोंमें नव परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन दिशामें नए प्रयासके लिए जुटाना है।

जिन शिक्षित युवकोंने भारतके सामाजिक-विकासके कार्य-प्रगमको अपनाया, उनका जीवन ही बदल गया। अतः प्रशिक्षण केन्द्रमें जनसेवाकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले शिक्षित युवकोंको यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका जीवन इस प्रकार बदल गया है पि उन्हें न तो किसी सरकारी पदकी आकांक्षा रही और न किसी वडे मान सम्मानको तथा धनी व वडा बनने की। वे तो इस जनसेवाकी शिक्षा द्वारा ग्रामीणोंमें अपनेको मिला देना चाहते हैं। वे ग्रामोंके मार्ग-दर्शक बने हैं। इन युवकोंने ग्रामीणोंके गतोविश्वान, रुपि-विधियों, पशुपालन और ग्रामवासियोंकी आवश्यकताओंके सम्बन्धमें सैद्धान्तिक अध्ययन किया।

यह कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है। भारतके १७५०० ग्रामोंकी जनताको जाग्रत करेगा। सारी शक्तियाँ उसे सफल बनानेमें जुटी हुई हैं। असफलता और निराशा तथा वाधाओंके बीचमें भी यह प्रशिक्षण कार्य जारी रहेगा। अमेरिकाकी फोर्ड मोटर कंपनीके 'फोर्ड फ्लॉट' नामक कोपसे भारत सरकारके रुपि विभाग द्वारा विकास सम्बन्धी योजनाका कार्यक्रम संचालित होगा। इसपे अन्तर्गत प्रत्येक सौ ग्राम पीछे विकास-कार्य और प्रत्येक सौ ग्राम पीछे प्रशिक्षण और विकास-कार्यके केन्द्र संचा-

लित होंगे। राज्यों द्वारा जिले-जिलेमें प्रशिक्षण केन्द्रोंकी स्थापना का आयोजन है।

इसके अतिरिक्त भारत अमेरिकनके सम्मिलित विकास कोषकी आर्थिक और टेक्नीकल सहायताके अन्तर्गत बुनियादी समाज विकास सम्बन्धी कार्यक्रम प्रति ३०० ग्रामोंके पीछे संचालनका आयोजन है। सौ ग्राम पीछे विकास सम्बन्धी तथा सिंधित कार्यक्रमके दलोंकी रचना भिन्न-भिन्न रूपसे ग्रामोंमें रचनात्मक कार्योंको अग्रसर करेगी।

संसारके सभी प्रमुख देशोंकी तुलनामें भारतकी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी इस देशमें खेती-बारीके बही पुराने तरीके प्रचलित हैं। कृषि सुधारके सम्बन्धमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकोंने अपने ग्रंथ और पत्रों द्वारा जो परामर्श दिए, वे सब आलमारियोंमें बन्द रहे, धरतीके लाल क्रियात्मक क्षेत्रमें उनका कोई उपयोग न कर सके। एक खेतिहर मजदूर और वैज्ञानिकके जीवनके मध्यमें गहरी खाई है।

स्थिति यह है कि देशमें एक ओर अधिक परिमाणमें वैज्ञानिक कार्य हो रहा है, जो कृषिके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है और जिसके व्यावहारिक परीक्षण हमारी प्रयोगशालाओंमें किए गए, दूसरी ओर ग्रामों और जिलोंमें कृषि-सुधारके प्रयत्न किए जाते हैं, किन्तु ये दोनों आज तक सम्मिलित रूपमें नहीं किए गए, उन दोनोंमें गहरी खाई कायम है, वे आपसमें नहीं

मिलते, दोनोंका लक्ष्य एक ही है, किन्तु फिर भी दोनों एक दूसरेसे पासले पर हैं।

देश विदेशमें भारतीय किसानोंके प्रति एक धारणा फैली हुई है कि वे यहें कहूँ, अत्यधिक अनुदार और आग्रगतिशील हैं। उनमें नए विचारोंके प्रहण करनेकी प्रवृत्ति नहीं है। वे नई फसल के सम्बन्धमें नए विचार, नए औजार, रासायनिक खाद और खेतीके नए उपयोगोंको नहीं करना चाहते। सामाजिक विचारों में भारतीय किसान भले ही पिछड़े हुए हों, किन्तु कृषिके कार्य सम्बन्धमें उनके सम्बन्धमें एक चारगोंही ऐसा नहीं कहा जा सकता। तब्बों और अंकोंके आधार पर यह प्रकट है कि किसानोंने नए प्रयोग और साधनोंको अपनानेमें दितनी प्रगति-शीलता प्रकट की है। पर इस दिशामें उसके अधिक आगे घढ़नेमें अनेक आर्थिक ग़कावटें हैं। वह यह जानता है कि अगुक नई फसल या अगुक नई खादसे उसे अंतमें लाभ होगा किन्तु उनके उपयोगके लिए उसके पास धन नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक एकड़ जमीनमें ४१० सेर आलूके बीज धारित। इसके लिए उसे करीब ३०० रुपये तो बीजके लिए चाहिए, पिर नई खाद वरीदनेके लिए भी धन चाहिए, सो एकार्थ यह इनी पूँजी दहासे लाए? उसके पास कृषि विस्तार समर्थी भावनाएँ हैं, सुझ हैं, किन्तु वह धनसे रद्दित हैं और उसे फोर्म नेटवर्क ऐनेपाला नहीं है।

भारतीय किसान अशिक्षित दोने पर भी धनने काममें

चतुर है, उसके सामने जो बात प्रकट की जाए, उसे वह भली-भांति समझता है और नए तरीके बतलाने पर वह उन्हें प्रयोगमें लानेके लिए तत्पर रहता है। यदि वह समझ जाए कि नए तरीकोंसे उसे लाभ होगा तो वह उन्हें अपनानेमें कभी पीछे नहीं रहेगा। अलवत्ता उसके पास साधन तथा सुविधाएँ होनी चाहिए। गन्ना, चावल, गेहूँ, दाल और तमाखू आदिकी नए ढंगसे उपज करनेमें अनेक भारतीय किसान आगे बढ़े। उन्होंने नई फसलोंमें अंग्रेजी शाकभाजी भी पैदा करना आरम्भ किया। अतः वह नए विचार और तरीकोंके अपनानेमें कदापि पीछे नहीं है। इस सम्बन्धमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानोंका विश्वास प्राप्त करनेके लिए हमें उनकी विचारधाराओंमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आजकी समस्या मानव, धरती और पशुकी है। हमें नए रूपमें इन तीनोंको हल करना है। पर हमारे तरीके आरम्भसे ऐसे हों कि हम उनका विश्वास प्राप्त करें। एक बार विशेषज्ञोंकी गलतियोंसे जब उनका विश्वास जाता रहता है, तब फिर उनमें नई धारणाएँ उत्पन्न करना सहज कार्य नहीं है। अक्सर देखा गया कि कृषि अधिकारियोंकी उपेक्षाओंसे गलतियाँ होती हैं। इन गलतियोंसे नए तरीके असफल होने पर ग्रामोंमें उनका बड़ा उपहास होता है। जिस समय उन्हें खाद आदिकी आवश्यकता हो, उस समय उसे विहित न कर अन्य अवसरों पर उसका वितरण करना अनुपयुक्त है।

किसानोंकी कटूरता, अनुदारता और अशिक्षा भारतीय

कृषिकी उन्नतिके मार्गमें इतनी धाधा स्वरूप नहीं है, जितनी कि उनके दोनोंमें काम करनेवाले शिक्षित प्रचारकोंकी कमी है। कृषिके धंधे में खेतोंमें काम करनेवालोंके लाभके लिए कृषि संवर्धी शिक्षाके संबन्धमें नई कृषि पद्धतियोंसे उन्हें आकर्पक ढंगसे परिचित कराया जाए। उन्हें वे तरीके बतलाए जाएँ जिनसे उन्हें निश्चित लाभ हो। किसानोंकी शिक्षाका एक ढंग नहीं हो सकता, यस्कोंकी शिक्षा अशिक्षित बालकोंसे जुड़ी होती है और प्राम-पाठशालामें जानेवाले छात्रोंकी शिक्षा उनसे सर्वथा भिन्न होती है। इसलिए अशिक्षित वृद्ध और तरुणोंको शिक्षित करानेके लिए नई प्रणाली अपनाई जाए। यस्कि किसानके पास इतना समय नहीं होता है कि वह खेतका काम छोड़कर शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए उसके अवकाशके समयका अधिकाधिक सदृप्योग किया जाए।

किसानको कृषि-सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षाके लिए वीस एकड़वाले फार्मके दो भाग किए जाएँ। उसके एक हिस्सेमें नए तरीकोंसे काम हो और दूसरेमें पुराने तरीकोंसे। दोनों ही हिस्सोंमें खेती सीखें हो। इस आयोजनमें किसानोंको पूरी सुविधाएँ दी जाएँ। वे नए तरीके प्रयोगमें लाए जाएँ जो उस स्थानपे लिए अधिक उपयुक्त हो और किसान जिनकी जसानीसे पूर्ण फर नहों। दोनों हिस्सोंमें वरावर वरावर खेत तैयार किये जाएँ, और दोनों ओरके समान भागोंके खेतोंमें एक ही प्रकारकी पत्तियां पोईं जाएं। पिसानोंपर एक दल दोनों भागोंके खेतमें

काम करे। इस दलको दो वर्ष तक काम करने दिया जाए। इस कालमें ये किसान नए तरीके अच्छी तरह सीख जाएँगे और अपनी आंखोंसे पुराने और नए तरीकोंका भेद जानेंगे। इसके उपरान्त फिर दूसरे दलको शिक्षाके लिए लिया जाए। इस व्यावहारिक प्रयोगसे 'किसान कृषि-कार्यमें अधिक निपुण बनेंगे। किसानोंके जो लड़के अशिक्षित हैं, उन्हें सरकारी खेतोंमें शिक्षा के लिए रखा जाए। वहाँ वे शिक्षा-कालमें उपार्जन भी करेंगे, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि वे वेकार रहें। अतएव उनकी थोड़ी बहुत आयसे उन्हें सन्तोष रहेगा। सरकारी खेतोंमें उन्हें इतनी मजदूरी पर रखा जाए, जिससे कि उनके जीवन-निर्वाहका व्यय पूरा हो सके। धीरे-धीरे उनकी मजदूरीमें वृद्धि की जाए। वहाँ उन्हें कृषि-सम्बन्धी शिक्षा आरम्भसे अन्त तककी दी जाय। वे हरएक फसलकी लागत लगानेमें निपुण हों। यह बड़ा महत्व-पूर्ण कार्य है। अबकाशके समयमें उन्हें जमीन, खाद, फसलका बदलना और कीड़ों आदिके सम्बन्धमें उन्हें सरल रूपमें ज्ञान कराया जाए। दो वर्ष तक उन्हें खेतमें रखा जाना चाहिए।

पाठशालामें जानेवाले कृषक बालकोंको व्यावहारिक शिक्षा देनेके लिए समीपमें ही एक खेत होना चाहिए। छोटी-बड़ी सभी कक्षाओंके विद्यार्थियोंके लिए उनकी श्रेणीके अनुसार सुविधापूर्वक खेतका विभाजन किया जाए और हरएक वर्गके लड़कोंसे उनकी वयके अनुसार कार्य लिया जाए। ऊँची कक्षाओंके लड़कोंसे निश्चित कार्य लिया जाना चाहिए। खेतोंमें

काम करनेवाले छात्रोंको पुरस्कार दिये जाएँ। उन्हें सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों प्रचारकी शिक्षा दी जाए। उनकी वार्षिक परीक्षा भी दोनों रूपमें हो। यह न हो कि बड़े लड़कों को जरासे छोटे खेतमें काम करनेको कहा जाए, यह कोई खेल तो नहीं, बल्कि व्यावहारिक शिक्षा है, इसलिए उनकी शिक्षाके लिए काफी बड़ा खेत हो। इनमेंसे जो छात्र अधिक मेधावी हों और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों, वे नगरोंमें शिक्षाके साथ कृषि ज्ञान प्राप्त करें। वे मैट्रिक्से उपरान्त कृषिमें वी० एस-सी० तथा एम० एस-सी० पास कर अपने प्राम और जिले के लिए उपयोगी धन सकते हैं।

प्रामोंमें कृषि-सम्बन्धी प्रशिक्षणके प्रचारकी अत्यन्त आवश्यकता है। ग्राम-पुर्नार्निर्माणमें प्रचार-कार्यको प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। प्रचार-कार्यमें मित्रव्यविता करना अनुपयुक्त है। उपयुक्त प्रचारके लिए उपयुक्त धन चाहिए। अधूरा प्रचार परनेकी अपेक्षा उसका न करना ही श्रेयस्कर है। पर यह तथ्य है कि प्रचार-कार्यमें व्यव दिया जानेवाला प्रत्येक रूपया सार्थक होता है। ग्रामका विकास होने पर इस धनका सदुपयोग प्रपट होता है।

प्रचार-कार्य प्रचार करनेवाले के व्यक्तित्व पर निर्भर है। यह एक देशनीकल विषय है। यह किसानोंनो संदेश प्रदान करता है। यह संदेश प्रभावपूर्ण हो, इस सम्बन्धकी टेक्निक और विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतएव ग्रामोंमें प्रचार करने

बाले व्यक्ति प्रचारके तरीके और टेक्निकमें पूर्ण सुदक्ष हों। तात्पर्य यह कि जहाँ प्रचारकमें ग्रामीणोंमें उनकी भाषामें अच्छी तरह वार्तालाप करनेकी योग्यता हो, वहाँ उसे अपने विषयका भी भलीभांति ज्ञान हो। इसके साथ ही उसे ग्रामकी उपयुक्त तथा अनुपयुक्त परिस्थितियों और ग्रामीणोंके मनोभावोंका ज्ञान होना चाहिए। उसकी बातचीत जोरदार और विश्वास उत्पन्न करनेवाली हो। ग्रामीणोंके साथ जीवन वितानेकी उसमें प्रवृत्ति हो और वह उनके सुख-दुःखमें भाग ले। उसके कार्य-कलाप ग्रामीणोंमें घुल-मिल जाने चाहिए।

ग्रामोंमें प्रचार-कार्यके अनेक साधन हैं, जैसे कि बायरलेस, सिनेमा, नाटक-अभिनय, संगीत-नृत्य, कवि सम्मेलन, पर्चे, पुस्तिकाएँ, पोस्टर, प्रदर्शनियाँ, सभाएँ, प्रदर्शन, समाचारपत्र आदि बीसों साधन हैं। ग्राम पत्रिकाएँ किसानोंके लिए बड़ी उपयोगी हैं। पंचायतों द्वारा उनका प्रत्येक ग्राम परिवारमें वितरण होना चाहिए। उनमें खेतीबारीके सुधारकी बातें हैं। उनमें विशेषज्ञोंके सरल भाषामें लेख दिये जाएँ।

ग्रामोंमें प्रचार सभाएँ उन गैरसरकारी व्यक्तियोंके नेतृत्वमें हों, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा और सन्मान हो। पर साथ ही वे कृषि विषयके जानकार हों। इस सभाओंमें ग्रामके पंच भी भाषण दें। बीज और खाद आदि सभाओंमें संग्रह करके रखे जाएँ। यदि फसलका मौसम नजदीक है, तो उनका वितरण किया जाए।

सामुदायिक विकास योजनाके अन्तर्गत पंजाबसे मद्रास और आसाम तक सभी स्थानोंमें केन्द्र खुले हैं। इन केन्द्रों द्वारा ऐसे प्रचारक तैयार किए जा रहे हैं, जो ग्रामोंमें सभी काम करके दिखाएँ। ग्रामोंकी स्वच्छता किस प्रकार की जा सकती है, इसके लिए वे स्वयं भाड़ लेकर सफाई करनेके लिए अग्रसर होते हैं। उन्हें श्रमका महत्व बताया गया कि श्रम कोई बड़ा घोटा नहीं है, वह सब चराचर है। किसी भी श्रमके करनेसे कोई व्यक्ति बड़ा-घोटा नहीं बनता है। इसलिए शारीरिक श्रम सभी समान हैं, चाहे वह भाड़ भाड़नेका काम हो, या खेती करनेका अथवा कोई व्यापार आदिका काम—श्रमकी दृष्टिसे सब उच्च और समान हैं, सबमें समाजकी सेवा भावना निहित है। उनमें से किसी भी कामके करनेसे ऊँच-नीच नहीं बनता है।

---

## ग्राम स्वर्ग कैसे बनें ?

सदियोंसे भारतके किसान जिस दलित जीवनमें रहे, उससे वे अकर्मण्य, निल्द्योगी, प्रगतिहीन, पराजय-मनोवृत्तियुक्त, भाग्य-वादी, नए विचारोंके प्रति उपेक्षावादी, अनुत्तरदायी और आत्म-निर्भर तथा सहयोगपूर्ण जीवनसे सर्वथा पिछड़ गए। संसारके किसान कहाँ खड़े हैं और किस प्रकार अपना नव-निर्माण करनेमें आगे बढ़ रहे हैं, उनसे वे पीछे न रहे, यह चिन्तना भारतीय किसानोंमें कभी उत्पन्न न हुई। रुद्धियों और संकीर्ण जीवन तथा व्यक्तिगत स्वार्थों की भावनाओंने उनमें नव-जीवनके अंकुर उत्पन्न न होने दिए। जब कि दूसरे देशोंके किसान अपने व्यक्तिगत अधिकारोंको छोड़कर अपने, अपने ग्राम और अपने देशके हितके लिए सहकार रूपमें आगे बढ़ रहे हैं, तब भारतीय किसान जमीनके एक-एक इच्छ टुकड़ेके लिए खँूरेजी करनेमें आज भी पीछे नहीं हैं। उनकी अवस्था इतनी गिर गई है कि वे अपना उद्धार स्वयं करना नहीं जानते, अपने प्रयत्नोंसे आगे बढ़ें और नए साधनोंको अपनाएँ, इससे वे कोसों दूर बने हुए हैं। अतः वे अपनी मुक्तिके लिए सदा दूसरोंकी ओर दृष्टिपात करते हैं।

पर किसानोंकी यह अवस्था होनेपर भी हमारी दृष्टिसे उनकी अन्तर-निहित शक्ति ओझल नहीं हुई है। हम जानते हैं कि किसानोंमें गोपनीय रूपमें अतुल शक्ति भरी हुई है। वे

महान् शक्तिके भण्डार हैं। यदि उसका उचित उपयोग किया जाए तो किसान क्या नहीं कर सकते हैं, विजलीकी लिफ्टसे भी आगे वे अपने नव निर्माणमें आगे दढ़नेकी शक्ति रखते हैं। उनकी शक्तिके द्वारा अद्भुत कार्य सम्पादित हो सकते हैं।

अपनी गिरी हुई अवस्थामें—वे ही तो किसान थे, जिन्हें न तो शिक्षा थी और न कोई राजनीतिक चेतना थी, जिन्होंने स्थार्थी और प्रलोभनोंको ठुकराकर अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए महात्मा गांधीके नेतृत्वमें कौन-सा आत्मत्याग नहीं किया। उनके ही बलपर स्वराज्यका युद्ध लड़ा गया और देशने स्वतंत्रता प्राप्त की।

स्वतन्त्रता प्राप्त करनेपर किसान नवजीवनमें आए। कहना न होगा, आज वे अपने नव-निर्माणमें स्वयं ही जुट पड़े हैं। वे ग्रामोंकी ज़िन्दगी बदल देनेके लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें यह भावना उत्पन्न हो गई है कि वे अपने ही साधन और शक्तियोंसे अपने ग्रामोंको सुन्दर और हराभरा बनाएंगे और उसे एक नया स्प देंगे। अनेक स्थानोंपर किसानोंने स्वयं ही साधन जुटाकर अपने ग्रामोंकी पश्ची सड़कें बनाई, नए नकान पनाए, भोपड़ियाँ दुरुस्त की थीं और ग्रामोंमें स्वच्छताका जीवन पैदा किया। पर वे सब प्रयत्न जलां-जहां हुए, बहां उन्हें उत्ते-जना देनी पड़ी। स्वच्छापूर्वक वे किन्हीं स्थानोंपर आगे नहीं पहुँचे। जहां वे अपनी प्रशुतियोंसे चढ़े, वहां उनके प्रयत्न जामुहिक रूपमें नहीं हुए।

किन्तु दक्षिण भारतके कई जिलोंके किसानोंने सामुहिक रूपमें जो कदम बढ़ाया, वह भारतीय किसानोंके लिए पथ-प्रदर्शक है। ये जिले आदर्श ग्राम पुनर्निर्माणमें सारे देशके लिए अनुकरणीय बन गये। कौन-सी ऐसी ग्रामीण समस्या है, जिसके हल करने में वे आगे न बढ़े हों। इन जिलोंके ग्रामोंमें प्रवेश करनेपर हर एक व्यक्तिके हृदयमें यह खयाल पैदा होता है कि क्या वह भारतके ग्रामोंमें विचरण कर रहा है। यहाँके किसानोंके आगे उसका मत्तक नत हो जाता है, ये किसान नहीं देवता हैं, जिन्होंने इन ग्रामोंको स्वर्ग बना दिया। पर इधर अकेला एक ही जिला नहीं, उत्तरसे दक्षिण तक अनेक स्थानोंपर किसानोंका आश्चर्यमय निर्माण हो रहा है।

दक्षिण प्रदेशका प्रसिद्ध गांधीग्राम डिंडीग्रामसे दक्षिण और मदुराके उत्तरमें है। इस ग्रामने जो रचनात्मक कार्य किए, वे गांधीग्रामके ही बोधक नहीं हैं, प्रत्युत् ये सब भारतीय किसानों के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। ये वे ही किसान हैं, जो कल तक निष्क्रिय जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज वे कठोर परिश्रम और सादे जीवनमें आगे बढ़ रहे हैं। यह ग्राम आत्म-निर्भर बन गया है। वह ग्राम-कार्यकर्त्ताओंका भी एक छोटा सा केन्द्र है। अतः भारतमें ‘गांधी-ग्राम’ शब्द उस आत्म-निर्भरताकी भावनाको व्यक्त करता है, जो धीरे-धीरे विकास पाते हुए १२७ ग्रामोंमें व्याप गई है।

गांधी-ग्राम एक सुधार प्रशिक्षण केन्द्रके रूपमें सामुहिक

योजनाका एक भाग है, जो यिगत पीच धर्मसे ग्राम-निर्माणमें  
लगा हुआ है। इन ग्रामके निर्माण कार्योंकी छाप समस्त महास  
प्रदेशपर तो पड़ी ही, किन्तु भारतके अन्य ग्राम भी उससे अपना  
निर्माण करनेमें भाग-दर्शन पाएंगे। यहाँके किसानोंकी सात्त्विक  
पृष्ठि, महकारिता और जीवनका आदार्य देखकर लहसा यह  
प्रकट होता है, वे मानवताके पार्थेय हैं।

गांधीग्रामके किसान राष्ट्रकी अस्ति परीक्षामें नवनिर्माणकी  
ओर अप्रभर हैं। युगावतारी महात्माकी ग्राम-भावनाओंको  
वे महोत्तम चनानेमें भारतमें किसी ग्रामसे पीछे नहीं रहना पाहते  
वे पराजय जानते ही नहीं हैं। अनेक अद्वितीय आने पर वे हताश  
नहीं हुए। वे अपने अपराजित, शंकारहित हृदयमें अपने  
नगाड़की पीढ़ा पालनानेकी भावनाएँ रखते हैं। वे जारे  
ग्रामके रसार्थमें अपना स्वार्थ गानते हैं। ऐसी है उदात्त भावनाएँ  
गांधीग्रामके किसानोंकी। वे भगवान् गांधीके निष्ठानोंकी  
प्रतिष्ठनि धन रहे हैं।

वही पारण है कि आज देशमें गांधीग्रामका बहुत्य बढ़ गया  
है। जिन लोगों द्वारा यहाँ ग्राम निर्माणरी शिक्षा ग्राम की,  
ऐ दूसरे नेता दूसरे प्रदेश भरमें ग्राम-दिलाम-कार्यका प्रमार  
करनेमें लगे हैं। नांदीग्राममें किसान कार्यकर्ताओंका एक  
बोर्डरमें संगठन है। उसका सचिवा मंत्रि-नण्ठल है। उनका  
प्रधारनरी ग्राम समराज्यमें एवं उसमें सेविनेटवें सदस्योंमें  
प्रत्या प्रियार विनियम लगता है। वे सदस्य यह उन्मुख फरमे

हैं कि अमुक-आमुक ग्रामोंमें उनका ही शासन है और उसके निर्माण तथा व्यवस्थाकी सारी जिम्मेदारियाँ उन पर हैं। स्त्री और पुरुष सभी कार्यकर्त्ता इस प्रकार अद्भुत सजगता रखते हैं।

मंत्रिमण्डलकी बैठकमें एक सदस्य कहता है कि ग्रामके विद्यार्थीं कामके विभाजनके सम्बन्धमें शिकायत करते हैं। खाद्य मंत्रिणीने प्रधानमंत्रीकी ओर देखकर कहा—अन्नकी व्यवस्था बड़ी चिंतनीय है। हमें उन प्रवृत्तियोंको नष्ट करना है, जिनसे किसानोंमें माल जमा करने और चोर बाजारमें ऊँचे भावोंमें बेचनेके दुर्गण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभागके मंत्रीगण अपने-अपने विचार प्रकट करने लगे।

इन मंत्रियोंने बताया कि मूँगफलीके खेतोंकी निराई और सिंचाई करनी है, ग्रामकी नालियाँ साफ करनी हैं, पशुंशालाएँ साफ करनो हैं, शौचालय नए बनाने हैं। खाद्यके गड्ढेको कूदे करकटसे पाटना है। रसोई-घरकी व्यवस्था और मकानोंकी सफाई किसानोंको बतानी है। इस तालिकामें वे सभी काम हैं, जो भारतके सभी भागोंके किसानोंको करने पड़ते हैं तथा कुछ नए काम भी शामिल हैं।

इसके उपरांत मंत्रियोंने बताया कि गांधीग्रामके विभिन्न विद्यालय और कक्षाओंमें शिक्षा ग्राम करनेवाले चुने हुए विद्यार्थियोंको ये काम सौंपे गए हैं। ग्राम-पंचायतोंके कार्यकर्ता भी

उनके साथ काम करेंगे। फिर कामके वितरणके सम्बन्धमें काफी चादविवाद हुआ और अंतमें लबको काम बांट दिया गया।

उसी दिन गांधीग्रामके कार्यकर्ता मण्डलके एक सदस्य जोम्यालग्वप्र नामक प्रामके किसानोंको उनके नाम कुण्ठके सम्बन्ध में आवश्यक घातें देता रहे थे। उनके सामने भी काम बांटनेकी ममस्या थी। यहकि ग्रामवासियोंनि यह निश्चित किया था कि नवर्ण हिन्दू और एरिजन दोनोंको ही समान रूपसे कुण्ठकी आवश्यकता है। वे इस बातपर सहमत हो गए थे कि कुण्ठके नुद जाने पर उसे उपयोगमें लानेका अधिकार सभीको समान रूपसे देंगा। अनेक सर्वर्ण हिन्दू और एरिजन, दोनोंको मिल-कर खुँझा खोदना पाहिए। इस प्रकार कुर्हा खोदनेवाले प्राचीर्णों की पक्ष सूची तैयार की गई। इसके अनुसार नवर्ण हिन्दुओंको एरिजनोंके साथ कंधेसे कंधा बिलाकर काम करना पड़ा।

इन प्रामके ही एक बर्याशुद्ध किसानने कार्यकर्तासे सम्बोधित कर यहाँ—“पेटा, समय बदल रहा है, बुजिमानी इनीमें है कि इन शपथी नई जिदगी बनानेमें पीछे नहीं रहें। पांच दर्पणकि सतत प्रयत्नसे १२५ ग्रामोंके किसानोंका जीवन ही बदल गया। अब उनके लिए यह आवश्यकता नहीं रही कि प्रामके चाहरका पीर ल्यकि आकर उन्हें यह दबलाएं कि समय बदल रहा है। जाल गांधीग्राम तथा इस इलाकेके अन्य प्रामोंदि सभी जिदगानी ‘अपनी सातायता खें करो’ के निर्दानको चलार्थ करनेमें लगे हैं।

जिस प्रकार बट वृक्षकी शाखाओंसे लटकनेवाली जड़ें कालांतरमें तनेका रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार गांधी-ग्राममें होनेवाले रचनात्मक कार्योंका कार्य-क्षेत्र सारे प्रदेशमें बढ़ता जा रहा है। जिस समय उत्साही कार्यकर्ताओंने अपना कार्य प्रारम्भ किया था, गांधीग्राम एक वंजर प्रदेश मात्र था। लेकिन उनके अथव सतत् प्रयत्नोंके फलस्वरूप आज गांधीग्राम अनेक ग्राम-निर्माण कार्योंका केन्द्र बन गया है। गांधीग्राममें ऐसे स्थाई कार्यकर्ता भी हैं, जो भ्रमण नहीं करते, और वे हर समय अपना सम्पर्क १२७ ग्रामोंसे रखते हैं और उनकी आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

यह निर्माण-कार्य न तो सरकार द्वारा प्रारम्भ हुआ और न आगे भी सरकारका कोई सहयोग लिया गया। ग्रामीण कार्यकर्ता और ग्रामवासियोंके प्रयत्नोंकी सफलताका यह मूर्तिमंत रूप है। उनके कार्योंसे प्रभावित होकर इस योजनाके संचालन में—मदुरा और डिडीग्रलके उद्योगपति सहायता देनेके लिए अग्रसर हुए। कस्तूरबा ट्रस्टने भी रचनात्मक कार्योंमें भाग लिया। ग्राम सेविकाओंको प्रशिक्षण देनेकी व्यवस्था ट्रस्टके अस्तर्गत हुई। उसकी व्यवस्थासे अस्पताल भी खोले गए। परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों ग्रामसेविकाएँ तैयार हुईं और वे सबकी सब सेवाकार्यमें जुट गईं। अनेक ग्रामोंकी चुस्त तथा उत्साही स्त्रियाँ—विधवाएँ और परित्यक्त पत्नियां भी आगे आईं। उन्हें शिक्षा दी गई, सेवाकार्यके लिए तैयार किया गया

और आज उनका जीवन ही बदल गया। अनाथ वालक जितने प्रामोंमें गिरे, वे सब एकत्र यिए गए। उनके लिए अनाथालय नहीं बोला गया। अपितु उन्हें पढ़ा लिखाकर कृषिकार्यके लिए तैयार किया गया। प्रामोंमें छोटे-छोटे पंथे उन्हें उनकी रचिके अनुसार सिखाए गए।

सारांश यह कि गांधी-प्राम प्रामोंमें आत्मनिर्भरताकी भावना भर रहा है। उसका एक सबसे बड़ा निष्ठान्त सभी प्रामोंके किसान नर-नारियोंमें आत्म-निर्भरताकी भावना फूट-फूट कर भरना है। गांधीप्राममें जाति, सम्प्रदाय या धार्मिक भेद-भाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक प्रामीण कार्यकर्ता गांधीप्रामके थार्दर्शपर आस्था रखता है और कठोर परिश्रम करनेके लिए हर समय तैयार रहता है। गांधी-प्राम और इनर प्रामोंके छात्र और अप्यापक हुट्टियोंके दिनोंमें प्रामोंमें शिक्षा और स्वास्थ्यका प्रनार पत्ते हैं। प्रत्येक यवस्क स्त्री-पुरुषको वे पढ़ना लिखना सिखाते हैं। वे सहकारी कृषि और सहकारी कारबाहकी महत्वा बतलाते हैं। प्रामोंमें खबानना रखनेके लिए एसक पिलानको तैयार किया जाता है।

इस प्रकार गांधीप्राम प्राम-नुधार कार्यका नमन भारतमें अपने दैग्राम एक ही केन्द्र है, जो किनानोंकी नहीं किन्द्री रह रहा है।

## ग्राम गणतंत्रके निर्माणमें

भारतका वह एक स्वर्णिम काल था, जब ग्राम-ग्राममें स्वशासन विद्यमान था। प्रत्येक ग्राम लोकतंत्रका प्रतीक था। वह काल इतना महान था कि भारतके समस्त ग्राम स्वतंत्र गण-राज्य थे। प्रत्येक ग्राममें उस ग्रामकी सत्ता विद्यमान थी और उसकी अपनी ही विधि-व्यवस्था थी। इस प्रकार इस विशाल देशमें ग्रामोंका प्राधान्य रहा। ये ग्राम ही भारतीय सभ्यता और संस्कृतिके मूलाधार रहे। यहाँसे ज्ञान-विज्ञान और कला कौशलका भी उद्गम हुआ था। ऋग्वेदमें जिस संस्कृतिका उल्लेख है, वह भारतीय ग्रामोंका ही दिग्दर्शन है।

इसके उपरांत इस देशमें युग पर युग बीते, और यहाँ की सभ्यता तथा संस्कृतिपर अनेकानेक प्रहार हुए, किन्तु वह सबको मिलाती और खपाती हुई विकसित हुई। उसके परिवर्तनके अनुसार देशका जीवन बदला, शासन व्यवस्थामें भी उलट फेर हुए और ग्राम भी जहाँके तहाँ नहीं रहे। किन्तु इतने पर भी यह कहा जायगा कि भारतीय समाजका मूलभूत ढांचा जो ग्रामवत तथा कृषिजन्य था, वह यथावत बना रहा। पिछले कालका भारतीय ग्रामोंका रूप लोकतंत्रीय रहा और ग्राम पंचायतें उसकी बीज मूल रहीं। ग्रामीण समाजकी समस्त गति-विधियों पर कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये पंचायतें कल तक ग्रामोंकी सत्ताकी निर्देशक रहीं। जो लोग वाहरसे आए

और जिन्हेंनि भारतीय प्रामोदा पर्यटन किया, उन्हेंनि वही देखा कि वे नव्य प्रभुना-नगरन्न गण राज्य हैं।

यह सब है कि भारतमें मात्रान् नागराज्य भी काव्यम् तुए, गौर्यं भाग्राज्य तुआ, गुम् भाग्राज्य तुआ और बादमें मुगल भाग्राज्य भी आया। इसमें कुछ नज़ारे केल्ड्रीभूत हुए; किन्तु प्रामोदी अपनी रक्तंवता अद्युष्ण दर्ती रही। अमेज़ैंने जो राज्य पहली बायम् थी, उसमें इस परम्पराको नहीं छोड़ा जा सका और इनके प्रायः एक शाकार्द्धि शासनमें कोई अधिक ऐल्ड्रीयतारण नहीं हुआ, मिला इसके शासन और सुखकामें सब दृष्टियोंमें पूरा निर्विकल्प किया गया। पर १८५८ के रक्तंवताके दुर्दण्ड उपरान् शाकायानां भाग्यवोंमें शकायक परिवर्तन हुआ और तब अंग्रेज-भाग्यकोंना दृष्टियोग भी ददूला। इस नवका परिणाम यह हुआ कि शासनके ऐल्ड्रीयतारणी और अधिकले अधिक प्रशूनियाँ भर्ती।

पर कामिन्द्रके नेतृत्वमें जिस राष्ट्रीयताका उदय हुआ, उसमें ऐल्ड्रीयतारणको दीदा। नग् १८१८ के सुभारंगें ऐल्ड्री नज़ारा प्राप्तमें ऐल्ड्रीयतारणका मिलान् रविचार किया गया। प्रान्तोंको यह अधिकार दिया गया रिवे ऐल्ड्री दिया जिससे अपनी रक्तंवता भीति निर्भित्रि पर सज्जे हैं। इसके पाद् नव् १८५८ के भारतीय दिवानमें एवं सप्तरे अदेशिक रक्ताद्यग्रामा रद्दीकरण थी रही।

दिवान् एवमें इसके भारतरे जिस रक्तदिवानी रक्तना ही, इसे जीव लाने दृष्टिकार ही। एवं इन कामोंकी मर्दी

है, जिनके सम्बन्धमें कानून वनानेका अधिकार केवल केन्द्रीय शासनको है। राज्योंके कामकी सूचीमें राज्योंको कानून वनाने का अधिकार है। एक समान सूचीके नाम हैं, जिसमें केन्द्र और राज्य दोनोंको कानून वनानेके अधिकार हैं, पर शक्ति मूल रूपमें केन्द्रके आधीन है।

हमारे कथनका तात्पर्य यह है कि शासनके विकेन्द्रीकरणके द्वारा राज्योंको जो सत्ता प्राप्त हुई, उससे उनकी व्यवस्था स्वतः आमूल बदली। इन प्रदेशोंकी सत्ताका भी पुनः विकेन्द्रीकरण हुआ और ग्रामोंको नागरिकता और स्वशासनके अधिकार प्राप्त हुए, जिससे कि वे प्रारम्भिक आवश्यकताएँ स्वतः पूरी कर सकें। यदि ग्राम इन अधिकारोंका उपयोग पूरा करें और अपना सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था नए रूपमें परिणत करें तो वे स्वयं ही अपने लिए सर्वोपरि सत्ताके केन्द्रीभूत वन सकते हैं। उस अवस्थामें न केवल राज्य प्रत्युत केन्द्र तकको उनकी ओर झुकना पड़ता है। पर यह तभी संभव है, जब कि ग्रामोंका सामाजिक और आर्थिक जीवन उच्चतर हो, लड़ाई-भगड़े और उपद्रव न हों, और जो भी हों, वे सब ग्रामोंमें तय हो जाएँ, तथा ग्राम-आर्थिक-स्रोतोंका ग्राम पूर्ण उपयोग करें।

इस दिशामें उत्तर-प्रदेशने सर्वप्रथम कदम बढ़ाया। उसने ग्राम-ग्राममें पंचायतोंकी नींव डाली और पंचायत राज्य कानून स्वीकृत किया। इस कानूनके द्वारा राज्यने ग्रामोंको बहुत-सी जिम्मेदारियाँ प्रदान कीं। यदि इस प्रयोगमें ग्राम पंचायतें

सफल हुईं, जिस लक्ष्यसे उनका संगठन है, यदि प्रत्येक ग्रामके कार्यकर्ता और ग्रामकी जनताने अपना नवनिर्माण किया, अनुशासनपूर्ण और एक्यताका जीवन उत्पन्न किया, तथा ग्रामके कार्योंको सर्वथा नवीन रूप दिया, तो ये संगठन सफल हुए माने जाएँगे। इस अवस्थामें ग्राम पंचायतें महान् शक्ति प्रकट होंगी और तब वे राज्य तथा केन्द्रकी आश्रित न रहेंगी ; बल्कि राज्य तथा केन्द्र शक्ति पानेके लिए उनकी ओर दृष्टि डालेंगे। अब ग्रामोंपर जिम्मेदारी है कि वे इस प्रयोगको सफल कर दिखाएँ।

उत्तर प्रदेशके उपरान्त अन्य राज्य भी ग्रामोंको सत्ता देनेके लिए आगे बढ़े। किसानोंमें नव जागरणकी लहर फैल रही है। उनके अपने संगठन कायम हो रहे हैं। नगर, जिला, राज्य और केन्द्रमें किसानोंका नेतृत्व हो, इस दृष्टिसे किसानोंके राजनीतिक दलोंका संगठन हो रहा है।

पंजाब राज्य भी उत्तर प्रदेशके समान अपनी शक्तिके विकेन्द्रीकरणकी ओर अग्रसर है। उसका सन् १९५२ का गांव पंचायत विधेयक ग्राम पंचायतोंको सर्वाधिक अधिकार प्रदान करता है। उत्तर प्रदेशकी पंचायतोंको जुड़ीशियल और शासन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं। पंजाबकी पंचायतें भी नए कानूनसे इन अधिकारोंको हस्तगत कर रही हैं। पंजाबकी ग्राम पंचायतें जिला बोर्ड और स्युनिसिपैलिटीके भी अधिकार किन्हीं अंश तक उपयोग करेंगी।

ग्राम पंचायतोंकी व्यवस्थाके लिए धनकी आवश्यकता होना

स्वाभाविक है। केवल उनके संचालनके लिए ही नहीं, प्रत्युत् उनकी विविध प्रवृत्तियाँ भी धनकी अपेक्षित रहती हैं। उत्तर प्रदेशकी राज्य सरकार पंचायतोंको प्रति वर्ष भारी आर्थिक सहायता देती है। पंचायतोंका अस्तित्व प्रभावमूलक नहीं होता है, यदि वे ग्रामकी अवस्थाका सुधार न करें। ग्रामकी सड़कें, ग्रामके मैदान, कुएं, तालाब, नालियाँ, सफाई और स्वच्छता, पीने और नहानेके लिए जलकी व्यवस्था, श्मशान, संगठन कार्य, उत्सव-समारोह, खेतीबारीके पशुओंका सुधार, ग्राम-उद्यान, बागवानी, खेल-कूद और व्यायाम, बाचनालय, पुस्तकालय, प्राथमिक विद्यालय, कृषि, उद्योग और व्यापार शिक्षणकी पाठशालाएँ, कृषि-विकास, ग्राम उद्योग-धन्धे, सार्वजनिक स्थानोंका सुधार और व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगके भवन, मातृभवनकी व्यवस्था, बाल-रक्षणगृह, बीज-सण्डार, खाद-भवन, सहकारी विक्रय-संघ, सहकारी ऋण-संघ, आदि सभी व्यवस्थाके कार्य ग्राम-पंचायतके अन्तर्गत आते हैं। यदि ग्रामीण जनता सजगता धारण करे, एकता कायम करे और सम्मिलित रूपसे सुधारकी ओर बढ़े तो वह अपने ग्रामका जीवन बदल सकती है। तब ग्राम किसीके आश्रित न रहेंगे और एकता तथा सहकारितामें—भाई-भाईके जीवनमें झगड़े-टंटे और कलह, मार-पीट, खूरेंजी आदि सब मिट जाएँगी। पंचायतोंको अदालती अधिकार भी किसी सीमा तक प्राप्त हैं। वे दण्ड देने और जुर्मानाका भी अधिकार रखती हैं। उत्तर-प्रदेश राज्यने अपनी पंचायतोंको न्याय-सम्बन्धी विशेष अधिकार प्रदान किए हैं।

जमीदारी प्रथाके उन्मूलनके कारण हरएक किसानका सम्बन्ध जमीनका लगान चुकानेके मामलेमें सीधे राज्यसे कायम हो गया है। अतः यह भार पंचायतोंपर पड़ा कि वे किसानोंसे लगान वसूल करें। इसप्रकार उनके अधिकारमें एक ओर जहाँ राजस्वके वसूल करनेकी सत्ता आती है, वहाँ दूसरी ओर व्यवस्था भी है। इस प्रकार शासनके मूल तत्व इन पंचायतोंको प्राप्त होते हैं। यदि वे इनके उपयोगमें अधिक बल प्राप्त करें, तो वे ऊपरी सत्ताको अपनी मांगोंके लिये भुका सकते हैं। इस प्रकार सत्ता केन्द्रके अधिकारसे निकलकर प्रत्येक ग्राम-ग्राममें विकेन्द्रित होती है। पर यहाँ तक पहुँचना और शक्ति अर्जन करना ग्रामोंके अग्रसर होनेपर निर्भर है।

ग्राम पंचायतें सभी प्रवृत्तियाँको एक वारगी ग्रामोंमें आरंभ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन सबके लिए धन तथा साधनकी आवश्यकता है। किन्तु वृनियादी रूपमें शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और कृषि-सुधारके कार्योंको हाथमें लिया जा सकता है। पर पंजाबमें पंचायतें अपने कार्योंके लिए कर लगा सकेंगी। अभी जिलायोर्ड आदि जो कर वसूल करते हैं, वे ग्राम-पंचायतोंके हाथमें आएँगे। 'कृषि-लाभ कर' वस्तुतः ग्राम-निर्माणमें ही व्यय होना चाहिए। पंजाबमें हरएक ग्राम जितना धन स्वर्य संग्रह करेगा, उसका ७५ प्रतिशत भाग राज्य-सरकार देगी। जिन ग्रामोंमें साम्यवादी तथा अन्य उमदलोंका प्रभाव होगा, वहाँ राज्य सरकारें तुरन्त ही ७५ प्रतिशत सहायता देंगी। ग्राम-सत्ताका रूप इसप्रकार है:—

**राज्य-मंत्रिमण्डल की  
विकास समिति**

प्रादेशिक विकास अधिकारी और विकास-मंत्री

प्रत्येक डिवीजनका एक  
प्रतिनिधि

**राज्य-विकास बोर्ड**

डिवीजन पंचायत [ १००० ग्रामोंकी ]

जिला—पंचायत [ २००० ग्रामोंकी ]

जिला विकास अधिकारी  
[ एक ]

वर्तमान जिला बोर्डके  
स्थानपर विकास संबंधी  
अन्य कार्योंके सहित

**जिला विकास अधिकारी**

तहसील विकास अधिकारी  
[ चार ]

तहसील पंचायत  
[ ५०० ग्रामोंकी ]

ग्राम-विकास संगठन-कर्त्ता  
[ २०० प्रत्येक जिलेके लिए ]

हल्का पंचायत  
[ १० ग्रामोंकी ]

ग्राम पंचायतकी व्यवस्थापक समिति, न्याय समिति कृषि समिति, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, ग्राम उद्योग समिति और ग्राम मजदूरीकी समिति, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा तथा संस्कृति समिति

**ग्राम पंचायतका रूप**

उत्तर-प्रदेश और पंजाब दोनों राज्योंमें पंचायतोंके संगठन, व्यवस्था, और कार्य संचालन तथा अधिकारोंके संबन्धमें 'पंचायत-कानून'में पूर्ण निर्देश हैं। पंचायत-कानून ग्राम-अधिकारोंके वास्तविक प्रतीक हैं और ग्राम-व्यवस्थाके लिए उनका उपयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वे ग्राम सत्ताको प्रकट करते हैं। ५०० के आवादी वाले हरएक ग्राममें पंचायत है। जिन ग्रामोंमें आवादी थोड़ी है, वहां कई ग्रामोंको मिलाकर पंचायतका संगठन हो सकता है। पर पर्वतीय भागोंमें जन-संख्या थोड़ी होने पर भी पंचायतका संगठन हो सकेगा। राज्य-सरकारके पंचायत विभाग द्वारा ग्राम-पंचायतोंका नियंत्रण और व्यवस्था होगी। पंचायतोंके संचालन उपयुक्त ढंगसे हो, उनमें कोई गड़वड़ न हो, इसलिए उनके विरुद्ध होनेवाली शिकायतों पर राज्य पंचायत विभाग तुरन्त ध्यान देगा।

बालिग सत्ताधिकारके द्वारा पंचायतोंका निर्वाचन होगा। उत्तर-प्रदेशके ग्रामोंमें इस अधिकारका उपयोग होने पर अनेक अद्यूत जातिके व्यक्ति सरपंच और पंच बने, और सर्वां किसान भी पूर्ण सहयोगसे उनके साथ कार्य करनेके लिए आगे बढ़े। पर जहां हरिजन अल्पमतमें हों, वहां उनकी जनसंख्याके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा। पंजाबमें यह संरक्षण दश योंके लिए प्रदान किया गया है। पंचायतकी अदालतमें फौज-दारी तथा दीवानी मामले किस हद् तक फैसलेके लिए पेश किए जाएंगे, इस सम्बन्धके विस्तृत अधिकार पंचायतोंको दिए

गए हैं। आवश्यकता यह है कि जो मामले पंचायतोंकी सत्ताके बाहर भी हों, वे भी आरम्भमें पंचायतके रेकार्ड्समें आएँ। इससे वर्तमान झूठ-सच, जालफरेब और धोखाबाजी बहुत कम होगी। काम सचाईसे होनेपर लोगोंका जीवन स्तर उच्चताको प्राप्त होगा।

ग्राम-पंचायतोंके कानून और उनकी सत्ता तथा अधिकार शासनके विकेन्द्रीकरणका पहला कदम है। यदि ये पंचायतें अपने कार्योंमें सफल हुईं तो उन्हें यह सहजमें अधिकार होगा कि वे राज्य सरकारसे नए अधिकारोंकी मांग करें। कौन उनकी मांगको रोक सकेगा ? इस प्रकारके उत्तरोत्तर प्रयत्नों द्वारा यह आशा की जा सकती है कि निकट भविष्यमें भारतीय ग्रामोंमें पुनः अतीत काल आ सकता है, जब कि ग्राम स्वतन्त्र गणतन्त्र राज्य थे। इससे महात्मा गांधीके आदर्शोंकी पूर्ति होगी। इस आदर्शकी सफलताजनक-पूर्तिमें राष्ट्रके भविष्यकी महान् आशाएँ अन्तर-निहित हैं।

---

## भारतीय किसानोंकी धनता

भारत एक कृषि प्रधान देश है। वह अति प्राचीन कालसे सदा धनधान्यसे परिपूर्ण रहा। उसके प्राङ्गणमें धी-दूधकी नदियाँ थहरी हैं। कृषि और गोपालन भारतीय जीवनमें सर्वथ्रेष्ठ माना गया। गौ और बैल भारतकी अतुल सम्पत्ति, वैभव और सजीवताके प्रतीक प्रकट हुए। यही कारण है कि भारत प्रामोंमें वसा है। इन्हीं प्रामोंमें भारतकी सम्भवता, संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। यहीसे अद्यिल विश्वमें ज्ञानकी रसिमयाँ फैली। यही नहीं, ये प्राम उद्योग-धंघे तथा कला-कौशलके भी केन्द्र बने जिनकी अद्भुत प्रगतिसे सारा संसार चकित हो गया था। उस कालके विदेशी व्यापारसे संसारकी धन-राशि भारतमें ढुई हुई चली आती थी।

पर कालान्तरमें भारतका प्राचीन वैभव नहीं रहा। लगातार विदेशी आक्रमणोंके कारण भारतके प्राम उजड़ गए और निर्जीव बन गए। उनका सुख और आनन्द नहीं रहा। उनकी श्री हृत-प्रभ हो गई। दीर्घ-कालीन अंग्रेजी शासनमें भारतके प्रामोंका केवल ढाँचा रह गया। यद्यपि भारतकी जनसंख्याका ६० प्रतिशत भाग प्रामोंमें वसा रहा, तथापि अशिक्षा, अज्ञान, दीनता और शोपणके कारण उनका उत्तरोत्तर हास हुआ। प्रामका किसान समयकी गतिके अनुसार आगे पैर न बढ़ा सका। विदाससे बहु कोसों दूर रहा। वह साधारण-सा हूल और

पुरानी बैलगाड़ी बनी रही, जो ईसासे तीनहजार वर्ष पूर्व मोहन-जोदारोंके समयमें चलती थी। अंप्रेजी शासनमें परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि उनकी उपज उनके आगेसे छिन जाती थी। किसान अर्धनम रहते और एक बार जैसा-तैसा मोटा अनाज खाकर जीवन-यापन करते थे। समाजका वह अंग जो सोना पैदा करे और फिर भी विमुक्षित अवस्थामें रहे, यह कैसी संतापपूर्ण अवस्था थी।

इस अवस्थामें भी भारतीय कृषक समुदाय शांत रहा। उसने अपने इस उत्पीड़ित जीवनसे मुक्त होनेके लिए कोई विद्रोह नहीं किया। इतनेपर भी विदेशी शासन और जमीनपर अधिकार रखनेवाली शक्तियाँ कितने किसानोंका विनाश न कर सकीं? पर अपने अज्ञानके कारण न तो उनमें कोई चेतना थी और न संगठन था, बल्कि आध्यात्मिकताके कारण वे जैसे-तैसे जीवनमें रहने ही में सन्तोष मानते थे। इस भावनाके कारण जमीनके स्वामियों और धनपतियोंने उनका हर प्रकारसे शोषण किया। पैदावार वे करते और उसका उपयोग जमीदार और व्यापारी करते। उनका जीवन तो लकड़ी काटने और पानी भरनेवालेके समान था।

उन कारणोंकी संख्या कम नहीं थी, जिनके भारतीय कृषक शिकार हुए। भारी लगान, करोंका बोझ, महाजनोंके ऋण और बेगारने उनकी पीठ तोड़ दी। सरकार और जमीदारोंका ध्यान केवल मालगुजारी वसूल करना और व्यवस्था कायम

रखना ही था। उनकी खड़ी फसलें खरीद ली जातीं। लगान चुकानेके बाद जो कुछ पैदावार बचती वह महाजनके घर चली जाती। बेचारा कृपक कैसे वर्ष व्यतीत करता, उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। ऐसी स्थितिमें अच्छी सिन्चाई, खाद और विकासके अन्य साधनोंका उपयोग उपज बढ़ानेके लिए कब सम्भव था। अच्छे मार्ग, चिकित्सालय और विद्यालयोंसे लाभ उठानेमें ग्रामोंकी जनता सर्वथा वंचित थी। उनके उपयोग करनेका अधिकार तो नगरमें वसनेवालोंके लिए था। सरकार की उपेक्षणीय नीतिके कारण ग्रामोंकी कठिनाइयाँ दूर करनेकी ओर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। नगरमें रहनेवालोंके लिए शिक्षाकी व्यवस्था होनेके कारण उनकी गांववालोंपर प्रधानता कायम हुई। यही कारण है कि नारका जीवन ग्रामोंसे इतना आगे बढ़ गया।

परन्तु एक दिन सबके भाग्य जागते हैं। भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें महात्मा गांधीने अवतीर्ण होकर भारतीय कृपकोंमें नव जागरण उत्पन्न किया। उनमें अप्रतिम साहसका संचार किया और उन्हें अपने स्वत्वोंका भान कराया। भारतके दीन-हीन दृष्टिकोंके जीवनके महात्मा गांधी स्वयं प्रतीक बन गए। गांधीजीने साधु और महात्मा बननेकी आकांक्षासे नहीं, प्रत्युत् अपनेको किसानोंका प्रतीक प्रकट करनेके लक्ष्यसे लंगोटी धारण की। उन्होंने अपने इस देशसे संसारको प्रकट किया कि ग्रामोंमें वसनेवाली भारतकी ६०प्रतिशत जनताकी यह अवस्था है।

गांधीजीने किसानोंके जीवनमें आग पैदा की। उन्होंने कोटि-कोटि किसानोंमें निर्भयता और निडरता उत्पन्न की। यही कारण हुआ कि गांधीजीके नेतृत्व द्वारा भारतीय कृषकोंके जीवनमें एक शान्तिमय क्रान्ति हुई। जो किसान जमीदार और अधिकारियोंसे भय खाते थे, वे उनका मुकाबला करनेके लिए तैयार हुए। अपने दयनीय जीवनके प्रति उनमें धृणा उत्पन्न हुई। वे उससे छुटकारा पानेके लिये ऊबसे उठे। उन्होंने यह भली-भाँति अनुभव किया कि उनका भाग्य देशकी स्वतन्त्रताके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्वतन्त्रताके आनंदोलनका साथ दिया। कांग्रेसने भी प्रतिज्ञा की कि स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर देशमें जमीदारियाँ खत्म कर दी जाएँगी। किसान जमीनके मालिक होंगे। देशका शासन उनका अपना होगा। स्वतन्त्र भारतमें किसान और मजदूरोंका राज्य होगा। फिर क्या था, सच्चे, ईमानदार किसान स्वतन्त्रताके युद्धके महान् शक्तिशाली अङ्ग बन गए। वे सोने चांदीके टुकड़ोंसे कब खरीदे जा सकते थे। वे तो उनके लिए कंकड़-पत्थरके समान थे।

संसार हैरान हो गया कि अशिक्षित किसानोंमें कैसी जर्वर्दस्त राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। उन्होंने कोसों नंगे पैर चलकर और चने खाकर निर्वाचनमें कांग्रेस प्रतिनिधियोंको जमीदारोंके विरोधमें मत दिए। करोड़ों किसानोंने इस निर्वाचन में जमीदार और अधिकारियोंकी घुड़कियाँ और अत्याचारोंकी जरा पर्वाह नहीं की। बारदोलीमें किसानोंने अपने संगठन और

दृढ़ निश्चयका जो परिचय दिया, उसे देखकर विदेशी सत्ताको अनुभव हुआ कि अब वह इस देशमें न टिक सकेगी।

स्वतंत्रताके आखिरी युद्धमें किसानोंने जो विद्रोह किया वह भारतीय स्वतंत्रताके इतिहासकी अमर घटना है। स्वतंत्रताकी प्राप्तिमें किसानोंका सर्वोपरि भाग है। किसानोंका जीवन स्वतन्त्रता प्राप्तिमें मुख्य साधन बना। गांधीजीने कृपक वेश भूपामें अपना जीवन व्यक्त किया और वह भारतका लड़ाका योद्धा सरदार बल्लभ भाई पटेल वैरिस्टर, महान् राजनीतिज्ञ और राष्ट्रका अग्रगामी नेता होने पर भी अपनेको किसान प्रफुट करनेमें सदा गौरवान्वित हुआ।

कांग्रेसने प्रादेशिक धारा सभाएँ और केन्द्रीय शासनमें जबसे प्रवेश किया, उसका लक्ष्य किसानोंका हित रहा। अंग्रेजों के रहते-रहते भी कांग्रेसी प्रतिनिधियोंके प्रयत्नोंसे धारा सभाओं द्वारा किसानोंके सम्बन्धमें अनेक कानून स्वीकृत हुए। जहाँ उन्हें क्षणसे मुक्त किया गया, वहाँ जमीन पर दनके अधिकार, वेदखली और लगान आदिके सम्बन्धमें अनेक कानून स्वीकृत किये गए। इन सुधारोंसे किसानोंके जीवनमें एक बारगी परिवर्तन हुआ। ग्रामके महाजन और जमीदार दोनोंके प्रहारोंसे उन्होंने राहत पाई।

स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर कांग्रेसने जमीदारी उन्मूलनका कार्य शापमें लिया। देशकी नाजुक अवस्था होने पर भी कांग्रेसी शासनने इस ओर दुर्लक्ष नहीं लिया। उत्तरप्रदेश विहार और

मध्यप्रदेश जमींदारी उन्मूलनमें आगे आए। भारतीय विधानके निर्देशनके आधार पर मुआवजा देकर जमींदारी विनाशके कानून विहार, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेशमें स्वीकृत हुए। किन्तु इस बीचमें जमींदारवर्ग किसानोंका हितैषी बना और उसने यह प्रचार किया कि जमींदारी प्रथाके विनाशसे किसानोंका कोई हित न होगा। किसानोंका हित जमीदारोंके हाथमें सुरक्षित है। पर वह ताशका किला समयके पूर्व ही डह गया। नए निर्वाचनमें जमींदारोंको मत न देकर यह वता दिया कि अब वे स्वयं अपने भाग्यके निर्माता हैं। जमींदारोंकी कानूनी अड़चनें भी कारण न हुईं। विधानमें जो कुछ कमी थी, वह दूर की गई और सर्वोच्च कार्यालय द्वारा जमींदारी विलीन संबंधी कानून वैध घोषित हुआ। इस दिशामें उत्तरप्रदेश सबसे आगे रहा। विहार और मध्यप्रदेशमें भी जमींदारियोंका अंत हुआ। बंगाल और आसाम भी इस प्रथाको मिटानेमें आगे बढ़े। पंजाब और पटियाला राज्य संघके अतिरिक्त रियासती संघोंमें राजस्थान, मध्यभारत और सौराष्ट्र आदिमें जमींदारियाँ आखिरी साँसें लेने लगीं। इस प्रकार समस्त भारतमें करोड़ों किसान जमीनके मालिक बने।

## किसान स्वयं अपने पैरोंपर स्वडे होगे

ग्रांड ट्रैक रोडसे ३॥ मीलकी दूरी पर अवस्थित परवा ग्रामके बच्चे तक यही शब्द कहते सुनाई देते हैं। परवा एक मामूली गांव नहीं है। वहाँ नगरसे दूर बंजर भूमि पर वसे ३५ शरणार्थी परिवार यह सिद्ध करनेका प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्होंने सहकारी प्रयोगोंके रूपमें देशकी समस्याओंका नया उत्तर पा लिया है।

उन्होंने स्वयं अपने प्रयोगोंसे, और सरकारसे थोड़ीसी मदद लेकर, एक सहकारी समितिकी स्थापना की है। जमीनसे लेकर घर और ट्रैक्टर तक उनकी प्रत्येक वस्तु समितिके सदस्योंकी संयुक्त मिलियत है और वे जो भी काम करते हैं, उनमें सभी लोग दाध धैंटाते हैं। उनका उद्देश्य एक ऐसे आदर्श समाजकी स्थापना करना है, जो इस बातका ज्वलंत उदाहरण बन सके कि यदि भारतीय लोग मिलकर और अपने साधनों तथा शक्तियों संगठित करके काम करें तो वे क्या नहीं कर सकते हैं।

अन्य अनगिनत शरणार्थियोंकी तरह परवा ग्रामके इन निवासियोंको भी १९४७में पाकिस्तानसे निक्षमणके समय अपना सब सामान और धन अपने पूर्व गांवोंमें ही छोड़ देना पड़ा था। किन्तु उन्होंने पुनर्वासके लिए भारत सरकारकी ओर मुंद नहीं ताका। इसके विपरीत, उन्होंनि पेप्यू सरकारके समझ

एक ऐसा परीक्षण करनेका सुझाव रखा, जिससे लगभग २०० व्यक्ति एक संयुक्त परिवारके रूपमें रह कर काम कर सकें।

अप्रैल १९५० सें, पेप्सू सरकारने उन्हें ४०,००० रुपयेका कृष्ण और परवाके परित्यक्त ग्रामके आसपासकी ५६५ एकड़ भूमि प्रदान की। जब इन शरणार्थियाँने उस ग्राममें प्रवेश किया, वह बिल्कुल खण्डहर पड़ा था और भूमि बंजर थी।

आज वहाँ मिट्टीकी ढहती दीवालोंकी जगह इंटोंके नए पक्के मकान खड़े हैं, एक स्कूल, एक जनरल स्टोर्स; औजारोंका एक कारखाना और अनेकों बाड़े खुल चुके हैं। गांववालोंके पास १ ट्रैक्टर, १ कुद्री काटनेकी मशीन, ४ जमीनसे पानी निकालने के इंजन, ३५ बैल, १३ भैंसे, २ गाएँ तथा ७ अन्य पशु हैं। जमीनमें कपास, मक्का और गन्नेकी अच्छी फसल होने लगी है।

किन्तु यह परिवर्तन और प्रगति सरलतासे नहीं हुई। धनाभावके कारण वे लोग अभी बहुत कम जमीनको उपजाऊ बना पाए हैं। उनकी अब तककी सफलता बहुत धीरे-धीरे हुई है और उन्हें विकासके लिए अभी बहुतसी मशीनों तथा अन्य सामग्रीकी आवश्यकता है। इसके अलावा वे जिस जीवनका परीक्षण कर रहे हैं, उसमें भी उन्हें कई बार परिवर्तन करने पड़े हैं।

परवा ग्रामकी सारी व्यवस्था ४ व्यक्तियोंकी एक पंचायत द्वारा की जाती है। लोगोंमें काम बांटना, उत्पादन-सामग्रीको बेचना, माल खरीदना, बच्चोंके लिए शिक्षाकी व्यवस्था करना

और प्राम में व्यवस्था तथा अनुशासनको बनाए रखना सब इसी पंचायतका काम है।

प्रामभर्में, पंचायतने सब ग्रामवासियोंके लिए एक ही लंगर चालू करनेका प्रयत्न किया। इससे उसका उद्देश्य समयकी वचत फरना था ताकि प्रत्येक पुरुष अपना सारा समय खेतोंमें लगा नके और किया पहिनने और बेचनेके लिए कपड़ा बुन सकें। किन्तु एक लंगरमें भिन्न-भिन्न रुचिके लोगोंके लिए भिन्न-भिन्न पदार्थ तैयार करना सम्भव नहीं था, अतः बादमें इस प्रयत्नको छोड़ दिया गया।

दूसरा परिवर्तन शादियोंके घारेमें था। पहले यह निश्चय किया गया कि किनी शादी पर १०० रुपएसे अधिक व्यय नहीं किए जायेंगे और न कोई दोज दिया जाएगा। ग्रामवासियोंकी एक सभामें यह विचार व्यक्त किया गया कि परिवारके निजी गामलोंमें इस प्रकारका एकाधेष्य करना उचित नहीं है। इस पर पंचायतने शादीके गामलोंमें नवको स्वतन्त्रता दे दी।

किन्तु दर्तमान परिभितियोंमें परवा ग्रामके निवासियोंने जो परीक्षण किया है, उनमें वे अब तक पर्याप्त सफल रहे हैं। ग्रामके मुमिया घरद्वीप निहते थताया “मेरे सब आदमी मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। वे मेरी बात मानते हैं, मैं उनकी बात मानता हूँ। वे मेरे लिए और मैं उनके लिए काम करता हूँ। यद्यपि ऐसनेमें इस धनेक है, पर अनल ने एक है।”

भोर होते ही, परवा ग्रामके पुरुष खेतोंमें चले जाते हैं और स्त्रियाँ चर्खा कातने बैठ जाती हैं। इह बच्चे सुबहका समय ग्रामकी पाठशालासें बिताते हैं और बादमें उन्हें मवेशियोंको नहलानेका और उनकी देखभाल करनेका काम सौंपा जाता है।

तीसरे पहर पुरुष तो कुछ घण्टे ग्राम सुधारका काम ( यथा नई इमारतें बनाना ) करते हैं और स्थियाँ शामका खाना अथवा घरका अन्य काम करती हैं। रातको लोग एक जगह बैठकर आपसी समस्याओं पर विचार करते हैं, गाना गाते हैं और रेडियो सुनते हैं।

सहकारी स्टोर गाँवकी हलचलोंका मुख्य केन्द्र है, जहाँ ग्रामवासियोंको दैनिक आवश्यकताकी सभी वस्तुएँ बिना नकद रूपया दिए मिल जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति सावुनकी टिकिया लेना चाहता है, तो उसके हिसाबमें उस टिकियाके पैसे लिख लिए जाते हैं और फसल कटने पर उधारकी सब रकम जमा करके हिसाब साफ कर लिया जाता है। हिसाबके बाद यदि कोई रकम बच जाती है तो उसे सब परिवारोंमें समान रूपमें बांट लिया जाता है।

अब तक सहकारी स्टोरको बहुत कम बचत हुई है। परवा ग्रामके निवासी यह अनुभव करते हैं कि आदर्श ग्रामके निर्माण का उनका कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है। उन्होंने निकट भविष्यके लिए जो योजनाएँ तैयार की हैं, उनमें एक विशाल खेतीका निर्माण कलों, कोयले तथा लकड़ीकी उपलब्धिके लिए

५,००० पृष्ठोंका लगाना, एक नया ट्रैफ्टर खरीदना तथा नल-  
यूप लगाना भी शामिल है।

कार्यक्रम बड़ी-बड़ी आकांक्षाओंसे पूर्ण है। उनके मार्गमें  
अनेकों कठिनाश्यों आ चुकी हैं और अनेकों आयेंगी। किन्तु  
वे उन पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। परवा प्राप्तके निवा-  
रियोंको इस यात्री प्रज्ञन्नता है कि उन्होंने हालमें ही पेस्यू  
सरकारके प्रृणको पहली किल अदा कर दी है।

---

## आदर्श ग्रामकी रचना

भारत बस्वई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिलीमें नहीं बसा है। वह तो सहस्रों ग्रामोंमें बसा है। पर आजके ग्राम, ग्रामीणोंकी अवस्था,—अर्थात् उनका रहन-सहन और वेश-भूषा देख-कर कोई क्या कल्पना कर सकता है। योरपके ग्रामोंको जाने दीजिए। उन देशोंके ग्रामोंको देखिए, जो कल तक असभ्य और जंगली थे, उन्होंने कैसी आश्चर्यजनक उन्नति की। उन्होंने हरएक ग्रामको अपने परिश्रम और अध्यवसायसे स्वर्ग बना दिया।

पर भारतके किसान हठ, दुराग्रह और पिछड़े जीवनमें रहनेके लिए बड़े प्रसिद्ध है। वे बड़ी पराजय और घातक मनो-वृत्तिके हैं। नये विचारोंको अपनानेके प्रति उनकी कोई भावना नहीं होती है। आत्मनिर्भरतामें वे पीछे हैं, और अपनी सहायताके लिए सदा दूसरोंपर निर्भर रहते हैं। सहयोगपूर्ण जीवन, जातीय भावना और एकताका उनमें सर्वथा अभाव है।

आज भी किसानोंमें ऊँच-नीचका भेदभाव मौजूद है, धार्मिक रूढ़ियाँ और सामाजिक रीति-रिवाजोंके पालन करनेमें वे बड़े कट्टर हैं, कलह, फूट और झगड़ोंके आगार बन गए हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंके सभी सद्गुणोंको खो दिया। पूर्व पुरुष दूसरोंके हितके लिए अपना स्वार्थ त्याग करनेमें पीछे नहीं रहते थे। गाली बकना, मारपीट करना और दूसरोंको कष्ट पहुँचाना

## आदर्श-ग्राम



१. गंडे के गढ़, २. गाम-भाजी का बगीचा,
३. पासों का सायन, ४. गंडे के रोत
५. घर, ६. नारियल के गढ़, ७. चातरा पर,
८. परोटो के वृक्ष, ९. मछली का तालाब
१०. घोंस के मालान पर चातरा,
११. उमरवेल, १२. उमरवाई (किंवाई का सायन), १३. डंगा (किंवाई का सायन)।

# अन्नपूर्णा भूमि—



किसानों का लगान जमा करना



सामुदायिक योजना का श्रीगणेश

पुराने ममयके लोग पाप मानते थे। वे उसे अधर्म समझते थे। अर्थ केवल नीर्थयात्रा और पूजा-पाठमें ही नहीं है, वह तो भनुष्यको अचले आचरणसे प्राप्त होना है। जिस भनुष्यका परोपकारपूर्ण जीवन होता है, उसे लोग नदैव स्मरण करते हैं, ऐसे पुण्य घंटनीय हैं, वे अपने प्राम, समाज और देशमें सन्मान पाते हैं। यानेका तात्पर्य यह है कि यह आदर्श प्राप्त है, जहाँ दिमान कर्मयोगी हैं, पुरानी रुद्रियोंका परिस्त्यान कर जमाने के साथ पल्से हैं, और न तो कलह प्रिय हैं और न कभी अदालतोंमें जाते हैं।

किमानेकि धाप-दादे घंटियाँ और निर्जहं पहनते थे। पर आज दिमान कमीज और कोट पहनते हैं, साइकिल और टार्च-साइटका उपयोग करते हैं। यह सब एका प्रकट करता है। यही न कि नमवने उनसे पुरानी चीजें छुड़ा दी और नई चीजें उपलब्ध हों। आज वे उन्हीं रेल गाड़ियोंमें बैठते हैं, जिनमें दृढ़े हुए पात्रियोंको फोर्ड यह नहीं पूछता कि वे किस जानिके हैं। एकी गो यह चिना रहती है कि फहीं घंटनेके लिए धोड़ा-सा स्थान मिल जाए। अद्यतय नभी यर्षके लोग एक साथ बैठते हैं। इस प्रकार नए साधनोंमें हमेंसे हुआदूतका भेदभाव निटा दिया। इसलिए प्रामोंमें भी वह भेदभाव नहीं रहना चाहिए। प्रामोंकि हुर्म, देवालय और दिवालय, संघायत-ग्रह गुप्त अन्य स्तर्यासामिल रथान भगवानके दलाव हुए सभी भनुष्योंहि लिए हैं—सारे हि किसी दर्जहो हैं। भनुष्योंमें भेद फरक्ता

महान् पाप है। ऐसी भावना धर्मपर कलङ्क लगाती है। जब हमसे से लोग विधर्मी बन जाते हैं, तब हम उन मुमलमान और ईसाइयोंसे परहेज नहीं करते, उन्हें घरोंमें विठाते हैं, उनसे खाने-पीनेकी चीजें खरीदते हैं, तब फिर हम कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं कि राम और कृष्णका नाम लेनेवाले अछूतोंको हीन समझें, उन्हें कुँओंपर न जाने दें, और मंदिरोंमें उनका प्रवेश न होने दें। हम राम और कृष्णका नाम लेते हैं, पर वह नाम लेना तब तक बेकार है, जब तक कि हम रामके उपदेशोंपर न चलें। रामने शवरी और निषादको अपनाया, जो हीन जातिके थे और उस विद्वान् ब्राह्मणसे युद्ध लड़ा जो समाजके लिए कलंक था। अतएव मनुष्य जातिसे नहीं, गुणोंसे पूजनीय होता है। अतएव नवीन ग्राम रचनामें भारतीय किसानोंको सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे नवजीवनमें पदार्पण करना है।

जब तक ग्रामके किसान सभ्य, सुशिक्षित, सुसंस्कृत और एकताके भावांके प्रतीक न हों, तब तक ग्रामोंकी उन्नति कभी सम्भव नहीं है। आदर्श ग्राम तभी निर्माण हो सकते हैं, जब कि उसमें निवास करनेवाले किसानोंका जीवन भी आदर्श-मय हो।

समय किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता। यदि आज भी किसान न सम्भले, और संसारकी दौड़में पीछे बने रहे, तो अपना विनाश स्वर्य करेंगे। केबल धन-दौलत, सम्पदा और जायदादसे न तो कोई मनुष्य बड़ा बनता है और न वह ग्राम तथा देश महानता

प्राप्त करना है। यिना मानविक सुधार हुए यह कभी संभव नहीं है कि प्राप्त आना अस्युद्य पर सकें।

चिल्लु भारतीय प्रामोऽि इन विद्वगको गिटानेमें छुट्ट प्राप्त आये थहे हैं। वे अपना नवा विद्वग निर्माण कर रहे हैं। यह नों कभी जानते हैं कि भारतीय प्रामोंमें मानव-शिवाला अभाव नहीं है। आवश्यकता केवल यह है कि इस शक्तिका उचित उपयोग हो। यदि प्रामोंकी मानव-शक्तिमें नवजीवन उत्पन्न हो और यह मामानिक बोजनाओंको अप्रत्यक्ष करनेमें सहायक हो तो वह निश्चय नकलना चाहिए कि उसके द्वारा आदर्श-बनक पार्श्व परिवर्ण हो सकते हैं। कहना न होगा कि प्रामोंमें लोगोंति प्रबलार पर लिया गया है। उन्होंने अपने ही प्रबलोंसे अपने प्रामोंको नवा बनाया। वे अपने प्रामके नवजीवनमें परसुरामेवी नहीं रहे। उन्होंने किसीकी सहायता और नह्योग पी प्रामना नहीं की। अपने ही वृत् और शक्तिसे अपने प्रामको नमूनेवा प्राप्त बनाया और उन्होंने संसारको बता दिया कि अनुष्ठ अपने परिवर्मसे प्रदा नहीं पर सकता है। उन्होंने अपने प्रामकी भड़के नैवार रखी। विद्यालयका पक्ष सद्वान बनाया, वंशावल-पर्खा निर्माण किया, पर्खे कुर्द बनाय, बगीचा बढ़ा किया, ऐसी री नह दूड़ लगाय, और भस्त्र तथा रक्षकना पर-परमें रखी। परने गोक्कलरे लायार पर यह काम एक प्राण-नय होता एक लिया। सद प्रामोंने एक तपासे काममें छुट रहे। विद्यापूर्वक और नामृद्धि सदके गोलापुर प्रामके

किसानोंका इस प्रकार आगे बढ़ना भारतके अन्य ग्रामोंके लिए नेतृत्व पूर्ण हुआ। यहाँ आकर एक बार देखिए कि किसानोंने पिछड़े हुए ग्रामको प्या कर दिखाया है। ग्रामीणोंके लिए यह तीर्थ बन गया है। इस ग्रामको देखकर लोग आशान्वित और प्रसन्न होते हैं, और यह सोचते हैं कि यदि शोलापुरके समान भारतके अन्य ग्राम और जिले अपने प्रयत्न और साधनोंसे आगे बढ़े तो भारत एक नया भारत बन सकता है। तब निकट भविष्यमें ही इस देशके तीस करोड़ मानवोंमें नए जीवनका सचार हुए बिना न रहेगा। उनके इन प्रयत्नोंसे देखते-देखते देश और समाजकी काया पलट हो जाएगी। उस समय सारी व्यवस्थाएँ ही बदल जाएँगी। प्योंकि किसान ही सब उन्नतिके श्रोत हैं।

शोलापुर जिलेके ग्रामोंके किसानोंने एक वर्ध अर्थात् अक्तूबर १९५० से सितम्बर १९५१ के मध्यमें स्वेच्छापूर्वक अपने ही प्रयत्न और साधनोंसे ४११ स्कूलोंके मकान बनाए, जिनमें १९२७ कमरे हैं, और १४४ पुराने स्कूलोंकी मरम्मत की। ४१ मील लम्बी पक्की सड़क नई बनाई और १२६ मील पुरानी कच्ची सड़ककी मरम्मत की। १३ धर्मशालाएँ नई बनाई और ३५ की मरम्मत की। ५ पुस्तकालय बनाए, १७ व्यायामशालाएँ बनाईं, १६५ देव मन्दिरोंकी दुरस्ती की, १७ शौचगृह तथा प्रत्येक ग्रामके अनुपातसे ३३२७ खाद तैयार करनेके गड्ढे तैयार किए। १९२४ वृक्ष लगाए, ३५ पानी पीनेवाले कुओंकी मरम्मत की और इससे

दुगुने नए कुएँ बनाए, वर्षाके जलको ग्रामोंमें रोकनेके लिए ४१ ग्राम बान्ध खड़े किए गए और कंक्रीटका एक पुल बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक जीवनको एकताका आदर्श प्रकट किया और इस दृष्टिसे २६५४ मामले आपसमें तय किए। दो कृषि योजनाओंके विस्तारके लिए १०५०० रुपएकी सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त इन ग्रामीणोंने अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी प्रगति इन अंकोंसे कहीं अधिक बढ़ गई है। पर यहाँ हमने जितने कायाँका उल्लेख किया है, यदि वे स्वेच्छापूर्वक न होते तो उनके व्ययमें करीब एक करोड़ रुपए व्यय होते। पर शोलापुरके किसानोंने अपने श्रमसे ही यह सब कर दिखाया।

---

## ग्राम विकासके पथमें

महात्मा गांधी भारतके लिए राम-राज्यका स्वप्न देख रहे थे। राम-राज्यसे वापूका मतलब था प्राचीन कालके उन सुन-हरे दिनोंका, जब देश धन-धान्यसे परिपूर्ण था, किसीको भी अन्न-वस्त्रका कष्ट न था, परिवार गांवके लिए था, गांव जिलेके लिए, ज़िला सूबेके लिए और सूबा देशके लिए। राम-राज्य गांधीजीके लिए विश्वासकी बस्तु थी।

१५ अगस्त, १९४७को भारत विदेशियोंके निरंकुश शासनसे तो मुक्त हो गया, पर गरीबी और अभावसे मुक्ति पाना अभी भी उसके लिए शेष रहा। विदेशियोंके हाथसे शासन-सत्ता प्राप्त करके हमारे जन-नायक अभी उसे पूरी तरहसे सँभाल भी न पाए थे कि विभाजित देशके दोनों ओर भयंकर सांप्रदायिक कलहकी आग लग गई। शरणार्थियोंका तांता बँध गया और हमारे ८० लाख भाई-बहनोंको अपनी तथा अपने पूर्वजोंकी कमाई हुई सारी पूँजी पाकिस्तानमें छोड़कर प्राणोंकी रक्षाके लिए भारत भाग आना पड़ा। इन लाखों शरणार्थियोंको तो भोजन, वस्त्र और आश्रय देना ही था। इसके साथ ही इनके लिए जीवनशापनकी व्यवस्था भी करनी और भविष्यके लिए आशा बँधानी थी। इसी बीच युद्ध-विध्वस्त राजकीय यंत्रको ठीक करना था। रेलों, डाक, तार, जहाजों, सड़कोंपर चलने-वाली गाड़ियों आदिका सुधार करना था। अन्न-प्राप्तिकी भी

व्यवस्था करनी थी। विदेशी नौकरोंके चले जानेपर नए आद-मियांको तरक्की देकर शासन-व्यवस्था भी सँभालनी थी। यह सब किस कठिनाईसे हुआ, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है।

### सामुदायिक विकास-योजनाका उद्देश्य

सबसे बादकी जन-गणनासे ज्ञात हुआ है कि भारतकी कुल-जनसंख्याका ८२-५ प्रतिशत भाग गाँवोंमें रहता है। लोकतन्त्र वहुसंख्यापर निर्भर होता है। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारत-सरकार वहुसंख्यक ग्रामीण जनताकी भलाईके लिए विशेष रूपसे सोचती और कोई सुयोजित परिकल्पना तैयार करती। सामुदायिक योजना इसी अभिप्रायसे बनाई गई है। उसके उद्देश्यकी व्याख्या यों की गई है : सामुदायिक विकास-योजना का उद्देश्य होगा योजनाके अन्तर्गत पड़नेवाले इलाकेके पुरुषों, महिलाओं व बच्चोंके 'जीवित रहनेके अधिकार' संस्थापनमें एक मार्ग-प्रदर्शक व्यवस्थाके रूपमें सेवाएँ प्रदान करना; किन्तु कार्य-क्रमकी प्रारम्भिक अवस्थाओंमें इस उद्देश्यकी पूर्तिके मुख्य साधन खाद्यकी ओर सर्व प्रथम ध्यान देते हुए। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जिन वातोंकी व्यवस्थाकी ओर सर्व प्रथम ध्यान देनेकी आयश्यकता है, वे हैं (क) खेती-वाड़ी और उससे संबंधित क्षेत्र, उपलब्ध अनजुटी तथा परती भूमिका खेतीके लिए सुधार, सिंचाईके लिए नहरों, ट्रूवरैल, देसी कुओं, नालों आदिकी व्यवस्था ; उत्तम कोटिके बीज ; खेतीके अधिक अच्छे तरीके;

पशु-चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता ; खेतीके अच्छे औजारोंका प्रबन्ध ; पैदावार बेचनेके लिए हाट-व्यवस्था तथा ऋणोंकी सुविधा ; पशु-पालनके लिए पशु-प्रजनन-केन्द्रोंकी व्यवस्था ; अन्तर्देशीय सछली व्यवसायका विकास ; खुराक-व्यवस्थाका पुनर्संगठन ; फलों व सब्जियोंकी खेतीका विकास ; मिट्टीके सम्बन्धमें खोज ; पेड़-पौधोंकी खेती और बन रोपण तथा इन कार्योंके परिणामकी जांचके लिए व्यवस्था ; (ख) संचार-साधन, सड़कोंकी व्यवस्था ; यांत्रिक सड़क-परिवहन-सेवाओंको प्रोत्साहन और पशु-परिवहनका विकास ; (ग) शिक्षा ( प्रारम्भिक अवस्थामें अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाकी व्यवस्था ; हाई और मिडिल स्कूलोंकी व्यवस्था ; सामाजिक शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवाओंकी व्यवस्था ) ; (घ) स्वास्थ्य ( सफाई व जन-स्वास्थ्य-व्यवस्था ; वीमारांके लिए चिकित्सा-सहायता ; गर्भवती स्त्रियोंकी बच्चा पैदा होनेसे पहले और उसके बादकी देखभाल : दाइयोंका प्रबन्ध ) ; (ङ) प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ( मौजूदा कारीगरोंको अधिक कुशल बनानेके लिए रिफ्रेशर कोर्स ; खेतिहरोंकी ट्रेनिंग ; कृषि-विस्तार सहायकोंकी ट्रेनिंग ; सुपरवाइ-जरोंकी ट्रेनिंग ; कारीगरोंकी ट्रेनिंग ; प्रबन्ध-कार्य सँभालनेवाले स्वास्थ्य-कर्मियोंकी ट्रेनिंग तथा योजनाओंके लिए एकजीक्यूटिव-अफसरोंकी ट्रेनिंग ; (च) नियोजन या काम : मुख्य या सहायक धंधोंके रूपमें ग्राम-उद्योगों व शिल्पोंको प्रोत्साहन ; फालतूआदमियोंको काममें लगानेके लिए छोटे-मोटे उद्योग-धंधोंको

प्रोत्साहन , आयोजित वितरण, व्यापार, सहायक तथा कल्याण-कारी सेवाओं द्वारा काम दिलानेकी व्यवस्था ); (छ) आवास-व्यवस्था ( देहातमें घर बनानेके लिए अधिक अच्छे तरीकों और डिजाइनोंकी व्यवस्था ; शहरी इलाकोंमें मकान बनवानेकी व्यवस्था ); (ज) सामाजिक कल्याण ( स्थानीय बुद्धि-बल व सांस्कृतिक साधनोंकी सहायतासे जन-समुदायके मनोरंजनकी व्यवस्था ; शिक्षा व मन बहलानेके लिए दिखाए-सुनाकर समझानेकी ( श्रव्य-दृश्य ) व्यवस्था ; स्थानीय तथा अन्य प्रकारके खेल-कूदका प्रबन्ध ; मेले लगवाना ; सहकारिता तथा 'अपनी मदद आप'-आनंदोलनोंका संगठन ।

ऊपरकी सूचीसे स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक योजनामें आनेवाले कार्योंका क्षेत्र काफी व्यापक है । यह भी स्पष्ट है कि केवल सरकारके बलपर सारा कार्य नहीं किया जा सकता । यह सत्य है कि गाँववालोंको खेती-वाड़ीके लिए नए तौर-तरीकों, पैदाचार बेचनेके लिए संचार-साधनोंके समुचित विस्तार और खाली समयके सदुपयोगके लिए छोटे-मोटे धंधों तथा भलाईके अन्य उपायोंकी आवश्यकता है । वर्तमान वित्तीय साधनोंसे सरकारी शाखाएँ विकासकी उन आवश्यक वातोंके लिए ही सहायता दे सकती हैं, जिनका सम्बन्ध सारे जन-समुदायसे हो और जिनके खर्चमें गाँववाले भी नकद देकर या परिश्रम करके हाथ बँटानेके लिए तैयार हों । व्यक्तियों या व्यक्तियोंके दलोंकी सहायता केवल आंशिक रूपमें ही हो सकती है । अतएव यह

साफ हो जाता है कि गाँवोंके विकास कार्यका अधिक भार गाँववालोंको ही उठाना होगा। तो पहले गाँववालोंको ही निश्चय करना है कि उन्हें सबसे अधिक किन-किन चीजोंकी जरूरत है और किस क्रमसे उन्हें किया जाय।

### अमरीकी टेक्निकल सहयोग

सामुदायिक-योजनाओंका आयोजन बड़ौदा, मद्रास, इटावा तथा गोरखपुरकी ग्राम्य-विकास योजना, पुनर्संस्थापनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न नीलोखेड़ी तथा फरीदाबादकी ग्राम्य व शहरी विकास-योजनाओं और समय-समयपर किए गए अन्य प्रयोगोंसे प्राप्त अनुभव तथा प्रेरणाके आधारपर किया गया है। इन योजनाओंमें से कोई भी ऐसा नहीं है, जो अपनेमें स्वयं पूर्ण हो। इसलिए सामुदायिक विकास-योजनाको हम भारत तथा विदेशोंमें प्राप्त अनुभवोंके एकीकरणका एक प्रयास मात्र रखते हैं। देशकी वर्तमान अर्थ-व्यवस्थामें, सामुदायिक योजनाका आयोजन भारत और अमरीकाके बीच हुए औद्योगिक ( टेक्निकल ) सहयोगके समझौतेके कारण संभव हुआ है। इस समझौतेके अधीन भारत-भरके राज्योंमें कोई ५५ योजनाएँ आरंभ की गई हैं। इन योजनाओंके अन्तर्गत लगभग १६,५०० गाँव तथा १२० लाख जन-संख्या आती है। अमरीकी सरकारको इस दिशामें—विशेषकर कृषि-सम्बन्धी क्षेत्रमें—काफी अनुभव प्राप्त है और इस कार्यमें हमारी सहायता करनेके लिए इसने अपना हाथ बढ़ाया है। आयोजनको क्रियान्वित करनेके लिए

उसने धन, सामग्री तथा औद्योगिक टेक्निकल सहायता द्वारा हमारे अपने साधनोंको बढ़ाने और बढ़ाकर उन्हें इस कार्यकी पूर्ति के लिए जुटानेका अवसर दिया है।

## गांववाला ही असली मालिक

सामुदायिक-योजना हमारे लिए एक आर्थिक कार्यक्रम और नवीन लोकतंत्रकी अभिव्यक्ति दोनों ही है। आज हम हर साल लगभग ३०० करोड़ रुपये मूल्यकी विदेशी मुद्रा वाहरी देशोंसे अन्न मंगानेमें खर्च करते हैं। ५५ सामुदायिक योजनाओंमें खर्च होनेवाली रकमकी यह रकम सत्तगुनीसे अधिक है। अतएव इस आयोजनके फल-स्वरूप जो भी अतिरिक्त अन्न पैदा होगा, उससे विदेशोंको अन्नके मूल्यके रूपमें भेजी जानेवाली यह भारी रकम कम होगी और इस प्रकार जो भी रुपया बचेगा, वह लोगोंके लिए अधिक माल तैयार करनेके लिए देशी उद्योग-धंधोंके विकासमें खर्च किया जा सकेगा। पर इस कार्यक्रमका केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है। इसके द्वारा भूमिपर काम करनेवाले करोड़ों व्यक्तियोंको सामाजिक सुधारका भी अवसर प्राप्त होगा। जैसे-जैसे आयोजनका काम आगे बढ़ेगा, गांवोंके लोग समझने लगेंगे कि लोकतन्त्रात्मक शासनका अर्थ उराने समयकी तरह जोर-जबरदस्ती करनेका नहीं है। जब वे देखेंगे कि डाक्टर, पशु-चिकित्सक, सफाईका इंस्पेक्टर, खेती-बाड़ी-सम्बन्धी सुपरवाइजर और पुलिस सभी उसकी मददके

लिए हैं, तब गाँववालोंकी समझमें आयगा कि अपने भविष्यका एकमात्र निर्माता वह स्वयं है।

सामुदायिक-योजनाका बृहत् प्रयास इस धारणासे प्रेरित है कि अपने बाहुबलसे मनुष्य क्या नहीं कर सकता—अर्थात् वह सब कुछ कर सकता है। भारतके पास विपुल साधन हैं, जिन सबको जुटाकर वह इस महान् कार्यको पूरा कर सकता है, किंतु कठिन परिश्रम करके ही। स्पष्ट है कि भूख, रोग और अज्ञान का विनाश मंत्रों द्वारा नहीं किया जा सकता और न रो-चिला-कर अथवा एक-दूसरेकी भर्त्सना करके ही। उसे पूरा करनेके लिए पसीना और आँसू चाहिए। कठोर परिश्रमके कारण जो आँसू निकलते हैं, उनमें अपनी एक पवित्रता होती है। राम-राज्य इस देशके महाजनोंकी कई पीढ़ियोंके पसीनेपर ही आधारित था। यदि उस ऐश्वर्यको फिर लाना है, तो आगे आनेवाली कई पीढ़ियोंको कठिन परिश्रम करना होगा। शायद यही सोचकर हमारे प्रधान मन्त्रीने कई साल पहले कहा था कि ‘इस पीढ़ीको कठिन परिश्रमकी सज्जा मिली है।’ सेंकटके दिनों में भारतने अनेक बार मार्ग-प्रदर्शन किया है। यदि एक बार फिर वह अपनेको सुव्यवस्थित रूपमें पुनर्निर्मित कर सका, तो वहुतेरे देशोंके लिए वह आदर्श बन सकेगा और हो सकता है कि इस प्रकार वह ‘नवीन संसार’ के लिए ‘चिश्व-राज्य’ का द्वार खोल सकनेमें भी सहायक होगा।

## सामूहिक योजनाकी प्रगति

सम्बद्ध राज्यों द्वारा दी गई जानकारीके आधार पर सामूहिक योजना-प्रशासनने सामूहिक योजनाकी ह महीनों ( अक्टूबर १९५२ से जून १९५३ ) की प्रगति और सफलताके विषयमें जो विवरण तैयार किया है, उससे ज्ञात होता है कि इस कार्यक्रममें लोगोंने भी लगभग उतना ही धन लगाया है, जितना सरकारने । २ अक्टूबर, १९५२ को जिन ८१ विकास-क्षेत्रों ( ब्लाकों ) में काम शुरू हुआ था, उनमें इस अवधिमें ११६.७६ लाख रुपए सरकारने और १०.६२८ लाख रु० लोगोंने लगाए । लोगों द्वारा लगाई गई इस रकममेंसे लगभग ४८.३६ लाख रु० की सहायता श्रमके रूपमें और ६०.२६ लाख रु० नकद और भूमि आदिके रूपमें दिया गया । प्रगतिका विवरण देखनेसे ज्ञात होता है कि इस कालके आखिरी ३ महीनोंमें काम अपेक्षाकृत अधिक हुआ । निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा कि पहले ६ महीनोंमें कितना काम हुआ और कुल तौ महीनोंमें क्या प्रगति हुई—

खादके लिए खोदे गए गढ़े	४३७६१	८००६१
रासायनिक खादका वितरण	६०१३५	मन २८६८० मन,
		६०८३३ वोरी
प्रदर्शनोंके लिए खोले गए फार्म	८२	४३४
फलोंकी खेतीवाला इलाका	६,२७७	एकड़ ६,४७८ एकड़
तरकारियोंकी " "	३,५५३	" ६,१३७ एकड़

परती भूमिका सुधार	२१,०५७	एकड़ ३५,४३७	एकड़	
सीची गई अतिरिक्त भूमि	२४,७७६	,,	६८,६८६	एकड़
नस्ल-सुधार और कृत्रिम				
गर्भधारण-केन्द्र	६२	और ४	मुख्य १४१ और ४	
पशुओंको टीके लगाए गए	४,०३,३५८	६,२८,६७१		
गन्दा पानी सोखनेके गढ़े	११,१२८	१३,६६८		
नालियाँ	४१,०२३	गज	५८,१४६	गज
नए कुएँ	२०७		२०७	
कुओंकी मरम्मत	३८१		६८८	
बुनियादी शिक्षाके लिए पाठ-				
परिवर्तित पाठशालाएँ	७०		२०६	
नई पाठशालाएँ	४६४		१,०८६	
वयस्क शिक्षा केन्द्र	१,४२६		२,३५३	
वयस्क शिक्षार्थी	१७,७२८		३०,२८५	
पक्की सड़कें	६६	मील	६५	मील
कच्ची सड़कें	१६३२	मील	२१३३	मील
			और ३	पुल
कलाओं और शिल्पों द्वारा				
अतिरिक्त नियोजन	४६३		८११	
ग्राम्य कार्यकर्त्ताओं और दूसरे				
कर्मचारियोंका प्रशिक्षण	५८०		१,७५३	
गाँवोंमें बनाए गए मकान	४८८		६८५	

सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्योंमें नए स्कूलों तथा वयस्क शिक्षा-केन्द्रोंकी स्थापना, स्वास्थ्य व स्वच्छताकी और अधिक ध्यान, बढ़े पैमानेपर टीके व द्रवाइयोंके प्रयोग द्वारा वीमारियोंकी रोक-थाम आदि वारें सम्मिलित हैं। पशुओंकी चिकित्सा आदिका भी प्रबन्ध व्यापक रूपमें किया गया है। कर्ज देकर और कामके बेहतर तरीकोंकी द्रेतिंग देकर मौजूदा ग्रामोद्योगोंका सुधार किया गया है। सहकारी समितियाँ खोली गई हैं और कई जगह कर्ज-देवा सोसाइटियोंको बहु-कार्य कारिणी सोसाइटियोंमें बदल दिया गया है। लोगोंने सामूहिक कार्य-क्रमका स्वागत उत्साहके साथ किया है। सड़कों, नहरों, तालाबों, तथा स्कूलों, पंचायतघरों, स्वास्थ्य-केन्द्रोंके निर्माणके लिए लोगों द्वारा धन, सामग्री तथा श्रमके स्वेच्छापूर्ण दान बढ़ गए हैं। विभिन्न राज्योंमें हुए मुख्य-मुख्य कार्योंका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

### आसाम

गोलाघाट-मिकिर पहाड़ी-विकास-खण्डमें ७१ मील लम्बी सड़कें लोगोंने अपने-आप अपनी मेहनतसे बनाई हैं। इसी तरह दरंग-योजनाके पहले खण्डमें भी ( जुलाई, १९५३ तक ) १५६ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं।

### बिहार

एकनागरसराय-बड़वीघा-योजना-क्षेत्रमें वयस्कोंके लिए ११६ रात्रि-पाठशालाएँ खोली गई हैं। कई स्थानोंमें स्कूलों व

पुस्तकालयोंकी इमारतें गाँवबालोंने खुद बनाई हैं और २० मील कच्ची सड़कें तैयार की गई हैं। पूसा-समस्तीपुर-बेगूसराय क्षेत्रमें गाँवबालोंने १७५ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई हैं या उनकी मरम्मत की है, जिनके साथ १३ पुलिया भी शामिल हैं।

### बम्बई

कोलहापुर-योजनामें लगभग १ लाख व्यक्तियोंने गाँवोंकी सड़कोंका काम दिया। अनुमान है कि उन लोगोंने लगभग १,२५,००० रु० मूल्यका श्रम दान दिया होगा। इसके अलावा गाँवबालोंने इन सड़कोंके लिए लगभग १६,१५,७०० रु० मूल्यकी जमीन भी मुफ्त दी है। इस योजनाकी एक विशेषता नदियों पर सम्मिलित बांध-पुल बनानेकी भी है, जिनमें हरेक पर डेढ़-दो लाख रु० खर्च वैठता है। मेहसाना योजना-क्षेत्रके तीन गाँव विना किसी बाहरी सहायताके हाई-स्कूलोंकी इमारतें बना रहे हैं, जिनकी लागत लगभग डेढ़ लाख रु० होगी। बीजापुरमें लोगोंने एक अस्पतालकी इमारत बढ़ानेके लिए ४२ हजार रु० चन्द्रमें दिए हैं। पोथापुरके लोगोंने एक जन्म्चा-बच्चा-कल्याण केन्द्रके निर्माणके लिए २५ हजार रु० दिया है।

### मध्यप्रदेश

अमरावती-मोरसी-दरियापुर-योजनाके खण्ड १ के हर गाँव, खण्ड २ के अधिकांश गाँवों और खण्ड ३ के ५० प्रतिशत गाँवोंमें विकास-मंडलकी स्थापना की गई है। हर विकासमंडलने 'एमोनियम सल्फेट' नामक रासायनिक खाद्यका स्टाक रखनेकी जिम्मेदारी

ली है। हरियाना-किस्मके १० सॉडोंको गांववालोंने अपने खर्च पर रखना स्थीकार किया है और स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण व सुधारके लिए लोगोंने ४८ हजार रु० चंद्रमें दिए हैं। घरतर-योजनाके अन्तर्गत २७ मील कच्ची सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा निवासके लिए नमूनेके पांच पक्के मकान, पांच पक्के स्कूल और १८ पंचायतघर भी बनाए गए हैं। होशंगावाद-सोहागपुर योजनामें ३५३ नये पक्के कुएँ खोदे गए तथा १०७ पुराने कुओंकी मरम्मत की गई।

### मद्रास

इस्ट-गोदावरी-क्षेत्रमें सिंचाईके लिए एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है और इसमें किसानोंने लगभग ३५ हजार रु० की पूँजी लगाई है। सिंचाईका पानी विजलीसे चलनेवाले पम्पोंसे खींचा जाता है। मालमपूजा-क्षेत्रमें २० मील कच्ची सड़कें बनाई गई हैं और इनमें एक सड़कपर १० हजार रु० की लागतसे पुल भी बनाया गया है। कई स्वास्थ्य तथा वच्चा-ज़च्चा-केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

### उडीसा

भद्रक-योजना-क्षेत्रमें गांववालोंने अपने खर्चसे साढ़े १५ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई हैं। रसलकांडा-योजना-क्षेत्रमें कई सौ एकड़ ज़मीनमें अब सचियोंकी दूसरी फसल भी उगाई जाने लगी है। पहले इस ज़मीनमें सिर्फ खरीफ़की एक फसल होती थी और वादमें ज़मीन परती पड़ी रहती थी।

पंजाब

विभिन्न योजना क्षेत्रोंमें १६३ मील कच्चे और ६ मील पक्की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। पानीकी निकासीके लिए ६८ हज़ार फुटकी लम्बाईमें नालियाँ बनाई गई हैं और सड़कोंका २ लाख वर्गफुटका क्षेत्र भरा जा चुका है। फरीदाबादमें पालीसे छैसा तककी १७ मील लम्बी सड़क गांववालोंने ३ सप्ताहमें बना दी थी। सड़कके लिए ज़मीन गांववालोंने दानमें दी थी। मँझौलीमें एक बांध भी बनाया गया है। जगाधरीमें गांववालोंने ३ नई सड़कोंको ३० लाख घनफुट मिट्टीसे भरनेका काम पूरा किया। श्रम-दानके अलावा सड़कें बनानेके लिए गांववालोंने १० हज़ार रु० चन्दा इकट्ठा किया है। २६ स्कूलोंकी इमारतें बनाई जा चुकी हैं तथा और बनानेके लिए २८ हज़ार रु० इकट्ठा किया गया है। बटाला-क्षेत्रमें लोगोंने ६७ मील लम्बी नई सड़कें अपनी मेहनतसे बनाई हैं। इनकी जमीन तथा इनके लिए की गई मेहनतका मूल्य लगभग १० लाख रु० बैठेगा।

#### उत्तर-प्रदेश

देवरिया-क्षेत्रमें मई, १९५३ के श्रमदान-आन्दोलनके दिनों तथा बादमें ५१ तालाब खोदे और गहरे किए गए। अलमोड़ा-जिलेके गरुड़-क्षेत्रमें ६० मील लम्बी सड़कें बनाई गईं। गांववालों ने चार मील लम्बी एक और सड़क बनाई, जो मोटरोंके चलने योग्य है। सिंचाईकी तीन मील लम्बी नालियाँ खोदी गईं और १८ मील पुरानी गूलोंकी सरस्सत की गई। श्रमदान-आन्दोलन

के दिनों २०,००० व्यक्तियोंने श्रम-दान दिया। फैज़ावाद सामूहिक विकास खंडमें ४१ नल-कुएँ बनाए गए और ७६ तालाबोंको बढ़ाया तथा गहरा किया गया। ४१ मील लम्बी नई गूलें बनाई गई हैं और ४ मील पुरानी गूलें साफ़ की गई हैं। ४ प्राइमरी स्कूल, पंचायतघर, ८० मील कच्ची सड़कें, २१ पुलियाँ, २८ घर और २ वांध बनानेमें लोगोंने बड़े पैमाने पर श्रमका दान किया। स्वेच्छासे दी गई उनकी सहायताका मूल्य लगभग छे लाख रुपए है।

#### पश्चिम-बंगाल

पश्चिम बंगालमें लोगोंने अपनी मेहनतसे ६५। मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई हैं और नलकुएँ आदि बनानेके लिए सहायता देनेका वचन दिया है। कई स्कूल बन चुके हैं और कईके लिए चन्दे मिल रहे हैं।

#### हैदराबाद

सात हजार पाँच सौ एकड़ परती ज़मीनको खेतीके योग्य बनाया गया है और १३,००० एकड़में सिचाई-व्यवस्था की गई। तुंगभद्रा-झेत्रमें जिन लोगोंके गाँव नए वांधकी ज़मीनमें आ गए हैं, उन्हें वसानेके लिए १६ नए गाँव वसानेको प्राथमिकता दी गई। मुलुग-विकास-खंडमें ८० मीलकी सड़कें बनाई गई हैं। निजामसागर-इलाकेमें गाँववालोंने ४१८०) रु० की लागतसे ३। मील लम्बी सड़कें बनाईं। यदि गाँववाले श्रम-दान न देते, तो इन सड़कों पर वैसे १४०४७ रु० खर्च होता। इसी प्रकार उन्होंने केवल ६०००) रु० के खर्चसे १६ कुएँ खोदनेमें सहायता दी।

## मध्य-भारत

मध्य-भारतके राजपुर-योजना-क्षेत्रमें १,३६४ रुएँ बनाए गए और १,०३२ पुराने कुएँ किसानोंने बिना सरकारी मददके बनाए। नक्कड़, साज-सामान और श्रमके रूपमें गाँववालोंने कुल अनुमानतः ६,७६,५०० रु० की सहायता दी। सरकारी कृष्णोंसे बहुतसे कुओंपर पम्प भी लगाए गए। छः सहीनोंमें गाँववालोंने ६० पर्सिग-सैट लगानेके लिए ६०,०००) रु० की सहायता दी। हरसी-योजना-क्षेत्रमें लगभग ५,००० एकड़ और ज़मीनमें जापानी तरीकेसे धानकी खेती की जाने लगी। इससे कम-से-कम १,००,००० मन अतिरिक्त धानकी उपज होगी। पहले योजना-खंडमें १३ प्रारम्भिक स्कूल, दो बुनियादी स्कूल और दो लड़कियों के स्कूल खोले गए। इनके लिए गाँववालोंने लगभग १८,२०० रु० की सहायता दी है।

## मैसूर

अनुमानतः ७५,०००) रु० की लागतसे सोराब शिकारपुर-क्षेत्रमें १३ तालाब और ४ मील लम्बी छोटी नहरें बनाई गई हैं। गाँववालोंने २२,००० रु० का श्रम-दान दिया। इनसे १,१५५ एकड़ ज़मानमें सिंचाई होगी।

## राजस्थान

विभिन्न विकास-खंडोंमें कुल ८५ विकास-मंडल और २०१ सहकारी-समितियाँ हैं। इनका उद्देश्य कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, स्वास्थ्य और सफाई, समाज-शिक्षा और संचार-व्यवस्थाओंमें

सुधार करना है। अच्छे मौसममें काम देनेवाली ३६ मील लम्बी सड़कें और १७,२५ मील लम्बी कम्जी सड़कें और ३,७५ मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गई हैं। लोगोंने ५८,०००) रु० का श्रमदान दिया है। उन्होंने २४,०००) रु० की मकान बनानेकी सामग्री और लगभग ४६,०००) रु० नक्कड़ भी दिए हैं।

### पेस्तू

धुरी-योजना-क्षेत्रमें सहशिक्षाके ५३ प्रारम्भिक स्कूल खोले गए हैं। इस प्रकारके अब १५७ स्कूल हो गए हैं। ६४. वर्गमीलके इलाकेमें अब किसी भी बच्चेका स्कूल एक मीलसे अधिक दूर नहीं रहा। ३५ स्कूलोंकी जमीनें और मकान गाँववालों द्वारा दिए गए हैं। श्रम, भूमि और भवनोंके रूपमें उन्होंने कुल लगभग १,८१,२०० रु० की सहायता दी।

### सौराप्त

योजना-क्षेत्रमें अब एक भी गाँव विना पंचायतके नहीं रहा। सिवाईके कायाँ और स्कूलों, सड़कों तथा मनोरंजनके लिए लोगोंने नक्कड़ और श्रमके रूपमें १,६१,२०० रु० की सहायता दी।

### त्रावणकोर-कोचीन

कुन्नयुनाद-चलकुडी-योजनाके अंतर्गत १५ से ६० तक नलदार कुएँ बनानेका कार्यक्रम है। ११ कुएँ बनाए जा चुके हैं। नहानेके तीन घाट बन रहे हैं। मछुओंके लिए सस्ते मकान बनानेका काम शुरू होनेवाला है। २६ मील सड़कें बन गई हैं। लोगोंने

उनके लिए ५२, ३००) रु० की जमीन और ५२,६७०) रु० नकद और श्रमके रूपमें दिये हैं। नेयाटिकारा-विलावनकोडे योजनाके अन्तर्गत ५ नए कुएँ बन गए हैं और ५ की मरम्मत की गई है। थिरुपुरमें ७५,०००) रु० के खर्चसे स्रोतोंका पानी पहुँचनेकी एक योजना शुरू की गई है। मछुओंके मकानोंके ४ छलाक बनकर तैयार होनेवाले हैं और २० छलाक और बनाये जायेंगे। १५ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं।

अजमेर

किसानों द्वारा तैयार की गई लगभग ८,०३३ टन खादका लगभग २,००८ एकड़ जमीनमें उपयोग किया गया। परिणाम-स्वरूप ४,०१६ मन अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ है।

भोपाल

दूमरा और झोरखेरा गांवोंमें दो युवक-शिविर संगठित किए जिन विद्यार्थियों और अध्यापकोंने इनमें भाग लिया, उन्होंने एक स्कूलका भवन और ४०० फुट लम्बी पक्की नाली बनानेमें सहायता दी।

कुर्ग

सिंचाईके लिए वांध बनानेकी सात छोटी योजनाओंमेंसे छः का काम चल रहा है। १६ मील लम्बे नाले बनाए गए हैं और २० मीलकी सफाई की गई है। ६ नए तालाब बने हैं और ७४ की सफाई की गई है। ६ पुलियाँ, ६ पुल या तो पूरे हो गए या उनका काम चल रहा है। १०७ मील लम्बी कच्ची सड़क बनाई गई है। १,८६,०००) रु० का श्रम-दान मिला है।

दिल्ली

आठ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाने, १४ तालाबोंके गहरे करने और एक स्कूलका भवन बनानेमें गांववालोंने सहायता दी। नक्कद सामान और श्रमके रूपमें ५३,२००) रु० की सहायता मिली। वरसोंसे पटी हुई ३२ मील लम्बी नालियोंकी सफाई की गई। १५,००० लोगोंने इसमें हाथ बँटाया। अनुमान है, इससे लगभग २,००० एकड़ जमीनकी फसलें खराब होनेसे बच गई हैं।

कच्छ

सिंचाईके लिए १२ छोटे तालाब बन गए हैं, जिनसे ६०० एकड़ जमीनकी सिंचाई होगी। ४ मील लम्बी नदरे और ६० नए कुएँ बनाए गए हैं। स्कूलों, सड़कों, पुलों, तालाबों आदिके लिए लोगोंने नक्कद और श्रमके रूपमें २-३३ लाख रु० की सहायता दी।

मणीपुर

मणीपुर-नांववालोंने ८ मील लम्बी सड़क बनाई। एक और ६ मीलकी सड़कपर मिट्टी डालनेका भी काम पूरा हो गया है। जमीन और सामानके रूपमें लोगोंने अनुमानतः २ लाख रु० की सहायता दी।

उत्तर-पूर्वी सीमा-एजेन्सी

पासीघाट-योजना-क्षेत्रमें ८४,०००) रु० की लागतसे लोगोंने गकान, सड़कें पुल आदि बनाए हैं।

## ग्राम-पंचायत

भारतके ग्रामीणोंके लिए पंचायत प्रथा कोई नई चीज़ नहीं है। एक काल था, जब कि प्रत्येक ग्राम स्वावलम्बी था और पंचायत द्वारा उसकी सारी व्यवस्थाएँ होती थीं। अतएव पंचायतका अस्तित्व ग्रामकी स्वतन्त्रता और लोक शासनका प्रतीक था। हर एक ग्राममें साम्यवाद विद्यमान था। ब्राह्मण विद्या प्रदान करता था, वह त्याग और तपस्याकी मूर्ति था। ग्रामवासी उसके सुख-प्रद जीवनकी स्वयं व्यवस्था करते थे। बढ़ी, लुहार, जुलाहा, धोबी और नाई आदि सभी कारीगर हरएक ग्राममें रहते थे। जुलाहा कपड़ा तैयार करता, तो लुहार खेतीके औजार बनाता। आपसमें सब एक-दूसरेके श्रम और चीजोंका विनियम लेते थे। यदि नाई वर्ष भर तक हजामत बनाता और देखता कि किसानको अधिक आय हुई है तो वह उस अनुपातसे मेहनताना मांगता, अन्यथा उसे जो मिलता, उसमें सन्तोष करता। सारा ग्राम एक परिवार था और कोई किसीके श्रमका शोषण नहीं कर पाता था। भारतीय ग्रामोंमें यह व्यवस्था किसी आतंक पर कायम नहीं थी। निष्पृहता, त्याग और ध्रातृभाव ग्राम-संगठनका आधार था। इसलिए अतीत कालके भारतीय ग्राम साम्यवादके सच्चे प्रतिरूप थे। लोगोंमें स्वार्थभावना और मोल-तौलका जीवन नहीं था। जिनके पास कुछ अधिक सम्पदा होती थी, तो वे यह सदा

ख्याल करते कि वे उसके अमानतदार हैं, वह सारा धन ग्रामके उपयोगके लिए है। शादी-विवाह और अन्य कामकाज ग्रामके सब लोगोंके एक समान स्तर पर होते थे। वे ही ग्राम थे, जहाँके कारीगर जो चीजें तैयार करते, वे योरप और एशिया भरके बाजारोंमें विकती थीं। वे ऐसी सुन्दर बनती थीं कि आजकलके कल-कारखानोंको उनका मुकाबला करना दुस्तर हुआ। ग्रामके लोगोंमें सच्ची एकता थी। उनमें आजकलके समान कलह, फूट और वैरभावका नाम तक नहीं था।

पर देशका जीवन अस्तव्यस्त होनेपर विदेशी शासनमें ग्राम-पंचायतोंका लोप हो गया। ग्रामोंका पूर्वकालका सुन्दर जीवन स्वप्नवत हो गया, यद्यपि पंचायतका रूप एकदारगी नष्ट नहीं हुआ। ग्रामोंकी सामाजिक व्यवस्थामें पंचायतोंकी श्रेष्ठता फिर भी रही। इन पंचायतोंने जातिका रूप धारण कर लिया। हरएक जातिकी अलग-अलग पंचायत हो गई। जातीय व्यवस्थाओंमें इन पंचायतोंका निर्माण सर्वोपरि रहा। कोई व्यक्ति अपने समाजकी पश्चायतका निर्णय नहीं टाल सकता। पर आगे चलकर लोगोंके जीवनमें इतनी प्रतिक्रिया हुई कि वे पंचायतें भी नगण्य हो गईं और लोग सभी सामलोंमें अदालतोंमें जाने लगे।

भारतीय ग्रामोंकी आज जैसी निरीह अवस्था है, वैसी ही अवस्था सन् १९१७ के पूर्व खस्की थी। पर उसके उपरांत सोनियट पद्धतिने जिस आधारपर ग्रामोंका संगठन किया,

भारतकी ग्रामीण पंचायतोंका भी उस रूपमें निर्माण हो सकता है। रूसकी 'सेलो-सोवियट' संस्था ग्रामीण पंचायतका रूप है। ग्रामके निर्वाचित किसान प्रतिनिधियों द्वारा उसका संगठन होता है। इस संस्थामें जमींदार, व्यापारी और वेकार व्यक्ति कोई स्थान नहीं पाते। सोवियट ग्राम-पंचायतमें वह व्यक्ति मत देनेका अधिकार रखता है और वह व्यक्ति निर्वाचनके लिए खड़ा हो सकता है, जो समाजके उपयोगी कार्यमें परिश्रम द्वारा या मस्तिष्क द्वारा क्रियात्मक भाग ले। जो व्यक्ति परिश्रम न करे, उसका ग्रामकी व्यवस्थामें कोई अधिकार नहीं है।

इस आधार पर रूसने ग्रामका निर्माण किया। ग्राम पंचायतका साधारण सदस्य प्रत्येक ग्रामीण स्त्री और पुरुष हो सकता है, जिसकी अवस्था १८ वर्षसे ऊपर हो। परिश्रम न करनेवाले संस्थाका सदस्य होनेका अधिकार नहीं रखते। जनसाधारणकी एक कौंसिल होती है, जो ग्रामकी नित्यप्रतिकी व्यवस्था करती है। साधारण सभाका जीवनकाल तीन वर्षका होता है। ये हीं ग्राम पंचायतें सोवियट शासनकी आधारभूत हैं। रूसके ५६६८६० ग्राम और कुटियोंके द्वारा ७१७८० पंचायतोंका निर्माण हुआ। आठ और नौ संयुक्त ग्रामोंकी एक पंचायत निर्माण हुई। रूसकी कृपक जनता भारतके समान ग्रामोंमें रहती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रमें कुछ ऐसे विखरे हुए फार्म हैं, जो ग्रामोंसे जुदा है, किन्तु उनका भी ग्राम-पंचायतोंमें नेतृत्व है।

सोवियट रूसकी ग्राम-पंचायत केवल स्थानीय मामलों पर

ही विचार नहीं करती हैं, अपितु उन्हें जो नए अधिकार प्राप्त हुए हैं, उससे वे जिला, प्रदेश और सोवियट केन्द्रीय शासनके सम्बन्धमें भी निर्णय करनेका अधिकार रखती हैं। इससे देशके जीवनमें ग्राम-पंचायतोंका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वह सहजमें जाना जा सकता है। ग्राम-पंचायतके कार्य-क्षेत्रके सम्बन्धमें यह आम तौर पर प्रकट किया गया है कि वह अपनी सीमामें सभी नागरिक और अधिकारियों पर नियंत्रण करनेका अधिकार रखती है। अतः पंचायत ग्रामकी सरकारके स्वप्नमें है।

ग्राम-सोवियट पूर्ण सत्ताधारी संस्था है। सोवियट कानून ने इन ग्राम-पंचायतोंको विशिष्ट अधिकार प्रदान किए हैं। वे शासन सम्बन्धी सारी व्यवस्थाएँ करती हैं। लोगोंको सजा देती हैं, दण्ड देती हैं और आवश्यकता पड़ने पर आर्द्धिनेस निकालती हैं। इन ग्राम-पंचायतोंके तत्त्वावधानमें ग्राम-अदालतों कायम होती हैं जो लेन-देन और साधारण फौजदारीके मामलों का निर्णय करती हैं। संयुक्त कृषिकी प्रथा जारी होनेपर ग्राम-पंचायतें खेतीवारोंके सम्बन्धमें आदेश देती हैं, निरीक्षण करती हैं और हिसावकी देखभाल करती हैं। वे यह सदा खयाल रखती हैं कि ग्रामका कोई व्यक्ति कानूनका उल्लंघन न करने पाये।

ग्रामोंके नजदीकमें राज्य द्वारा संचालित फैक्टरियाँ और व्यापारिक संगठनों पर इन पंचायतोंकी निगाह रखती है। उनका माल खरीदनेके लिए ग्राम-उपभोक्ता सहकारी समितियों

का संगठन होता है। ये समितियाँ ग्रामीणोंके लिए आवश्यकता-  
मुसार माल खरीदती हैं। वे कभी इतना माल नहीं खरीदतीं,  
जिनके बिल चुकाना ग्रामीणोंके लिए भारी हो। सारांश यह कि  
ग्रामकी व्यवस्थामें ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसके पूरा करनेकी  
ग्राम-सोवियट क्षमता न रखे। ग्रामके व्ययसे सड़कें ठीक होती  
हैं, पानीकी आमद की जाती है, क्लब, नृत्यगृह, आमोद-प्रमोद,  
थियेटर, स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थाओंका संचालन  
होता है।

इस प्रकार ग्रामके क्षेत्रमें सेलो-सोवियट, सोवियट ग्राम-पंचा-  
यत 'सर्वप्रभुतासम्पन्न' है अर्थात् उसका ही एक मात्र शासन  
है। उसे किसी उच्च अधिकारीसे आदेश नहीं लेना पड़ता।  
ग्रामोंमें पंचायतों द्वारा लोगोंके जीवन-स्तरको उच्च करनेमें जो  
सार्वजनिक व्यय होता है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं  
करती है। सोवियट शासनका प्रत्येक केन्द्रीय विभाग रूसके  
७०००० ग्रामोंमें अधिकसे अधिक नवजीवन उत्पन्न होनेकी  
कामना करता है। सोवियट शासनके सारे मंत्रि-मंडलकी  
शक्तियाँ ७०००० ग्रामोंकी पंचायतोंको वलशाली बनानेमें योग  
देती हैं। इन्हीं पंचायतोंके बल पर सोवियट शासनने अप्रतिम  
शक्ति अर्जित की है।

सोवियट ग्राम-पंचायतोंको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :—  
१—कृषिके क्षेत्रमें—

१—अंक-गणनाका अधिकारी निर्वाचित करना। ग्रामीणों

के प्रतिनिधियोंमेंसे इसकी नियुक्ति होती है, जो ग्रामके उत्पादन आदि सम्बन्धी अंक तैयार करता है।

(२) प्रत्येक घरकी सामग्रीका रजिस्टर रखा जाता है।

(३) पशुओंकी देखभाल करना।

(४) संयुक्त कृषिकी योजनाओंका निर्धारण करना और उनकी स्वीकृति देना तथा अन्य सहकारी संगठनोंके संचालनकी व्यवस्था करना।

(५) संयुक्त-कृषिके लिए नये प्रयोगोंकी स्वीकृति देना।

(६) संयुक्त कृषिमें खेतोंके लिए मजदूर और विशेषज्ञोंको काम बांटना और पूर्ण अनुशासन कायम रखना जिससे कि, किसान, मजदूर और विशेषज्ञ कोई भी नियमोंको न तोड़ सके।

(७) कृषि-क्षेत्रकी वृद्धिके लिए सभी आवश्यक प्रयत्नोंको जारी करना और अधिक उत्पादनके लिए ग्रामकी सारी शक्ति लगाना तथा फसलकी रक्षाके लिए सभी उपाय काममें लाना। कृषि-सुधारकी सभी नई योजनाओंको व्यवहारमें लाना।

२—ग्राम-उद्योगके क्षेत्रमें—

(१) ग्राम-पंचायतके संचालनमें उद्योग चलते हैं।

(२) पंचायत खाद, चूना और निट्री आदिका संग्रह करती है।

(३) पंचायत छुट्टीर धन्वोंको प्रोत्साहन देती है और वह कारीगरोंको वज्ञा भाल उपलब्ध करने तथा तैयार भालकी विक्री में एर प्रकारका सहयोग प्रदान करती है।

(४) पंचायत ग्रामकी सीमाएँ चलनेवाले सभी प्रकारके उद्योग और कारबारकी देखभाल करती है।

३—जंगलकी व्यवस्थाएँ—

पंचायत स्थानीय उपयोगिताके कार्योंमें जंगलकी देखभाल करती है।

पंचायत लकड़ी और अन्य रासायनिक वस्तुओंकी उत्पत्तिका विकास करती है।

पंचायत अपने ग्रामकी सीमाके जंगलकी समस्त लकड़ी और अन्य पदार्थोंकी पूरी देखभाल करती है।

४—वस्तुओंके आमद और व्यापारके क्षेत्रमें—

(१) सहकारी संगठनोंमें स्थानीय जनताको सहयोग देनेके लिए प्रेरित करना और इन संस्थाओंकी उन्नति करना।

(२) जिन किसानोंके पास जमीन नहीं हैं, उनके रहने और कामकाजकी सहकारी संगठनोंके अन्तर्गत व्यवस्था करना।

(३) ग्रामके मकान, दूकान और अन्य स्थानोंका किराया नियत करना।

५—आर्थिक सम्बन्धमें—

(१) जमीनका कर और किराया आदि वसूल करना।

(२) जुर्माना इकट्ठा करना और जो लोग कर या जुर्माना आदि न अदा करें उनकी सम्पत्ति नीलाम करना।

(३) ग्राममें जिन लोगोंकी जितनी जायदाद है तथा जिनकी

जितनी आय होती है, उसकी सुची तैयार कर उच्च अधिकारियोंके पास भेजना ।

(४) जनताके स्व-कर निर्धारणकी व्यवस्था करना ।

६—स्थानीय शासनकी व्यवस्था—

(१) ग्रामके समस्त मकान, विद्यालय और अस्पतालके मकानोंकी व्यवस्था करना ।

(२) स्थानीय पुल, सड़कें, और तालाबकी व्यवस्था करना तथा ग्रामकी स्वच्छता और सफाईकी ओर पूरा ध्यान देना ।

७—मजदूरोंके सम्बन्धमें—

पंचायत स्थानीय लोगोंको आवश्यकतानुसार सार्वजनिक कार्योंकी ओर आकर्षित करती है। सड़कें तैयार करना, यातायात तथा ग्रामके अन्य साधनोंके निर्माणके लिए मजदूरोंकी आवश्यकता पड़ती ही है।

८—शिक्षा और रसायन—

(१) ग्राममें निरक्षरताका अंत करना। शिक्षा-संस्थाओं द्वारा सब प्रकारके शिक्षणकी व्यवस्था करना ।

(२) बालकोंकी शिक्षाकी पूरी देखभाल करना। निराश्रित और अनाथ बालकोंकी शिक्षा तथा जीवन-चापनकी व्यवस्था करना और उनके लिए संरक्षक नियुक्त करना ।

(३) सरकारको लृपि और ऊर्जाविक शिक्षामें जहायोग

देना। विभिन्न विद्यालय और फैक्टरियोंमें शिक्षित नवयुवकोंको काम देनेकी व्यवस्था करना।

(४) अस्पताल और स्वास्थ्यका संचालन करना। ग्रामके बजट के आधारपर इन संस्थाओंका कार्य विस्तार पाता है।

(५) प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्यका ज्ञान देना और शारीरिक शक्तिवर्धनकी ओर आकर्षित करना। किसीको निर्बल, सुस्त तथा चेकार न रहने देना।

#### ९—सुरक्षाके क्षेत्रमें—

(१) ग्राममें जो नवयुवक सेनाके लिए उपयुक्त हों, उनकी सूची रखना।

(२) युद्धमें काम आने लायक घोड़े, गाड़ियाँ और अन्य आवश्यक सामानकी सूची तैयार रखना।

(३) सेनाकी भर्तीमें योग देना।

#### १०—न्याय और शान्तिकी स्थापनाके लिये—

(१) ग्राममें सिविल और फौजदारी मामलोंके निर्णयके लिए अदालतें कायम करना।

(२) अदालतोंके फैसलोंका पूरी कड़ाईसे पालन कराना। उत्पात, हुड़दंग और जुआ तथा शराबके नशोंके लोगोंको नियंत्रण में लाना जिससे लोग गुप्त शराब न बनाएँ और न बेचें।

(३) सब जुर्मानोंको बसूल करना।

#### ११—व्यवस्थाके क्षेत्रमें—

(१) दस्तावेजोंका इन्द्राज करना और परिचय-पत्र जारी करना।

(२) व्यवस्था सम्बन्धी कार्योंकी लम्बी सूची सोवियट विधानके अन्तर्गत तैयार की गई है, ग्राम-सोवियट-पंचायत उन सब कार्योंके करनेका पूर्ण अधिकार रखती है। अपने ग्रामीण क्षेत्रमें सोवियट-पंचायत सभी कार्योंके लिए स्वतंत्र है। इन्हीं अधिकारोंसे दलित सोवियट किसानोंमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई और उन्होंने स्वतंत्रताका अनुभव किया।

सोवियट पंचायतोंके संगठनकी यह रूप-रेखा इस देशमें ग्राम-पंचायतोंके निर्माणमें पूर्ण सहायक हो सकती है। राजनीतिक विचारधाराका खयाल न कर ग्राम-पंचायतोंका क्रियात्मक संगठन होना चाहिए। देशकी सत्ताका सूत्रपात ग्राम-पंचायतों द्वारा होना चाहिए। ग्राम हो शासनका मूल-आधार है। उसीके सहयोगसे सारी व्यवस्थाएँ चलती हैं। भारतमें सर्वत्र इस प्रकारके पंचायत-संगठनोंकी आवश्यकता है, जिन्हें ग्राम व्यवस्थाके पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। ग्रामके मामले-मुकदमे विकास और आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाओंके निर्णय तथा संचालनमें पंचायतें पूर्ण क्षमता रखनेवाली हों। ग्रामोंके लोग मामले मुकदमोंके लिए शहरोंकी अदालतोंमें न दौड़े आएँ और न ग्रामकी व्यवस्थामें प्रादेशिक शासनका सर्वदा हत्तक्षेप हो दो। अनेक इस प्रकारके पंचायतोंके संगठनोंकी पूर्ण आवश्यकता है, जिनके सदस्योंका निर्वाचन ग्रामके बालिग मताधिकार के आधार पर हो और उन्हें विस्तृत अधिकार प्राप्त हों। पिछले कई वर्षोंसे कई प्रदेशोंमें पंचायतोंका निर्माण आरम्भ हुआ है, पर उन्हें वस्तुतः विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

भारतीय किसानोंमें पंचायत सम्बन्धी नई और पुरानी भावनाओंके जाग्रत करनेकी आवश्यकता है। इस देशमें पंचायत राजका अस्तित्व युग-युगसे चला आया है। प्राचीन कालमें राज-शासन भी पंचायतके आधीन रहता था। रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें पंचायतोंकी महत्ताका वर्णन है। महाराज दशरथ और भरतके निर्णय पंचायतोंके आधीन थे। शुक्राचार्यने नीतिसारमें ग्राम-पंचायतोंके विस्तृत कायोंका भलीभांति उल्लेख किया है, जो अठारहबी शताब्दीकी रुसी पंचायतोंसे मिलता जुलता है। इस देशमें अंग्रेजोंके आनेके पूर्वकाल तक ग्रामोंमें पंचायतोंकी सत्ता थी। पर जब ब्रिटिश शासनमें जिलोंमें शासन-सत्ता केन्द्रीभूत हुई, तब ग्रामोंमें पंचायतें लोप हो गईं। केवल छोटी जातियोंमें जातीय पंचायतें उत्तर-प्रदेश, पंजाब और दक्षिण आदि प्रदेशोंमें बनी रहीं। कई प्रदेशोंमें व्यवस्था सम्बन्धी पंचायतें अंग्रेजी राज्यमें भी नए सिरेसे अस्तित्वमें आईं, जिनका कार्य साधारण मामलोंको निपटाना मात्र रहा। साधारण चोट, चोरी, पशुओंका खेत लांघना और अन्य साधारण झाड़ोंके निपटारेमें इन पंचायतोंने योग दिया। पर उनके अधिकार सीमित होनेके कारण वे ग्राम के निर्माणमें पूरा योग नहीं दे सकीं।


नए भारतका निर्माण ग्राम-पंचायतों द्वारा होना चाहिए। भारतके ग्राम-ग्राममें पंचायत संगठन हो। ये संगठन प्रादेशिक शासनके सभी विभागोंके सूत्रपात हों। सरकारका हरएक

अन्नपूर्णा भूमि—

पंचायतघर में रेडियो

पंचायतघर का अंतर्गत

# अन्नपूर्णा भूमि—



आदर्श ग्राम की नई पक्की सड़कें और गलियाँ  
तथा हवादार मकान



ग्राम में थ्रमदान  
ग्रामीणों द्वारा तैयार की गई कंकरीट की सड़क

कार्य पंचायत पर आधारित हो। ग्रामीणों द्वारा पंचायतका निर्माण हो, जिसे ग्रामके सम्बन्धमें जुड़ीशियल अधिकार प्राप्त हों। ये संगठन ग्रामके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकासमें पूर्ण योग हें। जिस-जिस प्रकार पंचायतोंका संगठन बलशाली होता जाए, उनके जुड़ीशियल अधिकारोंका वृद्धि हो। पर आरम्भमें सौ रुपए या इससे अधिक दीवानी मामलोंका निर्णय पंचायतों द्वारा हो। साधारण मार-पीट, चोट, खेतोंके फगड़े और मामूली चोरी आदिके मामले भी पंचायतों द्वारा तय हों। ग्राम-पंचायतें सौ रुपए तक दण्ड देनेका कानूनी अधिकार रखें।

दस ग्रामोंके संयुक्तीकरण द्वारा हल्का पंचायतका निर्माण किया जा सकता है। इस पंचायतका विशेष महत्व है। यह सोवियट रूसकी 'सेलो-सोवियट'के समान होगी। ग्राम-विकास का संगठन-कर्ता इसका मंत्री होगा और उसमें प्रत्येक ग्रामसे पांच मंत्री होंगे। दस ग्रामोंके पचास सदस्योंकी पांच समितियाँ होंगी। प्रत्येक समितिके दस सदस्य होंगे। ये समितियाँ होंगी:—व्यवस्थापक समिति, न्याय समिति, कृषि-समिति, सहकारी क्रय-विक्रय, ग्रामधंधे और मजदूर समिति और स्वास्थ्य, शिक्षा, और सांस्कृतिक प्रचार समिति। ये समितियाँ ग्राम-पंचायतोंको हर प्रकारसे सहयोग देगी। यह सम्भव नहीं है कि, हरएक ग्राम अपने साधन और शक्तियों द्वारा पूरा विकास करनेमें समर्थ हो। अतएव दस ग्रामोंकी सम्मिलित शक्तिसे

ग्राम-विकास अधिक सम्भव होगा। व्यवस्थापक समिति प्रत्येक ग्राम-पंचायतके दिन-प्रति-दिनके कार्यमें सहयोग देगी। वह पत्र-व्यवहार और हिसाब-किताब रखेगी। न्याय समिति मामलों पर विचार करेगी। ग्रामोंके मुकदमे इस समितिके पास आएँगे। दलबन्दी, व्यक्तिगत शत्रुता और लड़ाई भगड़ोंके कारण अक्सर ग्रामीण अपनी ग्राम-पंचायतमें विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए ये मुकदमे हल्का पंचायतके पास आते हैं। पर जहाँ तक सम्भव हो, अधिकसे अधिक मामले ग्राम-पंचायतों द्वारा तय होने चाहिए। ग्राम-पंचायतका मुखिया या सरपंच तथा सदस्य उस मामलेमें दूसरे प्रतिनिधियोंको बिठाएँ, जिसमें देखा जाए कि विचाराधीन मामलेके व्यक्तिके प्रति उनकी शत्रुता है। यद्यपि पंचायतके अधिकारी होकर हरएक सरपंचको निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके प्रति उसकी व्यक्तिगत शत्रुता हो, उसके प्रति वह न्याय करे। पंचायतके अन्दर किसीके प्रति पक्षपात न हो। हल्का पंचायतको अधिकार हो कि वह दीवानीके ५०० रुपए तकके मामले चला सके और फौजदारीके मारपीट, चोट, दंगा और धोखाधड़ीके मामलोंमें छः मासकी सजा और ५०० रुपए तक दंड देनेका उसे अधिकार हो। स्थानीय पुलिस पंचायतके आदेशका पालन करे। इस प्रकार पंचायतों द्वारा मामले तय होने पर लड़ाई-भगड़े कम होंगे, लोगोंमें नैतिकता आएगी और वे अदालतोंके भारी व्ययसे बचेंगे।

कृषि-समिति कृषि-विकासका कार्यक्रम प्रति वर्षके लिए

निरधारित करेगी। पशुपालन, कृषि-भूमि और जंगलका उपयोग, बनस्पति तथा वृक्षोंकी रक्षा, और खेती नष्ट करनेवाले कीड़ोंके विनाश आदिकी व्यवस्था समिति करेगी। जब पंचायतके प्रयत्नसे संयुक्त-कृषिका विकास हल्केके ग्रामोंमें होगा और छोटे-छोटे खेतोंके बड़े फार्म बनेंगे, तब उन सहकारी कृषि खेतों का पंचायत पूर्ण निरीक्षण करेगी। वह यह निश्चय करेगी कि किन-किन फार्मोंमें किन पदार्थोंकी उपज की जाए। इसके अतिरिक्त ईंधन, पशु-धास, फल और वृक्ष तथा बागवानी आदि की ओर भी पंचायत ध्यान देगी। अच्छे बीज, खाद, और कृषि औजार आदिकी व्यवस्था करेगी। क्रय-विक्रय सहकारी समिति ग्रामोंके उत्पादनके विक्रयका प्रबन्ध करेगी। वह खाद्य पदार्थ, कच्चा माल तथा ग्रामीण-धंधों द्वारा तैयार वस्त्रोंका स्टाक रखनेकी समुचित व्यवस्था करेगी। ग्रामोंमें नए-नए उद्योगोंको जन्म देकर आर्थिक दृष्टिसे उन्हें स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्न करेगी। ग्रामीणोंके लिए स्टोर भी खोलेगी, जिसमें द्रव-इयाँ, साबुन और अन्य सभी आवश्यक वस्तुएँ बिक्रीके लिए रहेंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक समितिका संचालन सुधारवादी पुरुषोंके अधिकारमें होगा। यह समिति शिक्षा, पुस्तकालय, और ज्ञानवर्जनके अन्य साधनोंकी व्यवस्था करेगी। ग्रामोंमें नृत्य, संगीत और अन्य मनोरंजन समारोहोंका आयोजन करेगी। ग्रामीणोंको जातीय पर्वोंका वास्तविक महत्व बताएगी। धार्मिक तथा सामाजिक संकीर्णताएँ तथा संकुचित

विचारोंसे मुक्त कर सब ग्रामवासियोंमें सच्ची मानवताके भावों का उदय करेगी। शादी विवाह, रीति-रस्म और धार्मिक कार्योंमें होनेवाले अपव्ययोंको रोकेगी। आज जिस रूपमें हजारों और लाखों ग्रामीण पर्वोंके समय स्नान आदिके लिए दौड़ पड़ते हैं, उसकी अपेक्षा उन्हें सच्ची यात्राका महत्व बतायेगी। आज तो शक्ति और धन—दोनोंका अपव्यय होता है। वस्त्र, वेशभूषा और आभूषणोंके उपयोगमें क्रान्तिकारी परिवर्तनकी आवश्यकता है। चांदीके भारी जेवरोंका सर्वथा परित्याग होना चाहिए। किसान पुरुष और मित्रोंकी वेशभूषा चुस्त और बीरताकी होनी चाहिए। कृपक राष्ट्रके उत्पादनके सैनिक हैं, अतएव उनकी पोशाक भी उसीके अनुरूप हो। शादी, विवाह और मौतके अवसर पर अधिक व्यय न हो। सब कृत्य सादगी और पवित्रतासे किए जाएँ। भारी व्यय करनेसे न तो समाज में कोई प्रतिष्ठा होती है और न पुण्य ही अर्जन होता है। दीन-दुखी और पीड़ितोंकी सहायता तथा अतिथिका स्वागत और सेवा-शुश्रुषा करना ग्रामवासियोंका परम कर्तव्य हो। ग्रामीणोंमें ऊँच-नीचका भेदभाव न हो। मनुष्यमें भेद करना अज्ञानताका सूचक है। अतएव ग्राममें कोई किसी जाति और वर्णका हो, सबका एक समान आदर होना चाहिए। ग्रामके जीवनमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है। पंचायत इस सामाजिक-सुधारमें पूर्ण योग दे। इसके अतिरिक्त शराब, गांजा और तमाखू आदिके नशोंके विरुद्ध आन्दोलन करे। जातीय भेदभावके दुर्गण, पर्दा, वाल-

विवाह, वृद्धि विवाह और अनमेल विवाह तथा अन्य कुरीतियों से लोगोंको मुक्त करनेका प्रयत्न करे। इस प्रकार पंचायतके प्रयत्नसे ग्रामोंमें नवजीवन उत्पन्न होगा। इस सामाजिक कार्यके लिए सच्चे कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है।

पंचायतोंके उपयुक्त संगठन तथा कार्य-संचालनके लिए नियमित आर्थिक श्रोतोंकी व्यवस्था हो। जमीनके लगानके साथ अतिरिक्त कर लगनेसे पंचायतोंकी आय निश्चित हो जाएगी। इसके लिए राज्यके विधान मण्डलों द्वारा कानून स्वीकृत किए जाएँ। इसके अतिरिक्त जुर्माना, दान और सहायता तथा अन्य ग्रामीण करोंसे भी पंचायतोंको आय होगी। हल्का पंचायतें ५०० ग्रामोंकी तहसील पंचायतका निर्माण करेंगी और आजकलके जिला घोड़ोंके स्थान पर तहसील पंचायतें जिला पंचायतोंका संगठन करेंगी। फिर आगे चलकर जिला पंचायतें औसतन दस हजार ग्रामोंकी डिवीजन-पंचायतें निर्माण करेंगी। जो प्रान्तीय विकास-घोड़के आधीन होगी। इस प्रकार ग्रामका लोकतन्त्र राज्य भरमें विस्तार पाएगा।

ग्रामोंमें आज नई भावनाके उदयकी आवश्यकता है। राज्यका कार्य है कि वह सहस्रों कार्यकर्ता ग्रामोंमें कार्य करनेके लिए तैयार करे और उनकी नियुक्तियाँ राज्य भरमें हो। इन कार्यकर्ताओंका लक्ष्य ग्रामोंका नव-निर्माण करना हो। वे ग्रामोंकी समस्याओंके लिए जिएँ और मरें। राज्य सरकारी लगानका एक भाग ग्राम-विकास तथा संगठनके लिए व्यय करे।

राज्यके कंधों पर नई जिस्मेदारियाँ आई हैं। अब सरकार का कार्य केवल कर वसूल करना और पुलिसका इंतजाम करना-मात्र नहीं है। शासनके अवलम्ब किसान और मजदूर हैं और उनके उद्धारकी कोई योजना तब तक सफल न होगी, जब तक कि अधिकारी-वर्ग सच्ची भावनाओंसे उसे क्रियान्वित न करेगा। ग्राम-ग्राममें नई भावनाएँ और नया जीवन उत्पन्न करना है। ग्रामोंमें शांतिमयी क्रान्तिकी अपेक्षा है जिससे हर-एक किसानके जीवनमें नूतनता आए।

आज कई राज्योंमें राज्य सरकारोंके नेतृत्वमें ग्राम पंचायतोंका विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश राज्यने 'पंचायत राज कानून' स्वीकृत कर उनके अस्तित्वको वैधानिक रूप प्रदान किया है। ग्राम-पंचायतोंको ग्रामकी व्यवस्था और मामला-मुकदमा तय करनेकी भी अधिकार मिले हैं। ये ही पंचायतें जर्मिंदारी समाप्त होनेपर ग्रामका लगान वसूल कर सीधे सरकारी खजानेमें जमा करेंगी। इसलिए उनके कार्य और जिस्मेदारियाँ अधिक बढ़ गई हैं। इन पंचायतोंका संगठन चुनाव द्वारा होनेके कारण साधारण लोगोंको भी ग्रामके नेतृत्वका अधिकार मिलता है। पंचायतका पद सेवा और विश्वासका है। जिसे भी बहुमतसे चुना जाय, उसका नेतृत्व सबके लिए मान्य है। सार्वजनिक कार्योंमें हमें जातीय भेदभावोंको स्थान न देना चाहिए। ग्रामके लिए जिन्हें पंचायतमें चुने, वे पंच परमेश्वरके रूपमें हैं। उनका कर्तव्य है कि ईमानदारी और सच्चाई तथा स्वार्थ-त्यागसे ग्रामकी सेवा करें।

हर एक पंचायत-घरमें पुस्तकालय, औपधालय, वीजभण्डार खाद्य-भवन, कृषि-औजार-गृह, और पशु-केन्द्रशाला तथा अनाज-भण्डार और दबाइयां तथा सामान आदिका स्टोर आदि भिन्न-भिन्न कमरे हों। कमसे कम पाँच-छः कमरे होने चाहिए। लायब्रेरी भवनमें वाचनालय तथा रेडियो लगा हो। ग्रामोंमें विद्युत् आने पर रेडियो विजलीसे चलने लगेंगे पर तब तक उनका उपयोग बैटरीके द्वारा हो सकता है। ग्रामीणोंको प्रति दिनके ताजे समाचार मिलने चाहिए। प्रातःकाल और संध्यामें रेडियो द्वारा समाचार सुनाए जा सकते हैं। ग्राममें व्यायामशाला, बाग और छोटासा मैदान सार्वजनिक सभाके लिए हो। रात्रि-पाठशालाएँ भी हों, जहां वयस्क लोगोंको शिक्षा दी जाए। किसी ग्राममें कोई अशिक्षित न रहने पाए।

पंचायती व्यवस्था द्वारा बागबानी हो। फलोंके वृक्ष लगाए जाएँ, जिनका ग्रामवासी उपयोग करें। अधिक फल पैदा होने पर वेचे जा सकते हैं। पंचायत-घरमें एक दो कमरे अतिथियों के निवासके लिए हों। सरकारी अधिकारी भी इन कमरोंमें ठहर सकते हैं। अब ग्राममें यह अनुभव किया जा रहा है कि उनका भी अन्य देशोंके आधारपर नवीन संगठन होना चाहिए। सदियोंकी गहरी नींदके उपरांत भारतीय ग्रामोंमें नव-जागरणकी आवश्यकता है। ग्रामीण लोगोंकी शक्तियोंका सदुपयोग किया जाए। ग्रामोंमें नव-निर्माणके कार्य पंचायतों द्वारा ही हो सकते हैं। पंचायतोंके शक्तिशाली बनने और ग्रामीणोंमें नव

चेतना आने पर ही विकास सम्बन्धी कार्योंमें सफलता प्राप्त होना संभव है। अशिक्षित और असंगठित तथा पुराने संकीर्ण भावोंसे ओत प्रोत किसानोंको नए जीवनमें लाना आसान नहीं है।

पर किसी भी योजनाकी पूर्तिमें वरावर लगे रहनेपर उसमें सफलता प्राप्त होना निश्चित है। सरकारी सहायतापर ही आश्रित न रहकर ग्रामवासी स्वयं अपने परिश्रम और साधनों द्वारा ग्रामोंमें सभी कार्योंको आरम्भ करें। ग्रामकी सड़कें, पंचायत-घर, विद्यालय, पुस्तकालय, तालाब, उपवन, खेल-कूदका मैदान चिकित्सालय, पशुशाला, और कम्पोस्ट खादके गड्ढे आदिकी व्यवस्था वे सब मिलकर करें। प्रत्येक ग्रामवासीका कर्तव्य है कि वे किसीसे लड़ाई झगड़ा न करें और ग्रामका जीवन अशांतिमय न बनाए। आज ग्रामोंकी बड़ी शोचनीय अवस्था है। मारपीट, हत्याएँ और उपद्रव किसी भी ग्रामके लिए आम बात है। यह जीवन ग्रामोंमें विकास पा रहा है। जिन मनोवृत्तियोंसे लोगों में ये भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका नाश होना चाहिए। एक ग्रामवासीका चरित्र सदाचार, शांति, प्रेम और सौहार्दका प्रेरक हो। वह ग्रामीण नहीं है, जो लड़े-झगड़े। उन्हें देखना चाहिए कि शहरोंके मजदूरोंमें कितनी एकता है। किसी मजदूर को कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके हितके लिये सबके सब मजदूर कारखानेमें हड़ताल कर देते हैं। मजदूर कभी आपसमें लड़ते हुए नहीं पाए जाते। तब ग्रामीण ही क्यों लड़ें-झगड़े? पंचायत

उनके धंधेकी ट्रोड-यूनियन है और ग्राममें बसनेवाले सब लोग एक दूसरेके साथी-कामरेड हैं। उनके लिए अशोभनीय है कि वे लड़े भगड़े हैं। पर लड़ाई भगड़ेके कारण ग्रामोंमें केवल एक धंधा फल-फूल रहा है और वह है अदालतकी मुकद्दमेवाजी। अधिकांश किसानोंकी प्रसन्नताके लिए केवल यही काम रह गया है और जो मामले वे ग्राममें तय कर सकते हैं, उनके लिए वे अदालतोंमें दौड़े जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाईको बकील, मुख्त्यार, दरख्वास्त लिखनेवाले मुन्शी और अदालतोंके वेर्झमान चपरासी और अहलमदोंको देनेमें फूँकते हैं। पर किसान प्रतिज्ञा करें कि उनके सारे मामले पंचायती अदालतों द्वारा तय होंगे। यदि किसीने अन्याय किया है तो वह उसे कबूल कर ले और कभी अपने पक्षमें निर्णय प्राप्त करनेका प्रयत्न न करे।

---

## भूमिका राष्ट्रीयकरण

‘सामाजिक दृष्टिसे, जो कि अधिक दृष्टिसे कम महत्वपूर्ण नहीं है, भूमि सम्बन्धी नीति उसी हृदयक उचित समझी जाएगी, जिस हृदयक वर्तमान समयमें और भविष्यमें सम्पत्ति और आयकी असमानताको कम करनेवाली होगी, शोषणको मिटानेवाली होगी, किसान और मजदूरको सुरक्षा पहुँचानेवाली होगी और अन्तमें ग्रामीण जनताके विभिन्न वर्गोंके जीवन-स्तरमें समानता लानेवाली होगी।’

—योजना आयोग

भारतमें अधिक अन्न उत्पादन किसानोंकी समस्या हल हुए बिना सम्भव नहीं है। आज राष्ट्रका अस्तित्व और उसकी सुख-शान्ति किसानकी गति-विधि पर निर्भर है। किसान ऐसे मोर्चे पर ही खड़ा है। उसके हाथमें राष्ट्रकी जिन्दगी है। पैंतीस करोड़ जनसंख्यामें तीस करोड़ किसान हैं और उनके उत्थानकी समस्याका एक ही हल है कि भारतमें जमीनका समान आधार पर बँटवारा किया जाए। नई चकवन्दी राष्ट्रके लिए अत्यन्त आवश्यक है। अतएव भारतीय संविधान द्वारा समस्त भूमिको राष्ट्रीय सम्पत्ति मान लिया जाए अर्थात् उस पर राज्य का अधिकार करार दिया जाए। यह होने पर ही देश नई क्रान्ति तथा बगावतसे अपनी रक्षा कर सकता है। यदि यह शीघ्रतम न हुआ तो भारतके एक दो हिस्सेमें जो स्थिति हुई, वह एक दिन सारे देशकी हो जाएगी।

भूमिके राष्ट्रीयकरणको चाहे जैसा भी उपाय कहा जाए,

उसके हल किए विना कोटि-कोटि किसानोंकी अवस्था न सुधरेगी। भले ही यह प्रयत्न क्रान्तिकारी हो, उग्रतम हो, किन्तु हमें उसका अबलम्बन लेना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय सरकारोंने राज्योंमें इस ओर अपना पैर बढ़ाया और जमीदारी प्रथाके उन्मूलनके लिए कानून बनाए। उत्तर-प्रदेश, विहार, मध्य-प्रदेश और मद्रास आदिमें जमीदारी उन्मूलनके कानून बनाए गए। इन कानूनोंको अवैध करार दिए जानेके सम्बन्धमें जमीदारोंके सारे प्रयत्न वेकार गए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालयने उत्तर-प्रदेश के जमीदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार अधिनियम और मध्य-प्रदेशके स्वामित्व अधिकार अधिनियम तथा विहारके भी जमीदारी विनाश सम्बन्धी कानूनोंको वैध प्रकट किया। उत्तर-प्रदेश इस ओर आगे बढ़ा, और उसने जमीदारोंको क्षतिपूर्ति देनेकी घोषणा कर भूमिका स्वामित्व किसानोंको प्रदान किया।

कुछ राज्य सरकारोंने जमीदारोंके पंजेसे किसानोंको छुड़ाने और उन्हें उनकी खेतीकी जमीनका मालिक बना देनेकी जो व्यवस्थाएँ कीं, वे घड़ी महत्वपूर्ण हैं। वस्त्र उत्तर-प्रदेश ने भी निखंडन-निपेध नामक जो कानून बनाया, वह किसानोंके लिए हितकर है। इन सब प्रयत्नोंने किसानोंको जमीनका स्वामी बनानेका क्षेत्र तैयार किया है।

जमीदारी उन्मूलन तथा अन्य इसी प्रकारके कानून इस दिशामें आखिरी कदम नहीं हैं। यह तो जमीनकी समस्याको हल करनेका आरम्भ है। अब आगेका कदम यह होना चाहिए कि

समस्त जमीन पर केवल खेती करनेवाले किसानोंका अधिकार कायम हो। ऐसे किसी व्यक्तिका जमीन पर अधिकार न हो, जिसकी आजीविका कृषि न हो और जो स्वयं खेतोंमें काम न करता हो। आज अनेक व्यक्ति भूमिधर बन गए हैं और जमीदारी उन्मूलनके उपरान्त भी बड़े जमीदारोंका फिर भी बहुत बड़े जमीन पर अधिकार बना रहता है। इस विषमताको मिटानेका क्रान्तिकारी कदम तो यह है कि समस्त जमीन राज्यकी घोषित होकर उसका समान वितरण खेती करनेवाले किसानोंमें किया जाए।

जब तक सरकार किसानोंमें भूमिका समान वितरण नहीं करती, तब तक भारतीय उत्पादनकी समस्या हल नहीं होती। इस प्रकार जब तक भूमिका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक कृषि-विकासके कोई भी प्रयत्न सफल न होंगे। जिस दिन खेती करनेवाले मजदूर किसान समान आधार पर जमीन पा जाएँगे, और जब वे एक सेनाके रूपमें खेतोंमें पैदावार बढ़ानेके प्रयत्नमें जुट पड़ेंगे, उस दिन सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। ग्रामकी समस्याएँ ही हल न होंगी, उत्पादन ही न बढ़ेगा, बल्कि किसानोंके जमीनके स्वामी होने पर देश साम्यवादके खतरेसे भी रक्षा पाएगा।

कृषिकी नई योजनाएँ और व्यवस्थाओंकी प्रगतियोंके लिए राष्ट्रीयकरणका प्रश्न अनिवार्य है। पर इस राष्ट्रीयकरणका यह रूप नहीं है कि आजके जिस तिस परिमाणमें ऐसे सब लोगोंके पास

जमीन रहे, जो खेती करें या न करें। फिर सरकार सोचे कि आज उसने जमीदारी प्रथाका विनाश किया है, दस पाँच वर्ष उपरान्त फिर नया कदम वितरण सम्बन्धी उठाए; तो समय उसकी प्रतीक्षा न करेगा। किसानोंकी समस्या इतनी संजीदगी की है, कि भूमिका वितरण तात्कालिक प्रश्न है। यदि इसे हल न किया गया तो करोड़ों किसान जमीनके अभावमें असन्तोष-पूर्ण स्थितिमें रहेंगे और उनकी चिन्ताएँ खतरनाक स्थितियोंको जन्म देंगी। एशियाके किसान जब तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं, तब क्या भारतीय किसानोंकी समस्या एक युगके बाद हल होगी।

यांत्रिक-कृषि और सहकारी प्रथाके आधार पर कृषि विस्तार के लिए जमीनका राष्ट्रीयकरण और उसका समान वितरण आवश्यक है। सरकार जमीनका नया वितरण इस आधार पर करे, जो सहकारी रूपमें खेती करनेके लिए प्रस्तुत हों। सरकारके अधिकार-क्षेत्रमें जितनी भी नई जमीन आए, उसके वितरणका आधार सहकारी-संगठन हों। आगेसे सहकारी संस्थाओंको ही जमीन दी जाए। जमीन भले ही किसानोंके नामसे दर्ज हो, किन्तु उन सबका सहकारी-संगठन होना चाहिए। इस दिशामें सभी राज्योंका तीव्र गतिसे प्रयत्न होना चाहिए। धीरे-धीरे आगे बढ़नेकी व्यवस्था कभी कामयाव न होगी।

कृषि-उत्पादनकी सफलताकी एक ही चाबी है, जो कठिनाईयोंके पहाड़ोंको हटा सकती है और वह है—भूमिका राष्ट्रीयकरण।

## खेती संबंधी कानून

खाद्यान्न और कच्चे मालके उत्पादनमें देशके आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और उसकी स्वायत्तता कृषि व्यवस्थाके विकास पर निर्भर है। कृषि सम्पत्तिका समान वितरण होने और आयकी असमानता मिटाने पर किसानोंके शोषणका अंत होना बहुत कुछ संभव है। किसान और खेतिहार मजदूर भूमिके मालिक बनें और उनके हितोंकी पूर्ण रक्षा हो, तभी ग्रामीण समाजका आर्थिक स्तर समानताको प्राप्त हो सकता है।

ब्रिटिश शासन-कालमें बड़े जमींदारोंकी सृष्टि होने पर आम किसानोंके रक्तका जो शोषण हुआ और आर्थिक दृष्टिसे उन्हें जिस प्रकार निरापद रखा गया, उससे भारतीय कृषि उद्योगकी भयानक अवनति हुई। कृषि-क्षेत्रका उस अवस्थासे पुनरुद्धार होना वर्तमान कालकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। पर जब तक भूमिका एक समान आधार पर पूर्ण वितरण न हो, तब तक करोड़ों किसानोंकी आर्थिक अवस्थामें उन्नति होना संभव नहीं है।

पर जमींदारी उन्मूलनके पश्चात् भी, जहाँ राज्य और किसानके बीचके लोगोंका वर्ग बड़े जमींदार, ताल्लुकेदार और मालगुजारके रूपमें समाप्त हुआ, वहाँ अन्य चार वर्ग फिर भी असमान्तर रूपमें बने रहते हैं, और वे हैं, बड़ी भूमिके मालिक, छोटी और बड़ी श्रेणीमें भूमिके मालिक, गैर

मौरुसी खेती करनेवाले किसान, और भूमि-हीन खेतिहर मजदूर। इन सबके पास कितनी भूमि है और भूमिहीन कितने और किस स्थितिमें हैं, इस संवंधके प्रामाणिक अंक उपलब्ध नहीं हैं।

भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भूमि सम्बन्धी प्रश्नोंके अनुसंधानके लिए अब तक अनेक प्रयत्न किए गए। सन् १९३७ में प्रदेशोंमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके समय किसानोंके जो अंक तैयार किए गए, वे निर्जीव और निष्प्राण सावित हुए। सन् १९४६ में प्रादेशिक सरकारोंने भूमिकी जांचके लिए जो समितियाँ नियुक्त की, उनके परिणामस्वरूप किसानोंकी अवस्थाके सम्बन्धमें अधिक जानकारी प्राप्त हुई। सन् १९४५ में वंगाल अकाल कमीशनकी रिपोर्टमें भारतीय कृषि-पर्यवेक्षण गंभीरतापूर्वक किया गया। सन् १९४६ में कांग्रेस कृषि सुधार कमेटीकी रिपोर्ट ने कृषि संवंधी प्रश्नोंकी गहरी जांच की। यह रिपोर्ट सारे देशकी अवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इस रिपोर्टने अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक विशेषज्ञोंका मत है कि भारतीय कृषि-प्रश्नोंकी यह सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न प्रदेशों और रियासतोंमें अन्यान्य कमेटियोंने कृषि सम्बन्धी प्रश्नोंकी जांच पड़ताल की। मद्रास भूमि अधिनियम कमेटी, १९३६, वंगाल मालगुजार कमेटी, १९३६, उत्तरप्रदेश जमीदार उन्मूलन कमेटी, १९४६, डीसा मालगुजारी एवं काश्तकार कमेटी, १९४६, छेद्रा-

बाद कृषि सुधार कमेटी, १९४६, राजस्थान—मध्यभारत जागीर जांच कमेटी, १९४६, कोचीन भूमि प्रश्न कमेटी, १९४६, द्रावन-कोर-कोचीन भूमि-कमेटी, १९५१, सौराष्ट्र कृषि-सुधार कमीशन, १९५१, पटियाला पूर्वी-पंजाब रियासत संघ कृषि सुधार कमेटी, पंजाब भूमि सुधार कमेटी, मैसूर मालगुजार कमेटी और विलासपुर भूमि सुधार कमेटी, १९४६ आदि कमेटियोंने भूमि सम्बन्धी समस्याओंकी जांच की।

सन् १९४६ से भारतके प्रदेशोंमें राष्ट्रीय सरकारें भूमि-सम्बन्धी अनेक कानूनोंकी रचना करनेमें आगे बढ़ीं। आसाम में सन् १९४८ में भूमि सम्बन्धी अधिकार रक्षक एवं नियंत्रण अधिनियम तथा आसाम राज्य जर्मीदारी उन्मूलन अधिनियम स्वीकृत हुए। बिहारमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० और बिहार काश्तकारी संशोधन अधिनियम, १९४६, १९४७, १९४८ और १९४९ स्वीकृत हुए। बम्बई प्रदेशमें बम्बई काश्तकारी एवं कृषि भूमि अधिनियम, १९४८, बम्बई भागदारी एवं नखादारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, १९४७, बम्बई-ताललुके-दारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, १९४६, बम्बई मालिकदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, १९४६, पंच महाल मेहवासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, १९४६, बम्बई भूमि विभाजन प्रतिवंध एवं चकवंदी अधिनियम, १९४७ आदि स्वीकृत हुए।

कृषि रैयत एवं आसामी अधिकार प्राप्त अधिनियम, १९५०, और बरार कृषि कानून संशोधन अधिनियम, १९५० में

स्वीकृत किए गए। मद्रासमें मद्रास इलाका भूमि लगान घटाने का अधिनियम, १९४७, मद्रास इलाका भूमि उन्मूलन एवं रैयतवारीमें परिवर्तन अधिनियम, १९४८ को स्वीकृत किया गया। उड़ीसा प्रदेशमें जमीदारी उन्मूलन विधेयक, १९५० और पंजाबमें कृपक आसामीकी सुरक्षा अधिनियम, १९५०, पूर्वी पंजाब-भूमि-विभाजन प्रतिवंध और चकवंदीका अधिनियम, १९४८, तथा उत्तर प्रदेशमें उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, १९५० तथा अन्य कानूनोंके सिवा उत्तर-प्रदेश कृपक अधिकार प्राप्त अधिनियम, १९४६ और पश्चिम बंगालमें वरगाढ़ार अधिनियम, १९६० स्वीकृत किया गया। ‘ब’ और ‘स’ राज्योंमें हैदराबाद, पटियाला राज्य संघ मध्यभारत तथा अजमेर आदि हैं। इनमें जागीरदारी तथा जमीदारी उन्मूलन और काश्तकारी तथा चकवंदी एवं माल शासन एवं रैयतवारी आय आदि कानून विभिन्न राज्योंमें १९४४ और १९५१ के मध्यमें स्वीकृत किए गये। इस प्रकार राज्योंकी जुदी-जुदी परिस्थितियोंकी दृष्टिसे भूमिकी समस्या हल करनेके लिए ये कानून स्वीकृत हुए। इन सबका लक्ष्य हुआ कि जमीदारी प्रधाका उन्मूलन हो और किसानोंके हितकी दृष्टिसे अन्य व्यवस्थाएँ जारी की जायें।

योजना कमीशनने यह माना है कि किसानोंके भू स्वामित्व की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाए, खुद काम करनेवालोंको मुविधाएँ दी जाएँ, इसके सिवा दक्षतापूर्वक निश्चित स्तरपर

खेतीका आधार नियंत होनेके लिए कानूनसे व्यवस्था की जाए तथा छोटे और मध्यवित्तके किसानोंको सहकारिता प्रथाके आधारपर खेती करनेके लिए तरजीह दी जाए। किसानके भू-स्वामित्व उच्चतम सीमा निर्धारण, मालगुजारीकी रकम, भूमि की कुल उपज अथवा भूमिके पट्टेके मूल्यके आधारपर किया जाए। हर एक राज्यमें परिस्थितियोंके आधारपर इसका स्तर कायम किया जाए।

जमीदारी उन्मूलनके पश्चात् भी जिन लोगोंके पास अधिक भूमि है, उनकी भूमि और मौरुसी किसानों द्वारा जोते जानेपर निर्धारित भूमिसे अधिकका स्वामी किसान माना जाए। अतः जिन लोगोंके अधिकारमें बड़ी जमीनें हैं, उनके अधिकारकी सीमा नियत की जाए। सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकारकी व्यवस्थामें समस्त देशके भू-स्वामित्वकी और कृषि सम्बन्धी लङ्घोंकी गणना द्वारा जो वस्तुस्थिति प्रकट हुई, उससे यह निराकरण हो सकता है कि, प्रत्येक व्यक्तिके पास कितनी अधिक भूमि हो। इसके सिवाय भू-स्वामी द्वारा की जानेवाली खेती और उसकी व्यवस्थाका मान कानून द्वारा निर्धारित क्षमताके मानके अनुरूप हो।

यह भी सुझाव दिया गया कि, जहाँ एक व्यक्तिके अधिकार में बड़ी भूमि है, उसे दो भागोंमें बांट दिया जाए। एक वह भाग जिसके टुकड़े करनेसे उपजमें कमी हो और दूसरे भागमें न हो। दूसरे भागकी व्यवस्था राज्य अधिकारी तथा सहकारी

प्रथा द्वारा की जाए। छोटे और मध्य-श्रेणीके किसानोंको सहकारिताके आधारपर खेतीके लिए अग्रसर किया जाए। इस दृष्टिसे प्रत्येक राज्यमें छोटे किसानोंके खेतोंकी चकवन्दी की जाए और उनमेंसे हर एककी ऐसी सीमा निर्धारित हो जिसके उपरांत फिर उसके टुकड़े न हो सकें। इसके अतिरिक्त स्वयं खेती करनेके लिए जमीन प्राप्त करनेका अधिकार केवल उन लोगोंको दिया जाए, जो स्वयं या अपने परिवारवालोंके द्वारा खेती करें। परं पांच वर्षके अन्दरमें जमीनका मालिक स्वयं खेतीके लिए भूमि प्राप्त कर सकता है। यदि वह ऐसा न कर सके तो किसान को उस जमीनके खरीदनेका अधिकार निले।

कृषि-भूमिकी सारी व्यवस्थाएँ सहकारिताके आधार पर करना आवश्यक है। इससे जिन लोगोंके पास खेत न हों, वे भी उनके उत्पादनोंसे पूरा लाभ उठा सकें। इस दिशामें काश्त-कारी कानूनको अमलमें लाया जाए, खेतिहर मजदूरोंके हितोंकी रक्षा की जाए, छोटे किसानोंके लिए जमीनकी न्यूनतम व्यवस्था की जाए, बड़ी जमीनोंका पुनः वितरण करनेके सिवाय परती भूमिको भी खेतीके उपयोगमें लाया जाए।

‘भूमि सुधार संगठन’ भूमिका मूल्यांकन, भूमि सम्बन्धी समस्याओंकी जांच और सहकारी खेतीके प्रसार आदि के कार्यों को विलृत करे। यह संगठन भूमि सम्बन्धी समस्त सुधारोंका नियमित विवरण रखेगा। विभिन्न राज्योंकी प्रगतियों तथा उनके अनुभवों और भावी होनेवाले प्रयोगोंकी समस्त वातोंका

संग्रह करेगा, जिससे कि देश भरके किसान पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी व्यवस्थामें सुधार करनेका अवसर प्राप्त करें।

देहाती क्षेत्रोंमें लोगों द्वारा खोदे गये तालाब और जलाशय बहुतायतसे मिलते हैं। किसान और पशुपालक नये जलाशय बनाते हैं।

इधर तालाबोंकी संख्यामें वृद्धि हुई है। सामूहिक विकास-योजना क्षेत्रोंमें मछलियाँ पालने और सिंचाई आदिके कामोंके लिए तालाब बनानेको प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उनसे लाभ उठाकर मनोरंजन और कृषि-सौन्दर्यमें वृद्धि आदि हो सके।

इस समय सोच-समझकर चुने गए स्थलों पर ढंगसे बनाये गए तालाबोंकी संख्या बढ़ी है। उनसे पिछले वर्षोंमें साग-भाजी के उत्पादनमें तो वृद्धि ही हुई है, साथ ही भूमि और जलके स्रोतोंके संरक्षणमें भी बड़ी मदद मिली है।

बंगाल जैसे प्रदेशमें कृषि-क्षेत्रके तालाबोंमें मछलियाँ पालनेके विषयमें लोग ध्यान देते हैं और सिर्फ इसी प्रयोजनसे हजारों तालाब निर्मित भी किये गए हैं। तथापि, अधिकांश तालाब पशुओं, सिंचाई, आगसे रक्षा और बगीचोंके लिए पानी पहुँचाने या अन्य कार्योंके उपयोगके लिए बनाये गये हैं।

भूमि-क्षरणको रोकने और जल-स्रोतोंका उपयोग लेने आदि के कार्यक्रम शुरू किये गये थे और इन्हींके कारण पिछले वर्षोंमें

तालाव बनानेमें लोगोंने बहुत अधिक दिलचस्पी ली है। बहुत सी जगहों पर तालाव बनानेसे भूमिका कटाव रुक गया और भूमिके उपयोगकी व्यवस्था करनी सम्भव हो गई। उदाहरणाथ जो खेत मिट्टीके बुरी तरहसे कट-फट जाने या वह जानेसे खेतीके लायक नहीं रह गये थे, उनका सबसे अच्छा उपयोग उनमें घास उगा कर किया जा सकता है। इससे चरागाहका क्षेत्र बढ़ जाता है, क्योंकि बहुतसे स्थलों पर सदा पानी न मिलनेके कारण पशु बहुधा उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं।

कृषि-विभागकी दो शाखाएँ कृपकों और पशुपालकोंको तालाव बनानेमें योग दे सकती हैं। भूमि-संरक्षण शाखा स्थानीय भूमि-संरक्षण केन्द्रोंके सहयोगसे कार्य करते हुए तालावकी जगह चुनने, उसकी स्थुप-रेखा तैयार करने तथा उसके निर्माण, प्रयोग और व्यवस्था आदिमें हाथ बँटा सकती है। उत्पादन और विक्रय प्रशासनकी कृषि-संरक्षण-कार्यक्रम-शाखा किसानोंको ऐसे तालाव बनानेमें आर्थिक मदद दे सकती है जिनसे भूमि और जल-स्रोतोंके संरक्षणमें योग मिले।

खेतों और चरागाहोंके इलाकोंमें बनाये गए तालाव जल-चरों, बनचरों और फरवाले जानवरोंके विस्तार आदिकी दृष्टि से भी बढ़े उपयोगी हैं। इन तालावों द्वारा जंगली जानवरोंकी रक्षाके विविध उपयोगोंमेंसे एक काम मछलियां पालनेका भी है।

## जर्मींदारी-उन्मूलन

‘जर्मींदारी गाड़ीके पहिएके समान है, अर्थात् केवल निरर्थक ही नहों बस अड़गा लगानेवाली और जमीन पर एक अनावश्यक बोझ है। जर्मींदारी-उन्मूलन इस सचाइको प्रकट करता है कि जो जमीन जोतता है, वही उसका मालिक है, और जो अनाज पैदा करता है, वही उसका सर्वप्रथम भोक्ता है।

—जवाहरलाल नेहरू

उत्तर-प्रदेशमें १ जुलाई १९५२ का दिन इतिहासमें चिर-स्मर्णीय रहेगा। आजके भारतीय संघके इस सबसे बड़े प्रदेशमें यह दिन किसानोंकी मुक्तिका हुआ। वे जमीनके मालिक बने। लाखों किसान, राजा, नवाब, ताल्लुकेदार और जर्मींदारोंके बन्धनोंसे मुक्त हुए। अब किसान अपने भाग्यका स्वयं निर्माता बना। जर्मींदारी उन्मूलनसे किसानोंकी दुरावस्थाकी अन्ध-कारमयी लम्बी रातोंका अन्त हो गया। यह नव-विधान किसान जनताके लिए स्वर्ण-युग लानेका साधन बना। जर्मींदारीका अन्त जनताके निर्वाचित प्रतिनिधियोंके द्वारा निर्मित विधानसे हुआ और उसकी स्वीकृति इस देशके सर्वोच्च न्यायालयने प्रदान की। अतः उन्मूलन कानून वैधानिक करार दिया गया। इस वैधानिक आयोजन द्वारा जर्मींदारोंसे जो जमीन हस्तगत की गई, वह इस देशके आर्थिक इतिहासमें रक्तहीन क्रान्ति मानी जाएगी। यह शांतिमय विष्लव जनताकी मनो-कांक्षा और हड़ संकल्पसे सम्भव हुआ।

परिणाम यह हुआ कि समस्त छोटी-बड़ी जर्मीदारियोंके स्वत्व राज्यके अधिकारमें आए। अब जमीनको जोतनेवाले किसान अपना लगान सीधे सरकारको देंगे। इस कानूनसे किसानोंको विशेष सुविधाएँ प्राप्त हुईं। अपने वार्षिक लगानका दस गुना भाग चुकाकर वे अपनी जमीनके भूमिधर बने। इससे उन्हें लगानमें ५० प्रतिशत कमीकी छूट मिली। उन्हें यह भी अधिकार मिला कि वे अपनी जमीनका हस्तान्तर कर सकें और उसका चाहे जैसा उपयोग करें। अतीत कालमें किसानों को जो अधिकार भूमि-सम्बन्धी प्राप्त थे, वे उन्हें प्राप्त हुए।

इस परिवर्तनसे प्रारम्भी समाज अपनी जमीन, अपने ग्राम का लोकतन्त्रके आधार पर व्यवस्था करनेमें समर्थ होगा। आज हरएक किसान इस स्थितिमें है कि वह अपने और अपने देशके हितके लिए राष्ट्रीय सम्पत्तिकी अभिवृद्धि करे। वह अपनी भूमि की पैदावार बढ़ाकर अपनी आर्थिक समृद्धि करनेमें आगे बढ़े।

शताब्दियों तक किसानोंने कष्ट और यातनाएँ भेली हैं। यह कहना न होगा कि उत्तर-प्रदेशके किसानोंपर पिछली शताब्दियोंमें विपत्तियोंके पहाड़ टूट पड़े थे। भेड़-बकरियोंसे भी निम्नतर उनका जीवन था। इस निष्टृप्त जीवनमें पड़े हुए साढ़े पांच फरोड़ किसानोंको सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ। अहिंसात्मक नांदीयादी नार्गसे अद्भुत-कृषि-विष्वव हुआ। मौर्य और गुप्त दंशके विश्वात् दिनोंके पश्चात् किसानोंको अपने सम्बूर्ज अधिकार और जिन्मेदारियाँ प्राप्त हुईं। पंचायत-राज्य

कानूनके जाग्रत कालमें जमीदारी उन्मूलन कानूनने प्राचीन काल के ग्राम-गण-राज्यका पुनर्निर्माण किया ।

ग्रामीण-समाज नवीन रूपमें स्वशासनको ग्रहण कर रहा है, जिससे उसके सामाजिक ढाँचेकी पुनर्रचना होगी । वह अपना नव-निर्माण सहकारी प्रणालीको नींव पर करेगा । नए जीवनमें किसान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करनेमें समर्थ होगा और राज्यके साधनों तथा श्रोतों पर नियंत्रण करनेमें अग्रसर होगा ।

अब ग्रामोंमें कोई वर्ग नहीं होगा । यह ग्रामोंके नेतृत्वको श्रेय है कि उन्होंने भारतमें वर्गहीन समाजकी रचनाका देशमें सूत्रपात किया । सब एक श्रेणीमें परिणत हो गए । कोई बड़ा व छोटा नहीं रहा । सब एक दूसरेके प्रति भाई-भाईकी तरह रह कर लोक-कल्याण-राज्यके दृष्टी होंगे ।

जमीदारी उन्मूलन द्वारा जमीदारियोंके विनाशसे जनताके ७५ प्रतिशतसे अधिक व्यक्तियोंके हितोंकी रक्षा होती है । ७.२२ करोड़ एकड़ सम्पूर्ण भेत्रमेंसे ६.०२ करोड़ एकड़ जमीन पर कानून का असर पड़ता है । जिन जमीदारों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी संख्या २०.१७ लाख है ।

राष्ट्र-पिता महात्मा गांधीके विचारोंका सन्मान करते हुए और सभी विपरीत मांगों पर कोई ध्यान न देते हुए जमीदारोंको नकद और बांडमें उनकी जमीनका मुआवजा दिया जाएगा । यद्यपि आर्थिक दृष्टिसे मुआवजेका चुकाना देश पर एक बड़ा

भार है, और आजकी भावनाओंमें जनताका वहुवर्ग उसके सर्वथा विपरीत है। अन्य देशोंमें जहां भी आर्थिक परिवर्तन हुए, जमीदारोंको कोई मुआवजा न देकर जमीन जप्त कर ली गई। चीनने अभी हालमें ही जमीदारी उन्मूलन कर सारी कृषि-भूमि पर राज्यकी सत्ता कायम की। काश्मीरने भी जमीदारी उन्मूलन विना मुआवजेके किया। उसने जमीदारोंको किसी प्रकारकी क्षति-पूर्ति न देनेका निश्चय किया। जो कुछ हो, जमीदारी प्रथा मृत प्रायः हो चुकी थी। शताव्दियोंसे उसने करोड़ों ग्रामीणोंकी गर्दनें दबा रखी थीं। पर लाचार परिस्थितियोंमें साधारण किसान जमीदारी प्रथाके पाटमें पिसकर अन्याय और अत्याचारोंका सामना कर रहा था। कोई उपाय नहीं था कि वह किस प्रकार मुक्त हो।

इस जमीदारी प्रथाने शताव्दियोंसे आर्थिक दुरावस्था, सामाजिक असमानता और निराशापूर्ण जीवनकी भावनाएँ पैदा कर रखी थीं। ग्रामीणोंके लिए आजके आदर्श मृगतृष्णावत भे। ग्रामोंके विनाशसे समाजकी सम्पत्ति अनस्थिर अवस्थामें घटर-उधर विखरी हुई थी। इससे जन-समाजका आर्थिक और नैतिक दोनों पतन हुआ। सुतरां ग्राम घंडीघर घन गए थे, जहां मनुष्योंकी आत्माएँ पशुओंके समान घंड थीं। अतः कोटि-कोटि किसानोंकी दुरावस्थाका एक प्रधान कारण इस आर्थिक परिवर्तनसे दूर हुआ। इस नए अधिकारको प्राप्त कर लाखों और करोड़ों किसानोंका जीवन सुखी बनेगा।

जमींदारी-उन्मूलन कानूनकी रचना बुनियादी सिद्धान्तोंके आधार पर की गई जो मानवके सामाजिक जीवनसे सम्पर्क रखते हैं। यह पृथ्वी प्रकृतिकी सबसे बड़ी देन है। इसीके द्वारा हरएक देशके लोग खाद्य पदार्थ, कच्चा माल और खनिज सम्पत्ति प्राप्त करते हैं। समाजका विकास होने पर जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार कायम हुआ क्योंकि संभव नहीं था कि सारा समाज एक साथ उसका उपयोग करता। इस प्रकार जमीनका वितरण अनधिकृत रूपमें हुआ। यह नवीन प्रयत्न इस आदर्श पर है कि सारा समाज समान रूपसे जमीनका उपयोग करनेमें पूर्ण समर्थ हो। समाजका यह कर्तव्य होगा कि अब जमीनका वही वर्ग उपभोग कर सके, जो अपना खून और पसीना उसके लिए बहाए, अपने हाथमें फांड़ा लेकर उसे खोदे। अब तो जमीन उसी मेहनतकश की है, जो उसके लिए जिए और मरे।

इसलिए हमारी सामाजिक व्यवस्थामें जमींदार, और सामंतका कोई स्थान नहीं है। जमींदार, जागीरदार और सामत वीते युगके वर्ग हैं। उत्तर प्रदेशके जमींदारी-उन्मूलन कानूनमें यह व्यवस्था है कि जो व्यक्ति स्वयं खेती नहीं करेगा, वह जमीन का अधिकारी न रह पाएगा। इस प्रकार जमींदार और खेति-हर किसानका बन्धन टूट गया और किसान सीधे राज्यके सम्पर्कमें आ गया। पर यह ध्यान रखा गया कि जमींदार वर्ग किर अपना सिर न उठाने पाये। यह भय निराकरण नहीं

है। यह प्रश्न तब उठता है, जब जमीन पर सत्ताका अधिकार दो अंगोंमें विभाजित होता है अर्थात् (१) जमीन पर स्वामित्वका अधिकार और (२) खेती करनेका अधिकार। ये अधिकार जब बँट जाते हैं और दो जुड़े व्यक्तियोंके हाथमें आते हैं, तब जमीदारी अपना फिर सिर उठाती है। जब कोई किसान जमीन परके अपने स्वामित्वके अधिकारका हस्तांतर करता है या जमीन किराए पर उठाता है या उसे बन्धक रखता है, तब जमीदारीके अधिकार अपना काम करने लगते हैं।

यद्यपि इस प्रकारके स्वामित्व और उपभोगके अधिकारोंके टुकड़े छोना सन्भव नहीं हैं, क्योंकि इस दिशामें कानूनमें कड़ी दंदिशों की गई हैं। जो किसान अपनी जमीन बेचेगा, उसे वह उपभोगके अधिकारके साथ देचेगा। अधिकारोंका विभाजन हो पाएगा। केवल कुछ लोगोंको छूट दी गई है कि वे जमीन पर अपना अधिकार कायम रखते हुए उसे दूसरोंको खेतीके लिए दे सकेंगे। इस वर्गमें सैनिक हैं, जो लोग जेलोंमें पड़ दें या जो दिमागी और शारीरिक हृष्टिसे परिश्रम करनेमें असमर्थ हैं। पर किसान अलवक्ता स्वतन्त्र रहेगा कि अपनी खेतीमें अपने साथ दूसरोंका सहयोग प्राप्त करे और परिश्रमके पद्धते उपजन्में दिल्ला दें; किन्तु इस अवस्थामें जमीन पर अधिकार दूसरोंका न हो पाएगा। किसान ही मालिक रहेंगे। जमीन दलधर स्वर्गमें कराई न रखती जा सकेगी। न तो कोई किराएमें जमीन दे सकेगा और न दन्धकतां दोनों अवस्थाओंमें भारी दण्डकी व्यवस्था है।

सरकार चाहती तो विधानमें आमूल परिवर्तन कर बिना मुआवजा दिए जमीन प्राप्त करती, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। उसने किसी वर्गके प्रति कोई अन्याय नहीं होने दिया। यही कारण है कि जमींदारोंको जहाँ उपयुक्त मुआवजा देनेकी व्यवस्था की गई, वहाँ उनका सीर, खुदकाशत पर अधिकार रहेगा तथा छोटे जमींदारोंको मुआवजेके अतिरिक्त पुनर्वासके अनुदान प्राप्त होंगे। समाजमें शांति कायम रखनेकी भावनासे ये प्रयत्न किए गए। लोकतन्त्र-शासनमें यही उपयुक्त मार्ग था, जिसे हमारे राष्ट्रने ग्रहण किया। इसके विपरीत मुआवजा न देना हमारे लोकशाही आदर्श तथा विधान दोनोंके विपरीत होता। जमीनकी जप्ती एक घातक सिद्धान्त है, जो समाजमें सद्भावना उत्पन्न नहीं करता। यह अमानुषिक कार्य होता। यह माना कि जमींदार-वर्गने अत्याचार किए, अन्याय और जुल्म ढाए, उनके काले कारनामे बने हुए हैं, किन्तु वावजूद इन सबके हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने दुश्मनके प्रति भी न्याय करें।

हमारे महान नेताने हमें जो सबक सिखाया, उसे हम न भूलें। साम्यवादी देशोंमें भले ही मुआवजा न दिया गया हो; किन्तु लोकतंत्र देशोंमें जमींदारोंसे जमीन लेने पर उन्हें मुआवजा दिया गया। ब्रेटब्रिटेनमें समाजवादी सरकारने उन लोगोंको मुआवजा दिया, जिनकी सम्पत्तिका उसने राष्ट्रीयकरण किया।

जमींदारोंको अपने वार्षिक लगानका अठगुना मुआवजा

प्राप्त होंगा। उसके अतिरिक्त जो जमीदार दस हजार रुपए तक मालगुजारी जमा करते रहे, वे अपने जायदादकी असली कीमत पर एकसे बीस गुना तक पुनर्वासके अनुदान प्राप्त करेंगे। बक्फ, ट्रस्ट और अन्य धर्मांदोंको वार्षिक रकम चुकानेकी जिन्मेदारी दी गई है। अतएव उत्तर-प्रदेश राज्यके जमीदारोंको प्राप्त: १५० करोड़ रुपए मुआवजेमें प्राप्त होंगे। पर यह मुआवजा किसानोंके धनसे चुकाया जाएगा। वे जो लगान जमा करेंगे, उसीसे जमीदारोंकी भूति पूर्ति होगी।

जो किसान सरकारको जमीनका लगान देंगे, नए कानूनने उनके विलृत अधिकार स्वीकृत किए हैं। जो लोग जमीन पर खेती करते हैं, उनका उसपर चाहे त्वामित्व हो या वे काश्तकार हों या सहायक काश्तकार हों या जमीन परसे गुजरनेवाले हों, पिन्नु उन सबका १३१६ फौलीके रेवन्यूके कागजातोंमें इन्ड्राज हो तो उन सबका जमीन पर अधिकार माना जाएगा। उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होगी और उन्हें अपनी जमीनोंसे कोई बंचित नहीं कर सकेगा। केवल जमीन पर अधिकार रखनेवाले किसान ही नहीं, दलिक रैयत भी, जिन्हें अपनी कृषि-भूमिके एकांतरण अधिकार प्राप्त है, वे भूमिधर ( जमीनके मालिक ) होंगे। उन्हें भौजूड़ा भी अधिकार प्राप्त होंगे। जो लगान देनेवाले किसान किसी भी विधिके होंगे और किसी जमीदार की साली जमीन परसे नियन्त्रनेवाले होंगे या जो अपनी जमीनमें देती हरत्ते होंगे और सरकारको २५० रुपएसे अधिक

मालगुजारी चुकाते होंगे, वे सब सीरदार कहलाएँगे, उन सबके भी मौजूदा अधिकार वरकरार रहेंगे। आगेसे वे जमीदारोंकी अपेक्षा सरकारको लगान देंगे। उप-काश्तकारको अधिवासी कहा जाएगा। अभी तक उनके कोई अधिकार नहीं थे, किन्तु अब उनके पास जो जमीन होगी, उसके सम्बन्धके चाहे जो इकरार हों, वे सब खत्म हो गए और वे भी जमीदार सीरदार और मुख्य काश्तकारकी स्वीकृति द्वारा पांच बर्षोंके अन्तर्गत भूमिधरके स्वत्व प्राप्त कर सकते हैं। पर इस अवधिके अन्तर्गत उन्हें अपना लगान सीरदारोंको चुकाना पड़ेगा।

सारांश यह कि सभी प्रकारके काश्तकार अर्थात् सीरदार और अधिवासी दसगुना लगान जमा कर भूमिधर हो सकेंगे। उन्हें भी अन्य भूमिधरोंके समान सभी रियायतें प्राप्त होंगी। उनके लगानमें आधी छूट दी जाएगी। वे भी अपनी जमीनका हस्तांतर कर सकेंगे और जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार उसका उपभोग करेंगे। अधिवासियोंको पन्द्रह गुना लगान चुकाना पड़ेगा।

भूमिधरोंसे सरकारको जो धन प्राप्त होगा, उसका उपयोग वह जमीदारोंको मुआवजा चुकानेमें करेगी। यदि सरकार को सबसे पूरी रकम प्राप्त होगी, तो वह जमीदारोंको वजाय बांडमें पूरी रकम नकद चुकाएगी अन्यथा सरकारको उन्हें बांड देने पड़ेंगे। किसानोंके लगानकी आधी रकम इन बांडोंके चुकानेमें व्यय होगी।

उत्तर-प्रदेशमें तीस प्रतिशत किसान दसगुना लगान जमा कर भूमिधर बन चुके हैं। सब काश्तकारोंके द्वारा दसगुनी रकम जमा करने पर कोई सीरदार तथा अधिवासी न रहेगा। उस नमय समस्त काश्तकारोंका एक वर्ग होगा, जो भूमिधर कहलाएगा। घांडोंके सशवन्यमें जमीदारोंको यह भव्य है कि जालीस वर्षकी अवधि बहुत घड़ी होती है और कहीं नई सरकार इन घांडोंको रद्द न करने दे। मगर जमीदार-उन्मूलन-कोपकी पूरी रकम बसूल दोनेमें जमीदार वर्ग ही वाधक हुआ, जमीदारों का विरोधी आन्दोलन उनके हितोंको तुकसान देनेवाला हुआ। उनका अलंगा न होने पर अब तक बहुत थोड़ी रकम विना बदूल हो जाए, जिससे कि जमीदारोंको पूरा मुआवजा नकट मिले। पर लाचार अवस्थामें उसने घाँड जारी किये। यह घांड देख रहे और अन्य सरकारी क्षणोंके समान ही इनकी स्थिति होगी। कोई भी नया शासन उन्हें सहसा मिटा न सकेगा।

प्रामण नभी निवासियोंका जमीन और वृक्षों आदि पर अधिकारके अतिरिक्त उनका मकान, निजी कुराँ, वृक्ष और अन्य अतिरिक्त जमीन पर व्यक्तिगत अधिकार कायम रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रामकी अन्य सब जमीन पर प्राम-समाजका अधिकार रहेगा, जो उनके यितास और वन्नतिकं लिए सदा प्रचल-शील रहेगा। प्रामकी पहली जमीन, चरागाह, मार्ग, तालाब, गढ़, रियोंर ताल, उमिसान, रसान, गलियाँ, मैदान, सार्दजनिक


कुएँ, नाले, आदि जिनका सब ग्रामवासी उपभोग करते हैं, उन पर सबका अधिकार नियत किया गया है। इन स्थानोंसे जो आय होगी, वह सब ग्राम-समाजमें जमा होगी। इस प्रकार सारे राज्यमें प्रति वर्ष कई लाख रुपएकी आय होगी। इस प्रकार ग्राम-पंचायतके अधिकारमें ग्रामकी सारी व्यवस्था रहेगी। ग्राम-समाज पंचायतोंके द्वारा ग्राम विकासमें पूर्ण योग देगा जिनमें कृषि बिकास, सहकारी कृषि, पशु-पालन, मछलीका धंधा, जंगलकी व्यवस्था, यातायात और छोटे उद्योग-धंधोंकी उन्नति करना है।

ग्राम-समाज अपने ग्रामके हितोंकी ओर पूर्ण ध्यान देगा। वह ग्रामका संरक्षक होगा। ग्राम और ग्रामीणोंके हितोंमें उसकी सारी शक्तियाँ लगेंगी। उसका यह लक्ष्य रहेगा कि ग्रामकी जमीन परती न पड़ी रहे, अविकसित न रहे और अधिकसे अधिक जमीन कृषि-उपयोगी बने तथा उसमें अधिकसे अधिक पैदावार हो। इस प्रकार ग्राम-समाजको बिस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिस जमीनका जमीदारने खेतीके लिए उपयोग नहीं किया है, उस पर समाज अपना अधिकार कायम कर सकेगा। आज जिस जमीनमें खेती हो रही है, उसे भविष्य में समाज बर्बाद न होने देगा। जिस जमीनका कोई वारिस न होगा, भूमिधर तथा सीरदारका कोई उत्तराधिकारी न होगा तथा जो जमीन गैरकानूनी रूपमें बंधक रखी जाएगी या बेची जाएगी अथवा हस्तान्तर की जाएगी, उस पर ग्राम-समाजका अधिकार कायम होगा।

# अन्नपूर्णा-भूमि—




खेती सम्बन्धी सुधारों पर विचार



खेत-हीन लुधि प्रान्ति : जमीदारी-उन्मूलन

# अन्नपूर्णा भूमि—



पंचायत की रात्रि-पाठशाला



भूमि की उर्वरा शक्ति वढ़ाने का निश्चय

ग्रामीण वर्गको पंचायत राज्य कानूनके अन्तर्गत न्याय और व्यवस्थाके अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसे विस्तृत आर्थिक अधिकार भी हैं। पर वह किसानके व्यक्तिगत अधिकारोंके उपभोगमें कोई दृस्तब्देप न करेगा। हरएक किसानकी अपनी जमीन पर पूर्ण सत्ता रहेगी। कानूनने कृपक और ग्राम-समाज दोनोंके अधिकारोंकी विवेचना की है। एक किसानको दूसरे किसान कोई कष्ट न दे सकेंगे और न उसका शोषण कर पाएंगे। कोई किसीके जीवनका घात न कर पाएगा।

किसी किसानके पास न तो अधिक जमीनका होना बांध-नीय है और न धोड़ी जमीनका। यह कहीं अधिक उपयुक्त है कि इन दोनों अवस्थाओंको मिटानेके लिए ग्रामोंमें सहकारी प्रणाली पर खंती हो। छोटे-बड़े ग्रेटोंके प्लाट तैयार करनेकी पानूनमें व्यवस्था है। प्लाटोंकी दोनों सम्मिलित रूपमें होने पर किसानोंके जमीनके अधिकार पर कोई आंच न आयेगी, उल्टे पैदावारमें अधिक दृढ़ि होने पर उनकी आयमें वृद्धि होगी। इनी प्रदार भविष्यमें वर्तमान जमीनके अधिक हुकड़े न हों, इसका मदा ज्ञान रहे। कानूनने अदालतोंको अधिकार दिया है कि वे ऐसे दिग्भाजनोंको स्वीकृति न दें।

ग्राम-समाजका यह प्रबन्ध होना चाहिए कि वह किसानोंमें सामाजिक समाजके भाव पैदा करे। उसे जपनी सारी शक्ति नियन्त्रारी-सुरक्षिमें लगानी चाहिए। वही ग्राम इन्हें होना और ग्राम-समाज अपनी सामा जापता, जिसमें ग्रामीण शूष्पि और

उद्योग-धंधे सहकारी प्रथाके आधार पर करेंगे। व्यक्तिगत और सामाजिक मतभेद अनेकताके कारण न हों। आर्थिक क्षेत्रमें सभी किसान एक सेनाके अनुशासन माननेवाले सैनिक बनें।

जमींदारी विनाशका ग्रामीण किसानोंपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन सम्बन्धी साधन विकसित होने तथा जमीन पर अधिकार होनेसे वे अधिक पैदावार बढ़ानेमें समर्थ होंगे। इससे उनका आर्थिक स्तर उच्चतर होगा। वे अब अधिक सुरक्षा प्राप्त करेंगे।

विनष्ट हुई अराजकताकी मिट्टीसे ग्रामोंमें नवीन सामाजिक व्यवस्थाका निर्माण होगा, जो लोकतन्त्रका शक्तिशाली अवलम्ब होगा। ग्रामीण जिस नए स्तर पर आज खड़े हैं, इससे वे राष्ट्रको उस लक्ष्य तक पहुँचा सकेंगे, जिसकी राष्ट्र-पिता अपने जीवनमें सदा कल्पना करते रहे।

उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्यभारत और राजस्थान आदि सभी राज्योंमें जमींदारी, मालगुजारी और जागीरदारी प्रथा नष्ट कर किसानोंको जमीनका मालिक बनाया जा रहा है। सभी राज्योंमें जमींदारी-उन्मूलन द्वारा कृषक वर्ग शक्तिशाली स्तम्भ होगा। उसके ही कंधों पर राष्ट्रके अभ्युदय और सुरक्षाका भार रहेगा।

# भूमि विभाजन का आधार

भारतकी अनेक समस्याओंमें आज जमीनके विभाजन तथा वितरणका प्रश्न सर्वोपरि है। राजनीतिक, आर्थिक और नामाजिक तथा अन्य किसी भी हानिसे बहु प्रश्न इतना गंभीर है कि उसके द्वारा ही देशकी सुख-शांति निर्भर है। लाखों और परोड़ों व्यक्तियोंका जमीन पर अधिकार कायम हो या बहु उन मध्यकी पृष्ठि आजीविकाका साधन देने। आज ग्रामोंमें करोड़ों लेतिहर मजदूर विना जमीनके निराश्रित अवस्थामें हैं, किन्तु उनके क्षियाथ नगरोंके लाखों शिक्षित अधिवितोंके लिए भी जमीन चाहिए। नगरोंकी बढ़ती हुई भीषण देफारीका प्रश्न नरलालके अस्थारी दफतरोंसे ऐल न होगा। सरकार कब तक किनते आदिगियोंको नौकरियाँ देगी। नरलाली दफतरोंकी अस्थायी नौकरियाँ अस्पतालोंके इलाजके समान हैं। उनसे लोगों की धीमानी नहीं जाती। उन्हें भी ग्रामोंमें घमाना होगा।

पर यह विचारणीय है कि जमीन किनी है, किस अवस्था में है और उसका विभाजन किस प्रकार है। भारतीय नगर-साड़पसी जमीनपरी पैमाल्याका विवरण इस प्रकार है:—

जमीनपरी पैमाल्या—१६४७-४८ (एजार पकड़ों)

एषि भूमि—

नरलाली पैमाल्याके अनुसार  
ग्राम-परोंके अनुसार

जंगलोंके अन्तर्गत जमीन	८६४८८
कृषि अनुपलब्ध जमीन	६५६६२
प्रयोगमें न लाई गई अन्य जमीन	६१६३२
वर्तमान ऊसर-जमीन	६०७१५
कृषि जमीन	२४५२७१
अन्य कृषि योग्य जमीन	१३५०६

भारतके विभिन्न राज्योंमें कितनी जमीन कृषिमें लगी हुई है और कितनी ऊसर तथा बंजर पड़ी हुई है :—

कृषि-जमीन ( हजार एकड़में )	ऊसर जमीन ( हजार एकड़में )
आसाम	५२३४
बिहार	१७६६१
बम्बई	३३८२१
मध्यप्रदेश	२८०२५
मद्रास	३०४६२
उड़ीसा	६५१७
पंजाब	१२०८८
उत्तर प्रदेश	३८८०
पश्चिम बंगाल	११७४२
हैदराबाद	२३८५३
जम्मू-काश्मीर	२२५८
मध्य भारत	७६६२

## भूमि विभाजनका आधार

१४१

मेसूर	६४८८	१७०९
पटियाला राज्यसंघ	४३५३	७०१
राजस्थान	८३८५	२८६२
सौराष्ट्र	१०१३	—
ग्रावनकोर-कोचीन	२८३८	७२
विध्यप्रदेश	४६०	१६२
अजमेर	४४३	१८१
भृपाल	१५६२	१३०
बिलासपुर	७८	४५
कुर्मा	१६३	४२
दिल्ली	२२५	१५
दिमाचल प्रदेश	६०२	१३४
कर्नाटक	४६२	१६०८
	२४५,८७१	६०,५१५

इन अंकोंमि विधित होता है कि ५८११२३००० एकड़ जमीन में से ५०७१५००० एकड़ जमीन उत्तर तथा बंजर पड़ी हुई है अपर्याप्त इस एकड़ जमीनमें से १ एकड़ जमीन बेकार है। ५८११२३००० एकड़ जमीनमें से केवल २४५,८७२००० एकड़ जमीनमें खेती होती है। इन प्रकार प्रति दस एकड़ जमीनमें से प्रत्येक एकड़ जमीनमें एक एकलते हैं और अवशेष छः एकड़ जमीन एक्सिंक लिये निकल दी गयी है।

अतः जमीनसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्नलिखित समस्याएँ विचारणीय हैं :—

- १—सम्भवतः ६०७ लाख एकड़ जमीन कृषि-योग्य जमीन वंजर पड़ी हुई हैं।
- २—प्रायः २५ एकड़ कृषि-अन्तर्गत एकड़ जमीनमें से केवल ४ एकड़ जमीनमें सिंचाईकी व्यवस्था है और अवशेष वर्षा पर निर्भर है।
- ३—पीढ़ियोंसे खेती होती रहनेके कारण कृषि-जमीनकी उत्पादन शक्ति नाइट्रोजन सलफेटकी कमी होनेसे घट गई है। इसलिए जमीनमें अधिक उत्पादनके लिए नाइट्रोजन सलफेट-युक्त खाद की अत्यधिक आवश्यकता है।
- ४—कृषि-परिवारोंमें अन्य सम्पत्तिके विभाजनके साथ-साथ भूमि भी छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बँट गई। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि अनेक कृषि परिवार जमीनसे वंचित हो चुके हैं और जिनके पास जमीन है, वह एक या आधे एकड़ से अधिक नहीं है।
- ५—किसानोंके कृषिके कारण बहुत सी जमीन महाजन तथा अन्य व्यक्तियोंके अधिकारमें चली गई है, जिनकाधंधा प्रायः खेतीबारी नहीं है।
- ६—वर्तमान जमींदारी-उन्मूलनके पश्चात् भी अधिकांश जमीन पर जमींदार, जागीरदार तथा मालगुजारोंका अधिकार स्थित है। इसके सिवा जिन कृषक परिवारोंने मुआवजा

देकर जमीन पर अधिकार प्राप्त किया है, उनमेंसे बहुतोंके पान अधिक जमीन है या उनमेंसे अनेकोंका ध्यान खेती-यारीका नहीं है।

५—जलप्रदाता और अन्य प्राकृतिक कारणोंसे प्रति वर्ष कई लाख एकड़ जमीन कट जाती है। इन क्षतिसे रक्षा पानेके द्वाय अभी तक नहीं किए गए।

इन सबमेंसे सबसे मुख्य प्रश्न जमीन पर किसानके व्यक्तिगत अधिकारका है। प्राप्तके एक हुपक परिवारके पास औसतन कितनी जमीन है और हुपक परिवार कितना बड़ा है, इनका निर्णय करना सहज नहीं है। इम किसानोंके निम्नपरमें उन लोगोंकी शामिल कर लेते हैं, जिनका हृषि सदानुक धंथा है। ग्रेडिलर सजदूर और पार्श्वगर आदि जो जाय दड़ानेके लिए देनी पारी पक्कते हैं, जब इम इन लोगोंको भी किसानोंके नाम शामिल करते हैं, तब इसके किसानहैं पास औसतन जमीनका अवैधता ल्यन प्रदृढ़ होता है। एक हुपक परिवारके व्यक्तियोंकी संख्या अवैध परिवारोंमें नहीं बीं जा सकती। हुपक परिवारोंमें सदाचारोंकी संख्या लड़ी अधिक होती है और हमें इम हृषिसे जमीनवें आवाहन औसत प्राप्त करना प्राप्ति।

एक ही सातवां भिन्न-भिन्न ज़िलोंमें जमीनके वितरणका अविभाग भारी अन्यायज्ञा बढ़ाव प्रदृढ़ करता है। किर भिन्न भिन्न राज्योंमें सो अवैध ही दूसरी है। देशम यह नवा कि राई ८ से २० गज़ रखनेवाले हुपक परिवारका औसतन ५-६

प्रतिशत है, वहां १ एकड़से नीचेका औसत २५·६ से ४१·६ या इससे भी अधिक है। पर यदि यह सोचा जाए कि इस औसतमें खेतिहर मजदूर आदि शामिल हैं, तो विशुद्ध कृषि-परिवारकी दृष्टिसे भी औसतन जमीनका प्रतिशत ५ एकड़से अधिक नहीं है। आवश्यकता तो यह है कि सभी राज्य सरकारें कृषि क्षेत्रोंकी जांच करें, जिसमें प्रत्येक विषय पर प्रामाणिक अंक प्राप्त किए जाएँ। कितने मूल कृषक परिवार हैं तथा कितने खेतिहर मजदूर हैं और उन परिवारोंकी औसत संख्या क्या है, तथा उनमेंसे प्रत्येकके पास कितनी जमीन है, तथा जमींदारी उन्मूलनके पश्चात् जमींदारोंके पास कितनी जमीन है, तथा फार्मोंके रूपमें भिन्न भिन्न बगाँके पास कितनी जमीन है, जिनका धन्धा एकमात्र कृषि नहीं है अथवा जो छोटे बड़े कारखाने चलानेके लिए फार्ममें कृषि उत्पादन करते हैं, इन सबकी पूरी जांच होना आवश्यक है। इसके उपरांत भूमिका, औसत आकार नियत करें और फिर उसका साहस पूर्वक वितरण करनेकी व्यवस्था करें।

भूमिका पुनर्वितरण देशकी सबसे बड़ी समस्या है। देशके पुनर्निर्माणका प्रश्न है, उसका निराकरण दान-दक्षिणा नहीं है। वह तो आर्थिक प्रश्न है और उसका हल जमींदारी उन्मूलनसे भी भयंकर है। यह बड़ा क्रान्तिकारी कदम है और इसके लिए देशमें उपयुक्त वातावरण उत्पन्न होना चाहिए। यदि यह वितरण शांतिमय वातावरणमें हर एक राज्यमें हुआ, तो राष्ट्रकी एक बड़ी समस्या हल होगी, इस वितरणसे जहां ग्रामीण क्षेत्रोंकी

अनुमानता दूर होगी, वहाँ आर्थिक साम्यताका अनुकूल बातावरण उत्पन्न होने पर लोगोंमें सहकारिताके भाव उत्पन्न होंगे। यह परिवर्तन होने पर प्राचीनमें नए समाजकी रचना होगी और एक नए युगकी स्थापना संभव होगी।

भूमिकी इकाईकी मात्रा इतनी हो कि एक जोड़ी दैल जोत गके और उससे कम से कम इनना अनाज और चारा पैदा किया जा सके कि जो उस जमीन पर लगे हुए परिवार तथा पशुओंके निर्यातके लिए पर्याप्त हो। यह भी प्रकट है कि देशमें मर्याद पक्ष सर निर्धारित नहो किया जा सकता है। हर एक प्राचीन और जिलेकी जमीन, येतीकी अवस्था और सिन्चाई तथा धूलोंकी अवस्थाके अनुमार भूमिकी इकाई निर्धारित की जा सकती है। यह इकाई तथा जोन सामुद्रिक तथा सहकारिताके आधार पर योनी करने पर बढ़ सकती है।

जेनरिंग लिए दैल याट्रैक्टर हो ही साधन है। पर ट्रैक्टरोंका उपयोग येतीमें गदुपर्यायोंपर निराकरणानेवाला साधन है। मानव और भूमीनर्दी तुलनामें मानवका मूल्य अधिक है। ट्रैक्टरोंका उपयोग जमीनसांग अन्तर्री घनानिंद्रियोंमें उपयोगी है। पर नाधारण रेतींसे लिए ट्रैक्टरोंसे उपयोग हानिशर है। यीन जैसे देशमें, जहाँ अधिक जन मौजूदा है, ट्रैक्टरोंका नीनित उपयोग किया गया है। इसलिए भारतमें रेतींसे लिए पक्ष परिवासके लिए जमीनर्दी इकाई इस निर्दिशन की जाए और दृष्टि बर्तमान नियमित लिए जाए। उपर्युक्त हमारी नगरिति भारतमें नद रहती है।

लाख एकड़ जमीन जोती जाती है और इस पर २६ करोड़ ६० लाख मन फसल होती है। ४ करोड़ ५० लाख एकड़ जमीन सिचाई के लिए उपयुक्त है और कुल जुती हुई जमीनके चौथाई भागमें वर्षमें दो फसलें होती हैं। नौ करोड़ एकड़ खेतीके योग्य जमीन विना जुती पड़ी रहती है और चरागाहका काम देती है। आठसे नौ करोड़ एकड़ जमीन जोतने योग्य नहीं हैं और इतनी ही जमीन पर बन हैं। इसके सिवा ४ करोड़ ८० लाख एकड़ जुती जमीन उत्पादन शक्तिकी वृद्धिके लक्ष्यसे खाली रखी जाती है। हमारे यहाँ पश्चिमी संरूप्या १७ करोड़ ७७ लाख है, जिसमें अनुमानतः ५ करोड़ ६० लाख बैल, ४ करोड़ ३० लाख गायें, ३ करोड़ ८० लाख गायके बच्चे, २ करोड़ भैंस, ६० लाख भैंसे और १ करोड़ ४७ लाख भैंसके बच्चे हैं। पर इन ५ करोड़ ६० लाख बैलोंमें अनेक बैल निकम्मे होते हैं और कुछ यातायात व सवारीके कामके होते हैं। कुछ शहर और कस्तोंमें छोटे-छोटे रुई, तेल तथा अन्य उद्योगोंमें लगे हुए हैं। कुल पांच करोड़के लगभग खेती-वारीके उपयोगमें आ सकते हैं।

देशकी सारी जमीनको तीन भागोंमें विभाजित किया जा सकता है :—

पहला विभाग—जहाँकी जमीन सख्त है और जहाँ वर्षमें औसतन साठ इच्छसे अधिक वर्षा होती है।

दूसरा विभाग—जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी विशेषतः दुम्भट मिट्टीकी जमीन है और लगभग आधी जमीनमें सिचाईके

नापन है और जहाँ औसतन प्रत्येक वर्षमें पच्चीससे लाठ इंच तक वर्षा होती है।

**तीसरा विभाग—जहाँकी जर्मान दुम्बट और अधिक रेतीली है और जहाँ प्रत्येक वर्षमें औसतन पच्चीस इंचसे कम वर्षा होती है।**

पहले विभागमें लगभग पाँच करोड़ पकड़ जुनी हुई जमीन है, दूसरेमें १२ करोड़ ५० लाख और तीसरेमें ५ करोड़ है।

पहले विभागमें दैल छोटे और बड़जोर होते हैं। इन जर्मानमें औसतन ६ पकड़में प्रत्येक छोटी दैलसे बेनी हो सकती है। तीसरे विभागमें बड़े भैंसों काढ़ने और अधिक मजबूत है, उनकी प्रत्येक जारीने १० पकड़ भूमिमें बेनी हो सकती है। तीसरे विभाग के दैल अधिक पढ़े और अधिक मजबूत होते हैं, इनलिए वहाँ प्रत्येक छोटी दैलसे औसतन १६॥ पकड़ भूमिमें बेनी हो सकती है। इन प्रशार पहले विभागमें ८० लाख, दूसरे विभागमें १२ करोड़ २५ लाख और तीसरेमें ३० लाख छोटोंकी आवश्यकता होती है। अन्येक विभागमें जिनमें जोर्डी दैल होती है, उनमें ही बेनी दार्देवाटे परिवार होते।

यहाँ पर देखना है कि एक ऐसियातमें किसने जलाज और भारद्वा आवश्यकता होती है। आप: एक परिवारमें औसतन दैल दर्देवा होती है, जिसके पास पुराने एवं स्त्री, दो घर्जे और एक परिवार एवं शारिर जलाज या सागा-पिलारेसे जोर्डे होते हैं। इन गदरी ४ लौंगों द्वारा उत्तरात् भारिते। आप: प्रत्येक

परिवारके पास औसतन एक जोड़ी बैल खेती और यातायातके लिए, एक गाय या भैंस और उसके एक वच्चा होता है। ये सब मिलकर पाँच होते हैं, जिन्हें ४ प्रौढ़ पशुओंके समान समझना चाहिए। मनुष्य और पशुओंके लिए अनाज और चारेकी आवश्यकता प्रत्येक विभागमें जुदे-जुदे रूपमें होती है। निम्न-लिखित विवरणसे यह प्रकट होगा कि एक परिवारके लिए, जो जमीन निश्चित की गई है, उसका किस प्रकार उपयोग होता है और वह परिवार तथा उसके पशु भारतीय योजनामें कहाँ तक उपयुक्त बैठते हैं :

वह जमीन जिसमें	वह जमीन जिसमें २५	वह जमीन जहाँ
औसतन ६० इंच	से ६० इंच वर्षा होती	औसतन २५ इंच
से अधिक वर्षा	है और वाधी भूमिमें	से कम वर्षा
होती है।	सिंचाइके साधन हैं।	होती है।

१ परिवार या इकाईकी जमीनका क्षेत्रफल—

६०२५ एकड़,	१० एकड़	१६०६६६ एकड़
------------	---------	-------------

हर विभागमें जोती हुई जमीन—

५ करोड़ एकड़	१२॥ करोड़ एकड़	५ करोड़ एकड़
--------------	----------------	--------------

खेतीबारीमें प्रत्यक्ष लगे हुए परिवार—

८० लाख	१ करोड़ २५ लाख	३० लाख
--------	----------------	--------

प्रत्यक्ष रूपमें खेतीमें लगे हुए परिवारों के व्यक्तियोंकी संख्या प्रत्येक परिवार में ५ व्यक्तिके औसतसे—

४ करोड़	६ करोड़ २५ लाख	११॥ करोड़
---------	----------------	-----------

प्राचीन रिभागमें नीचे नाम, दृढ़ और दब्बे [ (३) X<sup>५</sup> ]

४ करोड़	६ करोड़ २५ लाख	११ करोड़
एवं अन्यान्ये पर्यामी विवरण फलते—		
१।	१—१३,	३।४
प्रश्नदिवसमें पैदा ही जानेकाली किननी एकड़ घास	[ (२)X६ ]	
८ करोड़ ३५	१६ करोड़ ६६-	३ करोड़ ७५
प्राप्त एकड़	२३, लाख एकड़	लाख एकड़
हानी दिनांकी ही रुक्त फलते—		
	२६ करोड़ ६६ लाख	६६ दशार एकड़

अनाज

प्रति वर्षीय वित्त अनुदानी आवधाना प्रति वर्षक व्यक्ति औसत		
मुख्य गतिशीलता—		
३० मन	१८०० मन	२४ मन
प्रति वर्षीय वित्त अनुदानी वित्तावार—		
५०० मन	८०० मन	६ मन
एष परिवारे किंवा एष वित्तावार [ १०५० ]		
५०५०	८०६४३	४००००
प्रति वर्षीय वित्तावारे की परिवारे की वित्त अनुदानी वित्तावारे किंवा एष वित्तावार [ ३५१३ ]		
५०५०५०५०	१००६३५००	१२२००००००

## घास

एक गाय-बैलके लिए (एक मास चराई का छोड़कर) घास—

४५०३७५ मन	५३०६२५ मन	६६ मन
-----------	-----------	-------

उपरोक्त चार गाय बैलोंके लिए [ (१४)-४ ]

१८१०५ मन	२१४०५ मन	२६४ मन
----------	----------	--------

प्रत्येक परिवारको अनाजसे प्राप्त होने वाला घास—

४० मन	४५ मन	४८ मन
-------	-------	-------

एक परिवारके पशुओं के लिए सूखे घासकी आवश्यकता—[ १५×१६ ]

१४१०५ मन	१६९०५ मन	२१६ मन
----------	----------	--------

प्रति एकड़ घासकी औसत पैदावार, ( सूखे घास में )—

४४ मन	६० मन	३५ मन
-------	-------	-------

एक परिवारके पशुओंके वास्ते घास पैदा करनेके लिए कितने एकड़ घासकी

उपज ( १७-१८ )—

३०२१६	२०८२५	६०१७७
-------	-------	-------

तीनों विभागोंके गाय-बैलोंके लिए— [ १९×३ ]

२५७२८०००	३८३१०५००	१८५१३०००
----------	----------	----------

तीनों विभागोंका जोड़

७९५५३५००

इन अंकोंके अनुसार ११ करोड़ ७५ लाख मनुष्य और इतने ही पशुओंके लिए अनाज और घासके लिए उक्त परिमाणमें अनाज और घासकी व्यवस्थाकी पूर्ति है। भारतकी जनसंख्या ३५ करोड़ और ५० लाख और पशु-संख्या १७ करोड़ ७७ लाख मानी जाए तो २३ करोड़ ७५ लाख मनुष्य और ७ करोड़ २० लाख

पश्चिमोंकी व्यवस्था करना अवशेष है। फिर जो फसल बोई जाती है, उनमें गन्ना, तमाख़ू, रुई और तेलहन आदि भी हैं। इसलिए उत्त परिवारोंके उपयोगसे जो १२३.७४५ एकड़ फसल बचती है, उनसे अवशेष व्यक्तियोंकी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक हम खेतीकी प्रति एकड़ उपज न घटाएँ, तब तक हमारे सामने दूसरा उपाय नहीं है। अधिक जमीनमें खेती करनेकी अपेक्षा, वर्तमान जमीनमें ही उपज घटाना भारतीय किसानोंका लक्ष्य होना चाहिए। अलवत्ता जो जमीन गोचर-भूमिसे बचे, उसे तोड़ कर खेतीके उपयुक्त बनाया जा सकता है।

## सहकारी खेती

जमींदारी-उन्मूलन ग्रामोंकी व्यवस्थाके लिए कोई नया प्रश्न नहीं है। विगत २५ वर्षोंसे यह आन्दोलन जारी रहा है। अतएव राष्ट्रीय दलके हाथमें देशकी शासन-सत्ता आने पर उसने जहाँ किसानोंके लिए अनेक सुधार-कानून स्वीकृत किए, वहाँ जमींदारी-उन्मूलनका भी आरम्भ किया। उत्तर प्रदेश, विहार और मद्राससे जमींदारी-उन्मूलन आरम्भ हुआ। जिन रियासतोंमें जागीरदारी प्रथा थीं, वहाँ वे भी समाप्त हुईं। इस दिशामें पश्चिम बंगाल सबसे आगे बढ़ा। वहाँकी राज्य-सरकारने मुआवजा देकर सारी जमीन राज्यकी कर ली और अब किसान लगान देकर राज्यके जोतदार रहेंगे। जमींदारी-उन्मूलनमें यह कदम बड़े साहसका हुआ। इस अवस्थामें किसानोंको सहकारी आधार पर संयुक्त रूपमें खेती करनेका अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यदि सभी राज्योंमें इस प्रकारकी भूमि-व्यवस्था हो, तो देशकी भूमि-समस्या आसानीसे हल हो सकती है। इस अवस्थामें सभी किसान एक समान आधार पर खेती करेंगे। इस अवस्थामें भूदान आदि आन्दोलनकी भी आवश्यकता नहीं रहती है। राज्यके अधिकारमें खेतीकी जमीन जाने पर भी कुएँ, मकान, पशुगृह आदिके लिए किसानोंके पास जमीन रहती है और जिस पर उनका अधिकार रहता है।


आज देशमें खाद्यान्न-उत्पादन और राजनीति एक मिली-

आहरण-शाम में मिले-जुले खेत



अनन्दपूर्णी भवि—

# अन्नपूर्णा भूमि—



पंचायत का बीजघर

सुनी नमस्या बन गई है। किसानोंकी भूमि-नमस्या इल होने पर भी व्यापार्न उत्पादनमें दृढ़ और भूमिहीन किसानोंको जमीनकी प्राप्ति तथा वेरोजगार एक-मजदूरोंको काम मिलना संभव है। येनिटर-मजदूरोंका गूमि पर अधिकार होने पर येरीके प्रति उनका दायित्व बढ़ जाता है। उस अवस्थामें उनकी विधिनि मजदूर होती है और औद्योगिक मजदूरोंके समान उनमें साम्यवादका प्रचार संभव नहीं रहता है। भूमि पर किसानोंका अधिकार होनेसे किसान स्वतः साम्यवादके विशेषी बन जाते हैं। नोकियन रूप और चीन जैसे देशोंमें किसानोंमें ही साम्यवादका प्रसार हुआ, यद्यपि वर्ग-संघरणके प्रणेता कार्ल गार्फर्सका प्रयत्न था कि साम्यवादका आरन्ध औद्योगिक हाइट्से आगे पढ़े हुए देशोंमें होता है। किन्तु इस और चीन—दोनों ही साम्यवादके नदेसे पहुँच नमर्पक भूमिहीन-येनिटर-मजदूर हैं, किन्तु नए शासनमें जमीन पर अधिकार प्रदान किए। भारतके भूमिहीन येनिटर-मजदूरोंसे भी साम्यवादकी ओर दृढ़नेसे दौड़ा जा सकता है, यदि हम उनके लिए भूमिकी समस्या इल घर भरें।

इसने कहा कि इंडियमें ऐदरावाद, व्रायनरोर-कीचीन, अण्डुर और यिसुसके किसानोंमें साम्यवादका प्रसार पड़ा। दर्दी पंजाबमें भी नगरोंकी अपेक्षा प्रायमें साम्यवादका अविह धर्माद है। पंजाबके किसान साम्यवादकी ओर दृढ़ है। इस पार ऐसरहे हैं कि राजस्तानी किसान नमाई नथा केलीद

संसद्‌में जो साम्यवादी प्रतिनिधि चुन कर गए हैं, वे औद्योगिक नगरोंसे नहीं, प्रत्युत देहाती क्षेत्रोंसे चुने गए हैं। तेलंगानामें भारतीय साम्यवादियोंने चीनी साम्यवादियोंके दावपेंचों को अपनाया और वैसा ही केन्द्र स्थापित किया, जैसा कि उत्तरी चीनमें माओने स्थापित किया था और जहाँसे फिर वे सारे चीनमें छा गए। तेलंगानाकी साम्यवादी शक्तिको निर्जीव करने के उपरांत यह आवश्यक समझा गया कि उन तत्त्वोंको मिटा दिया जाए, जिनसे साम्यवाद फैलता है। भारत चीन नहीं है। दोनों देशोंकी भूमि-प्रणालीमें घोर अन्तर है। भारतमें भूमि-सुधार नीतिका आधार लोकतन्त्र पद्धति पर है, जब कि लाल चीनमें साम्यवादी आधार पर डिफेटरशिपके द्वारा भूमिका वितरण किया गया अतः भारत चीन और सभी दोनोंसे भिन्नता रखता है। भारतमें किसानोंकी भूमिका प्रश्न बिना रक्तपात और जोर-जुल्मके हल हुआ है। जमीदारियोंका उन्मूलन मुआवजा देकर किया गया है और जमीदारी-उन्मूलन किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं, बल्कि बयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित विधान मण्डलोंके लोक-प्रतिनिधियोंके बहुमतसे हुआ है।

जमीदारिका उन्मूलन तो प्रायः पूर्ण हो गया है। इसके उपरांत भूमिके वितरणकी ओर भी राष्ट्रका कदम बढ़ा है। अधिकतम भूमि कितनी किसानोंके पास हो और भूमिहीन किसानोंको जमीन दी जाए, इस ओर देशकी शक्तियाँ लगी

पूर्ण है। मानवाजिय स्ट्रियों से नवके भाग उचित न्याय किया जाए, इस स्ट्रियों से वह आवश्यक है कि भारतीय जिलान नए जीवनमें आएं, और मनुष्यों सनोद्दृच्छियोंका परित्याग कर महाकारी हंग पर प्रामोंजीं खेतीका निर्माण करें। सहकारी सेती द्वे दी प्रामोंजीं देवकारी मिटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और प्रामोंजी नव-निर्माण होगा। भविष्यमें जलीनका मालिक वे ही जिलान होंगी, जो यत्कुन्त अपने एथन्से खेती करेंगी। अन्य धन्वोंमें लगे रहने पर कोई व्यक्ति जलीनका मालिक न रह सकेगा। इसलिए भव किमानोंकी भूमि पर अपना अधिकार रखते हुए भी अग्रिमित नंगाहनमें खेती करनी चाहिए।

महाकारी हुणि हारा ट्रोटे-ट्रोटे जिसान बहे उत्पादकोंका भवाजमें सुखावला पर मरते हैं। महाकारी अग्रिमियों द्वारा फिसान अपने अपदंडों कम पर मरते हैं। उन्हें चीज, व्याद, देनीकि और जार और भिस्टार्टकी अलग-अलग व्यवस्था नहीं परन्तु एकही है। मुलां वे भालालिना हारा हुणियों शब्दी अग्रिमियोंसे नाम् पर मरते हैं। इन्हें उन्हें अधिक लाभ होता है। इन्हें भिस्टार व्याद परन्तु भालना दक्षत्व देनी है और सब ताज इताही है। इन व्यवस्थामें अपनी पैदावार देनेमें दे दातारीकी भी वज्रन है।

एस भारतीय वि भामोंदा जीवन जिस व्यवस्था दक्ष हुआ है, उसे जो विषय उह पर मह है, उस जीवनमें वह दिसार-जीपि भवत्याहै वि रामानंदान्द विषयमें दे महाकारी देहीके

लिए आगे बढ़ सकेंगे। आज किसान जमीन पर अधिकार मान कर इस लक्ष्यसे कठोर परिश्रम करता है कि उनकी मेहनतका सारा लाभ उसे ही मिलेगा। किन्तु सहकारी-खेतीमें उसका लाभ केवल उसीके प्रयत्न पर नहीं, बल्कि अन्य साथी किसानोंके प्रयत्नों पर भी निर्भर रहेगा। यह विचार आते ही वह कामसे जी चुरानेका प्रयत्न कर सकता है। आजकलके सामाजिक मनोविज्ञानकी वास्तवमें यह एक ऐसी कमी है कि मिल-जुलकर काम करनेवाले व्यक्ति अपने लाभको ही सर्वोपरि रख-कर अन्य उद्देश्योंकी ओर ध्यान नहीं देते।

सहकारी खेतीमें किसान अपने परिश्रमसे ही, दूसरोंके परिश्रम और साधनोंसे लाभ उठाते हैं। किसानोंमें इन भावोंको उत्पादन करनेके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उच्च सामाजिक आदर्शोंकी शिक्षा दी जाए। आज भारतीय किसान सबकी जमीनोंको एक साथ मिलाकर खेती करनेकी प्रणालीका अपनी परम्पराओं और भावनाओंके कारण विरोध करता है। सामेंके झगड़ोंसे अलग रहने और अपनी जमीनसे प्रेम हो जानेकी भावनाएँ भी सहकारी खेतीमें बाधक होती हैं। पर ग्रामोंकी दशासे परिचित सबको ज्ञात है कि, किसानोंमें अलग-अलग खेती करने पर भी उनमें इतने झगड़े और दुश्सन्यां होती हैं, जिनका कोई छोर नहीं। अधिक जीवन, समय, शक्ति और धन इन झगड़ोंमें लगता है और तब भी सुख-शांति नहीं मिलती है। जहाँ

किसानोंमें शिक्षाका साधारण स्तर गिरा रहता है और उनसे भगड़ेकी भावनाएँ किसी कदर बनी रहती हैं वहाँ सहकारिता को चोट पहुंचती है। इस अवस्थामें सहकारी ढंग पर खेती करनेवाले किसानोंमें सद्भावना और सम्यताके अभावमें भगड़े खड़े होते हैं। सहकारी व्यवस्थामें कामोंका विभाग न होनेसे और सबके यथोचित काम करने पर काम अवश्य होता है, और सभी लोग कामसे लगते हैं, उनमेंसे किसीकी शक्तिका अपव्यय नहीं होता है।

यह आवश्यक है कि भारतीय किसान सहकारी खेतीकी ओर बढ़ें, इसलिए किसानोंको शिक्षित किया जाए, उनकी कठिनाइयोंको हल किया जाए। आरम्भकी अवस्थाओंमें किसानोंको आवश्यक परामर्श देने और सहकारी कृषि खेतोंकी व्यवस्था और देखरेखके लिए योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्तियाँ ग्रामोंमें की जाएँ। ये व्यक्ति कृषि तथा सहकारी व्यवस्थामें दक्ष हों और ग्रामीण जीवनका अनुभव रखते हों, वे केवल नौकरीकी भावनासे नहीं, समाज-सेवाकी भावनासे ग्रामोंमें कार्य करें। उन्हें यह गौरव हो कि उनके ग्रामके किसान सहकारी व्यवस्थामें उत्तरोत्तर प्रगति करें और उनमें कोई मतभेद उत्पन्न न हो। लोकतन्त्र भारतमें खस और चीजेके समान सहकारी फार्मोंका निर्माण होना संभव नहीं है। यहाँ सरकार आर्तक और हिंसात्मक उपायोंका अवलम्बन करनेमें समर्थ नहीं है। यहाँ किसानोंको स्वेच्छापूर्ण प्रयत्नों द्वारा सहकारिताके

क्षेत्र पर लाना पड़ेगा। किसानोंकी भूमि, पशु और पूँजीको—एक करनेके लिए उन्हें बहुत कुछ समझाना-बुझाना पड़ेगा।

देशके प्रत्येक राज्य और जिलों तथा कस्बोंमें सामुदायिक कृषि फार्मोंकी स्थापना होना आवश्यक है। इन फार्मोंकी सफलताकी प्रेरणाएँ ग्रामके किसानोंको इस क्षेत्रमें आगे करनेसें साधक बनेंगी। इस प्रकारके प्रयत्नोंसे ग्रामोंमें सहकारी खेतीका अधिकाधिक विस्तार संभव है। यह होने पर ही भारतीय ग्राम नए सामाजिक और आर्थिक जीवनमें प्रकट होंगे।

भारतका ग्रामीण वातावरण मध्यकालीन वर्गवादका प्रतीक है। भारतके ग्राम भेदभाव और अनेकताके जीवनसे जर्जरित हो चुके हैं। उनमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका भाव बहुत गहरा है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ केवल निजी स्वार्थ साधना है। उनसें सामुहिक रूपसे मिलकर खेती करनेका उन्हें अभी अवसर नहीं मिला है। उनकी सामुहिक प्रयत्न करनेकी चेतना अभी प्रसुप्त है। ग्रामीणोंमें वैयक्तिक-स्वतन्त्रताकी भावना नगरवालोंकी अपेक्षा बहुत अधिक है। नगरमें लोग व्यापार और उद्योग धंधोंमें सम्मिलित पूँजी और सम्मिलित परिश्रम करनेमें आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, नगरमें काम करनेवाले मजदूरोंमें सम्मिलित स्वार्थ भावना है।

जमींदारी प्रथाके नष्ट हो जाने पर भारतीय किसान जमीन के मालिक बन गए हैं। किसीके पास कम और किसीके पास अधिक अनपातमें जमीन है। इस प्रकार भारत-भूमि पर भार-

तीय किसानोंकी प्रभुता स्थापित हो गई है। पर किसानोंकी यह प्रभुता कब वलवती हो सकती है, जब कि वे भी ट्रेड-यूनियन मजदूरोंकी तरह सामुहिक खेती करें। मजदूर भी एक दिन लाखों और करोड़ों रुपएकी पूँजीसे चलनेवाले कारखानोंके मालिक होंगे। अतएव सरकार जमीनका समान वितरण करनेमें आगे बढ़े या न बढ़े, प्रत्येक ग्रामके किसान सहकारी तथा संयुक्त प्रथाके किसी भी सिद्धान्त पर खेती कर अपनी और ग्रामकी उन्नति करनेमें अग्रसर हो। किसान सोचें कि, अभी भारतमें लोकतन्त्र राज्य है, उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने और राष्ट्रके हितके लिए संयुक्त कृपि करें। पर यदि आज देशमें साम्यवादी शासन होता और कौन जाने आगे न हो जाए तो उन्हें मजदूर होकर संयुक्त कृपिको अपनाना पड़ता। यदि किसानोंने स्वेच्छापूर्वक कृपिकी पैदावारमें सहकारी तथा संयुक्त प्रथाको स्वेच्छापूर्वक न अपनाया, हरएक ग्राममें सम्मिलित शक्तिका उपयोग न हुआ तो वे साम्यवादको न रोक सकेंगे। किसानोंका कर्तव्य है कि वे ग्रामोंमें शांतिमय क्रान्ति कर संसार के किसानोंको बतला दें कि महात्मा गांधीका देश उनसे पीछे नहीं है। भारतीय किसान देखें कि पेलस्टाइनमें यहूदियोंने स्था चमत्कार कर दिखाया। वे किस मुसीबतमें वहाँ जाकर वसे थे। एक ओर उन पर तोपें दग रही थीं तो दूसरी ओर वे अपने पैर जमा रहे थे। ट्रैक्टरोंसे यहूदी किसानोंने सारी भूमिको छुपि योग्य बनाया। उन्होंने निजी स्वाधाँको भुला दिया

और व्यापक स्वार्थकी रक्षाके लिए तन मनसे संयुक्त कृषिको सफल कर दिखाया। उन्होंने दो-एक वर्षमें इतनी अधिक पैदावार की कि वे खाद्यान्नके प्रश्नमें स्वाबलम्बी हो गए। चीनके किसानोंने भी अपने सामने एक ही लक्ष्य रखा कि अपने देशको धन धान्यसे परिपूर्ण करना। वहाँ सब किसान एक हो गए। किसी भी प्रकारकी असमानता उनमें नहीं रही। वे निजत्वको भुलाकर सम्मिलित कल्याणके लिए जुट गए। इस सम्मिलित उत्पादनसे चीनके हरएक किसानकी आय अधिक बढ़ी।

सहकारी और संयुक्त कृषिके कई भेद हैं। सहकारी कृषि पद्धतिका दो रूपमें उपयोग होता है। सहकारी कृषिका पहला रूप यह है कि किसान अपनी जमीन पृथक रखते हैं और कृषिसे जो आय होती है, उसे अपनी जमीनके आधार पर लेते हैं। किन्तु उनका संगठन एक होता है और वे सम्मिलित रूपमें खाद्यान्न और कच्चे मालके विक्रय, बीज-क्रय, खाद्यके उपयोग, भागी औजारोंके उपयोग और सिंचाई तथा अन्य आवश्यकताएँ और लेन-देन करते हैं। योरपके सभी देशोंमें सहकारी कृषिकी यह प्रथा प्रचलित है।

सहकारी कृषि प्रथाके दूसरे रूपमें किसी किसानका जमीन पर पृथक अधिकार नहीं रहता है। सब खेतोंकी जुदी जुदी हड्ड मिट जाती हैं और उन सबका वड़ा फार्म बनता है। वे सब सम्मिलित रूपसे खेती करते हैं। कार्य संचालनके लिए वे अपनी एक समिति बनाते हैं और उसके नियत कार्यक्रमके अनु-

सार सारी व्यवस्था होती है। यह एक प्रकारसे संयुक्त-कृपिका रूप है। पेलस्टाइन और भारतमें यह पद्धति परिणत हुई है।

सहकारी कृषि पद्धति स्वेच्छापूर्वक संगठनकी प्रतीक है। यह हरएक किसानकी इच्छा पर निर्भर है कि उसमें सम्मिलित हो या न हो। कृषि-सहकारी-समितिकी इच्छा पर निर्भर है कि किसी किसानको सदस्य न बनाए या किसीके अनुचित व्यवहार पर उसे पृथक कर दे। किसीको सम्मिलित करना या न करना सहकारी समिति पर निर्भर है। किन्तु संयुक्त प्रथामें ग्रामके सभी वयस्क पुरुष और सभीको फार्ममें सम्मिलित होनेका अधिकार होता है और जिस व्यक्तिके पास जमीन है, वह न तो स्वयं सदस्य होनेसे इन्कार कर सकता है और न समिति ही उसे सदस्य बननेसे रोक सकती है।

सहकारी प्रथामें जमीन पर अधिकार किसानका बना रहता है, किन्तु संयुक्त प्रथामें किसानोंकी सहकारी समिति सारे खेत पर अधिकार प्राप्त करती है। यदि कोई किसान सम्मिलित न हो तो उसे जमीनका मुआवजा दे दिया जाता है। सहकारी प्रथामें कोई किसान भविष्यमें सदस्य न रहना चाहे, तो वह अपनी जमीन समितिके अधिकारसे वापस ले सकता है अथवा वह उसका मुआवजा पाता है, किन्तु संयुक्त प्रथामें ये दोनों ही घातें नहीं उठतीं। उसमें न तो जमीन वापस मिलती है और न मुआवजा ही दिया जाता है, व्योंकि आरन्भमें ही जमीनका अधिकार समितिको प्राप्त होता है।

संयुक्त कृषिमें वे ही किसान मजदूरी पाते हैं, जो उसमें सम्मिलित रहते हैं और मेहनत करते हैं, किन्तु सहकारी प्रथामें दोहरी आय होती है। किसानोंको दैनिक कार्यकी मजदूरी चुकाई जाती है और मुनाफेका हिस्सा अलग पाते हैं। यह हिस्सा उनकी जमीनके आधार पर होता है। सब प्रकारके व्यय कम कर तथा कुछ धन रक्षित कोषमें रख कर बाकीकी रकम किसानोंको उनके जमीनके अनुपातसे मिलती है। सहकारी प्रथामें किसानोंका उनकी थोड़ी बहुत जमीन पर अधिकार पूर्ववत् बना रहता है। इसलिए भारतके किसान यदि अपने अधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें सहकारी प्रथाके संगठनको अपनाना चाहिए। चीन, जापान, बेलजियम, डेन्सार्क और जम्नी आदि देशोंके किसानोंके पास छोटे-छोटे खेत हैं, किन्तु उन्होंने सहकारी प्रथाके अन्तर्गत एक एकड़ जमीनमें उतना ही उत्पादन किया, जितना अमेरिका और आस्ट्रेलियाके बड़े-बड़े खेतोंमें हुआ। सहकारी प्रथामें कोई किसान वेकार नहीं रहता। पर बड़े खेतोंके लिए यह भय है कि वहुतसे किसान छुट्टी पा जाएँ और उन्हें दूसरा धंधा देखना पड़े।

रूसमें संयुक्त कृषि प्रथा है, किन्तु वहाँकी अवस्था भारतसे भिन्न है। रूसमें अधिक जमीन है और मानव शक्ति बहुत कम है, किन्तु भारतमें मानव शक्ति अपरिमित है। इसलिए सभी किसानोंको काम चाहिए। पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ग्रामोंमें सम्मिलित खेतीका कोई भी रूप हो, किन्तु आजकी

पृथक अवस्था सर्वथा हानिकर है। यह किसानके लिए ही लाभदायक नहीं है। एक किसानके पास एक छोटा खेत एक स्थान पर है तो दूसरा खेत उससे बहुत दूर पर है और तीसरा किसी दूसरे ग्राममें है और वह सभी खेतोंमें फसल करनेका प्रयत्न करता है। यदि एक खेतमें फसल खराब गई या वह उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर पाया तो वह दूसरे खेतोंकी ओर मुक्ता है। एक किसान मर गया, और उसके कोई वारिस नहीं है और यदि है तो वह कहीं दूर रहता है। अतएव वह उतनी दूरसे उस जमीनकी अच्छी देखभाल नहीं कर सकता।

विखरे हुए खेतोंमें पशु और सामानओं एक स्थानने दूसरे स्थान पर ले जाना भारी अपव्यय है। इससे उत्पादनव्यय बढ़ता है। जहाँ पृथक खेतोंमें दस प्रतिशत व्यय बढ़ता है, वहाँ सम्मिलित खेती द्वारा खेतोंकी व्यवस्थामें तथा कृषिमें विना किसी सुधारके भी २० प्रतिशत आय बढ़ती है। सिंचाईकी समस्या विखरे हुए खेतोंके लिए अत्यन्त कष्टप्रद है। एक कुएँसे सब खेतोंको पानी नहीं पहुँच सकता। विखरे हुए खेतोंमें बहुत सी जमीन घागड़ और हड़ बनानेमें छूट जाती है। जितने अधिक छोटे खेत होंगे, हड़वंदीमें उतनी ही अधिक जमीन छटेगी पर यह सब जमीन एक बड़ा खेत होने पर बच सकती है। या सम्मिलित खेती होने पर साधारण हड़ रखी जा सकती है। छोटे-छोटे खेत ही किसानोंमें लड़ाई झगड़ेका साधन बनते हैं। हड़फो भगड़ा आए दिन खड़ा रहता है। पशु बराबर एक

खेतसे दूसरे खेतमें गुजरते हैं और उससे गाली-गलौज और मारपीट होती है और सामला अदालत तक जाता है। समय, शक्ति और धन तीनोंका अपव्यय होता है। किसानोंका बहुत-सा रूपया रेलकी यात्रा और बकील तथा मुहर्रिरोंकी जेबोंमें जाता है।

छोटे-छोटे हिस्सेमें खेतोंके बिखरे रहने पर कृषि-विकास होना कभी संभव नहीं है। एक किसान अपने खेतमें सुधार करता है, किन्तु उसके नजदीकके खेतकी फसलमें कीड़े लगे हैं और पौधे रोगके शिकार हैं तो प्रगतिशील किसानके सारे प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं। भूमिको कट्टीसे बचाना और वर्षाका जल संचय करना दुकड़े खेतोंके लिए कभी संभव नहीं है। इतना ही नहीं एक साधारण किसान अपने छोटे खेतमें नए प्रयोगोंका उपयोग करनेमें कभी समर्थ नहीं हो सकता है। वह भारी व्यय को बर्दाशत नहीं कर सकता है। उसकी आशाएँ स्वप्नवत् बनी रहेंगी कि उसकी पैदावार सुधरे। कब उसके खेतमें ट्रैक्टर चल सकता है? छोटे खेत कृषि उद्योगमें अधिक रूपया लगनेमें बाधक बनते हैं। खेत सम्मिलित होने या बड़े फार्ममें परिणत होने पर ही कृषि उत्पादनमें अच्छी पूँजी लगाई जा सकती है। समय बदल गया है और कृषि-उद्योगने राष्ट्रकी आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। अतएव खेत बड़े होने पर लाभकी हृषिसे पूँजी लग सकती है, क्योंकि उस अवस्थामें नए प्रयोगोंके द्वारा उत्पादन बढ़ने पर अधिकसे अधिक लाभ होता है।

कोई भी योजना तथा कोई भी कृपि विशेषज्ञ तथा खाद, सिंचाई और बीज आदि के अच्छे साधन पैदावार नहीं बढ़ा सकते, जब तक कि टुकड़े-टुकड़े खेत सम्मिलित न हों। यदि दूसरे यह अभीष्ट हो कि भारत कृपि उत्पादन में विकास करे तो हमारे सामने सम्मिलित कृपि व्यवस्था हो, कृपिके खेतोंका एकीकरण हो। इस दिशायें देश जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक पैदावारकी समस्या कभी हल न होगी।

भारतके किसानोंको जमीनसे अधिक मोह है, जमीन कैसी भी दुर्दशापूर्ण अवस्थामें रहे, किन्तु वे अपने हितको नई दृष्टिसे नहीं देखेंगे। पर वे यह सोचें कि उनका जमीन पर अधिकार सहकारी प्रथामें भी बना रहता है और इस अधिकारके बने रहते हुए भी उनके खेतकी जमीन सुधरती है, उत्पादन बढ़ता है और उन्हें पहलेसे कई गुना अधिक लाभ होता है।

संयुक्त कृपिकी व्यवस्था जारी होने पर ग्राममें सहयोगका नया बातावरण उत्पन्न होगा। ग्राममें आजसे अधिक आय होने पर विकासके नए कार्यक्रम जारी हो सकेंगे। किसानोंके अस्थाईप्रद रहन सहनका अन्त हो जाएगा, लोग दूर-दूरके फासले पर रहेंगे, ग्राम रोगोंसे मुक्त होंगे और उनमें नए ढंगका जीवन उत्पन्न होगा। पर यह कब संभव है, जब कि एक किसान दूसरे किसानसे लागडाट किए खड़ा हो, उस अवस्थामें ग्राममें कब पंचायत चल सकती है, कब समाज सुधारकी योजनाएँ विकास पा सकती हैं और कब उत्पादन ही बढ़ सकता

है। ग्रामोंकी भावी उन्नति केवल एक बात निर्भर है कि किसानों में सहकारिता-जीवन उत्पन्न हो।

बड़े-बड़े समान आकारके खेतोंके ब्लाक किसानके लिए निश्चय ही लाभदायक हैं। पर यह स्मरण रहे कि कृषिकी जमीन पर उसीका अधिकार जायज है, जो व्यक्ति खेतोंमें काम करे। जो कुछ हो, खेतोंका एकीकरण एक प्रयोग है, जिसके द्वारा जमीन मालिक या उसे जोतनेका अधिकार रखनेवालोंको अपने विखरे हुए टुकड़ोंको सम्मिलित करनेके लिए बाध्य किया जाता है। उनके खेतोंके टुकड़े यदि कई स्थान पर हैं, तो उतनी जमीन उन्हें एक ही स्थान पर मिलती है। इस प्रकार जमीनका परिवर्तन सभी देशोंमें हुआ है।

भारतीय किसानोंको समयकी ओर देखना चाहिए। वे देखें कि बड़े-बड़े नरेशोंको अपनी रियासतें छोड़ दैनी पढ़ीं। तब किसानकी तो वह अवस्था नहीं है। माना कि वह अपनी जमीनको अपने बाप दादोंकी दी हुई पवित्र धरोहर मानता है और उसमें यह भावना है कि जमीन उसकी है। इस भावनाके कारण वह अपनी जमीनकी व्यवस्थामें कोई परिवर्तन करनेके लिए आगे नहीं बढ़ता। पर इसमें तो उसकी क्षति है। उसे आज नहीं, तो कल सम्मिलित खेतीकी प्रथाको अपनाना पड़ेगा। वह ग्राम भाग्यशाली होगा और उसके निवासी दूरदर्शी माने जाएँगे, जो स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित खेतीका आरम्भ करेंगे। ऐसे किसान भावी संकटोंसे मुक्ति पाएँगे। कारण, राष्ट्रका लक्ष्य है उत्पादन बढ़े-

और यदि वह इस तरह नहीं बढ़ता है तो शासनका नैतिक कर्तव्य होगा कि जिस प्रकार उसने जमींदारी प्रथाका अन्त किया, उसी प्रकार नए कानून द्वारा सम्मिलित खेतीकी प्रथाको आरम्भ करे।

अनेकों देशोंमें खेतोंका एकीकरण वाध्य रूपमें किया गया। पृथक खेती एक ऐसा दुर्गण है, जो राष्ट्रके हितके लिए महान घातक है। सरकारका कर्तव्य है कि भविष्यमें खेतोंके विभाजनको मंजूर न करे। सरकार ग्रामोंकी जमीनके सम्बन्धमें दो लक्ष्य रखे : १—जमीनके नए टुकड़े न हों और २—टुकड़ेवाली जमीनोंका एकीकरण हो। हिन्दू और मुसलमानोंमें जो भी प्रथाएँ हों, किन्तु सरकार जमीनके सम्बन्धमें पारिवारिक सदस्योंके पृथक्-पृथक् अधिकार स्वीकार न करे। सरकार इस सम्बन्धकी नीति स्पष्ट घोषित कर दे। उसे नया कानून बनाना चाहिए कि जमीनका विभाजन न हो पाएगा, जिस किसानके पास जहाँ तहाँ विवरे हुए खेत हैं, उसे परिवर्तन करना होगा अथवा किसी खेतको बेच देना होगा। यह वर्दान्शत न किया जाएगा कि कोई खेत अविकसित अवस्थामें पड़ा रहे। इसके सिवा जिन खेतोंमें किसान नए साधनोंका प्रयोग करनेमें पिछड़ेंगे, उन्हें कानूनसे मजबूर किया जाए कि वे सम्मिलित खेती करें और यदि वे इसके लिए अग्रसर न होंगे तो राज्यका अधिकार होगा कि मुआवजा देकर उस जमीनको हस्तगत कर ले या किसी दूसरे किसानको दिला दे। विरोध तो होगा, पर

यदि स्वेच्छापूर्वक किसान आगे न बढ़ें तो राज्यका कर्तव्य होगा कि वह साहसपूर्वक परिस्थितियोंका सामना कर जमीनका एकीकरण करे।

को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों, सहकारी सम्मिलित कृषि समितियाँ तथा अन्य सहकारी समितियोंका जिला तहसील और हॉल्कोंमें संगठन किया जाए। किसानोंको इन संगठनोंका सदस्य बनाया जाए। किसान ही इन समितियोंका संचालन करें। उनसे वह भावना उत्पन्न हो कि वे इन समितियोंके लिए जिएँ और मरें। सम्मिलित खेतीकी सफलताके लिए किसान अपनी जान लड़ा दें। इस प्रकार एक एक जिलेमें जितने अधिक संगठन सफल होंगे, उतनी ही सम्मिलित कृषिका प्रसार बढ़ेगा और इस प्रकार पृथक् कृषिका अन्त हो जाएगा। आवश्यकता यह है कि सच्चे कार्यकर्ता और ग्रामके शिक्षित किसान इस ओर जुट पड़ें। आरम्भमें लोग उपेक्षासे देखेंगे, किन्तु जब सफलता प्राप्त होगी, तब शनैः शनैः सब खिच आएँगे।

पंजाबमें सन् १९३७ में ८ लाख एकड़ जमीनका एकीकरण हुआ। इस प्रगतिमें उत्तरोत्तर बृद्धि हुई और प्रति वर्ष १ लाख एकड़ जमीन सम्मिलित खेतीके अन्तर्गत आई। किसी जिले और तहसीलमें सम्मिलित कृषि सहकारी समितिकी रजिस्ट्री तब स्वीकृत हुई, जब कि ६० प्रतिशत जमीनके मालिक प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए हों और ग्रामकी ७५ प्रतिशत जमीन एकीकरण के अन्तर्गत आई हो। इन सम्मिलित कृषि सहकारी समितियोंने

अपने सदस्योंको मजबूर किया कि वे उसके नियमोंका पालन करें। उनने जमीनका विभाजन रोका और समिलित कृषिके लिए खेतोंकी पुनर्व्यवस्था की। कृषि सम्बन्धी झगड़े समितियोंकी पंचायत द्वारा तए किए गए। यह कहना न होगा कि इन समितियोंका कार्य स्वेच्छापूर्वक आगे बढ़ेगा। उन्होंने न तो सरकारसे कोई सहयोग लिया और न उन पर सरकारका कोई दबाव ही पड़ा। इन्हीं प्रयत्नोंका परिणाम हुआ कि सन् १९३७-३८में १२००० एकड़ जमीनका एकीकरण हुआ। जमीनके २ लाख टुकड़ोंको २६ ४०० प्लाटोंमें परिणत किया।

उत्तर प्रदेशके पश्चिमी जिलोंमें भी समिलित खेती शुरू हुई है। २५००० एकड़ जमीन ४१००० टुकड़ोंमें बँटी थी, उसके ४००० प्लाट बनाए गए। काश्मीरमें ५२००० एकड़ जमीनका एकीकरण हुआ। दक्षिण भारतमें भी सहकारी समितियोंकी प्रगतिने समिलित कृषि-प्रथाको उत्तेजन दिया।

कई स्थानोंमें जमीनके एकीकरणके लिए विशेष कानून स्वीकृत हुए। मध्य प्रदेशके छत्तीसगढ़ डिवीजनमें ‘भूमि-एकीकरण कानून ( १९२८-६ )’ ने एकीकरण अधिकारीकी नियुक्तिको स्वीकार किया। उसके प्रयत्नसे इलाकेमें जमीनका परिवर्तन और एकीकरण बहुत घड़े परिमाणमें हुआ। जमीनके मालाड़ोंके सम्बन्धमें उसके निर्णय अन्तिम थे। अदालतोंका उन पर विचार करनेका कोई अधिकार नहीं रहा। इन सब प्रयत्नोंका परिणाम यह हुआ कि ११ लाख एकड़ जमीनका परिवर्तन हुआ।

दुर्ग और रायपुर जिले के ११७२ ग्रामों की जमीनों में नए परिवर्तन हुए। जिस किसान के पास आधा एकड़ जमीन थी, उसके पास ३॥ एकड़ हुई। इस प्रकार जो जमीन २३७०००० टुकड़ों में थी, उसके ३५४००० खेत तैयार हुए। अधिकारियों का प्रयत्न है कि नए खेतों का भी एकीकरण हो और उनमें सम्मिलित खेती हो।

पंजाब में भी ऐसा कानून स्वीकृत हुआ था, जिसका प्रयोग गुजरात, रोहतक और सियालकोट जिलों में हुआ था। इसके अन्तर्गत कई हजार एकड़ जमीन का एकीकरण हुआ। बड़ौदा के राज्य में नए कानून हुए, २७००० एकड़ जमीन का एकीकरण हुआ। अतः जमीन के एकीकरण के लिए वंगाल, विहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, हैदराबाद, मद्रास और मैसोर आदि राज्यों में नए कानूनों की आवश्यकता है। जमीन का एकीकरण और सम्मिलित खेती के लाभों से देश अपरिचित नहीं है। यदि ग्रामीण भारत को अपने अभ्युदय के लिए अग्रसर होना है, तो समस्त भारत में विस्तृत पैमाने पर जमीन के एकीकरण और सम्मिलित कृषि-प्रथा अविलम्ब जारी की जाए। कानून के द्वारा हो, या स्वेच्छापूर्वक हो, राष्ट्र के कल्याण के लिए जमीन का एकीकरण अनिवार्य होना चाहिए। इससे देश की अनेक समस्याएँ हल होंगी। किसान अपने निर्माण के स्वयं भाग्य विधाता बनेंगे। इसी से देश में राजनीतिक शांति स्थापित होगी। तब संगठित और बलशाली किसान राष्ट्र का नेतृत्व और शासन करनेमें समर्थ होगा।

## भूमिकी उर्वरा-शक्ति

कृषि-भूमिकी उर्वरा-शक्ति कायम रखनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी मिट्टी लगातार बदली जाए। जिन खेतोंमें नियमित रूपसे खेती हो, उनकी मिट्टी यदि न पलटी गई और उसमें नई खाद न डाली गई, तो वह अपना उर्वरापन खो वैठती है। भूमिमें जितनी शक्ति होगी, उतनी ही अधिक उसमें पैदावार होगी। मिट्टीके रासायनिक तत्वोंकी अपेक्षा उसके भौतिक रूपमें उपजाऊपन अधिक है। वस्तुतः दोनों ही एक समान हैं। पर मिट्टीमें जब पोषण-तत्व कम हो जाते हैं, तब स्वभावतः पैदावार कम होती है।

भारतके सभी प्रदेशोंमें जहाँ-जहाँ जमीनकी जांच पड़ताल रायल कमीशनने की या स्टुवर्टने की, अथवा अन्य जरियोंसे हुई, उन सबके अन्वेषणसे यह बात स्पष्ट प्रकट हुई, कि इस देशकी जमीनमें सर्वत्र नाइट्रोजनका नितांत अभाव है। किसी भी प्रदेशमें कहींकी जमीन देखी जाए, नाइट्रोजनका पूर्णतः अभाव मिलेगा। इसके अतिरिक्त जमीनसे पौदोंको बढ़ानेवाले अन्य दो तत्व फासफरस और पोटाश भी बहुत कम हैं। उनका स्थानीय महत्व ही कहा जा सकता है, अर्थात् किसी स्थान पर धोड़ी बहुत अच्छी तादादमें हैं, और कहीं उनका विलकुल अभाव है।

भारतमें जहाँ-जहाँ कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं, वहाँ-वहाँ मिट्टी




यदि कम्पोस्ट खाद् तैयार की जाए और खेतोंकी हरी खादका उपयोग किया जाए, तो यह अभाव दूर हो सकता है। हरी खादमें अधिक पोषण तत्व होते हैं। इस दृष्टिसे हमारी पड़ोसी चीनने खाद् समस्याका हल जिस ढंगसे किया है, वह हमारे लिए आदर्श हो सकता है। उसने ग्रामोंमें उपलब्ध सभी संभव-नीय साधनोंका खादके रूपमें उपयोग किया। पर इस देशमें हम ग्रामोंमें गोवर आदि पदार्थोंका इंधनके रूपमें उपयोग करते हैं, इससे खेतोंको खाद् नहीं मिल पाती है। प्रकृति जो नाइट्रोजन प्रदान करती है, वही जमीनकी उपज कायम रखता है। पर यह स्थिति चिंतनीय है। ग्रामोंके ऐसे सारे पदार्थोंका उपयोग खादके लिए होना आवश्यक है। इंधनके लिए गोवरकी अपेक्षा वृक्षोंका उपयोग किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि जो वृक्ष इंधन आदिके लिए काटे जाएँ, उनका स्थान खाली न रहे। उनके स्थान पर दूसरे वृक्ष लगाने चाहिएँ।

पृथक स्वतः ग्रामकी जमीनको उर्वरा रखनेके साधन हैं। उन्हें भी यथा संभव कम नप्ट किया जाए। इंधन तथा अन्य काम काजके लिए लकड़ीके लिए अलगसे वृक्ष लगाए जाएँ। इसके सिवाय गोवर, हरी खाद् और ग्रामके अन्य सब तत्वोंका उपयोग खादके लिए करना चाहिए। हरे बड़े पौदोंमें अधिक नाइट्रोजन होता है, और उनका उपयोग हरी खादके रूपमें किया जा सकता है।

आज संसारके सभी देश अपनी भूमिकी उर्वरा-शक्ति बढ़ाने में लगे हैं। जमीनकी उपज-शक्ति बढ़ने पर ही अधिक पैदावार संभव है। यदि इस देशकी जमीनकी उर्वरा-शक्ति बढ़ जाए तो उसकी पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। तब पैदावारके परिमाण जौर किस्म दोनोंमें ही उन्नति हो सकती है। प्रत्येक ग्राम के किसान अपने अनुभव, साधन और श्रोतोंका भूमिके नवनिर्माणमें उपयोग करें।

---

# अन्तपूर्णी भूमि—



किसान का घर



# अन्नपूर्णा भूमि—



सम्पत्ति के समान वितरण में भू-दान

## भूदान-यज्ञ

१८ अप्रिल १९५१ का दिन था, जब द्वितीय महायुद्धके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोदा भावेने अपने भूदान-यज्ञका आरंभ किया था। इसके उपर्यात उन्होंने हैदराबाद, राज्य, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, रियाप्रदेश और उत्तर प्रदेशके ग्रामोंकी चाचा की। उस भ्रमणमें करोड़ों मूँक भारतीयोंकी ओरसे भूमि रहित खेतिस्तर, सजदूर और किसानोंके लिए भूमि प्राप्त की। १८ महीनेके लगातार प्रवाससे उन्होंने अहिंसक उपाय द्वारा भारतकी भूमि-नम्यन्धी आर्थिक समस्याके हल करनेका प्रयत्न किया। आर्थिक देशमें उनकी इस नूतन सफलतासे देशके सभी वर्ग आकर्षित हुए। इतना ही नहीं भारतके समुद्रपारके अर्धविद्वोंने भी आर्थिक समस्याके इस प्रकार हल पर बड़ी गंभीरतापूर्वक अपने अनुफूल विचार प्रकट किए।

यह प्रकट है कि विनोदाने हैदराबाद, तेलंगाना-भाषा-भाषी पूर्वी क्षेत्र तेलंगानामें सर्व प्रथम अपना कार्य प्रारंभ किया था। यही स्थान है, जो वर्षोंसे साम्यवादियोंकी छलचलका केन्द्र बना हुआ था और जहांकि किसानों पर उनका पूर्ण प्रभाव कायम था। इस कम्युनिष्ट-आतंकित प्रदेशमें विनोदाने साहसपूर्वक किसानोंके मध्यसे कार्य किया। उन्होंने हिन्दाके पथसे किसानों को बिलग फरके उनकी भूमि नमस्या हल ढी। उससे साम्यपार्थी भी प्रभावित हुए दिना न रहे। विनोदाके अहिंसक

प्रयत्नोंने तेलंगानाके किसानोंकी विचारधाराएँ बदल दीं। इससे साम्यवादियोंको मार्ग छोड़ देना पड़ा। विनोबाने घोषित किया कि तेलंगानाके किसानोंकी समस्या भूमिकी है और इसलिए यहांके भूमिविहीन किसानोंको भूमि मिलनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकारके नेतृत्वसे किसानोंको जीत लिया। भारत सरकार भी चकित हो गई। उसके शास्त्र-बलसे तेलंगानामें जो साम्यवाद नहीं दबाया जा सका, विनोबाने अपनी अहिंसाके द्वारा उसे मिटानेमें विजय प्राप्त की। इस दिशामें विनोबाको इतनी सफलता प्राप्त हुई कि वहां साम्यवाद इतना खत्म हो गया कि भूमि-प्रस्त साम्यवादियोंने अस्त्र-शस्त्र सहित आत्म-समर्पण कर दिया।

पर यह स्मरण रहे कि विनोबाने अपने इस कार्यक्रममें साम्यवादका कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने यह अवश्य कहा कि साम्यवाद और हिंसाको रोकनेके लिए किसानोंकी भूमि सम्बन्धी सांग पूरी होनी चाहिए। अपने इस वक्तव्यसे उन्होंने साम्यवादको कोई विरोध नहीं किया। वे न तो उसके शत्रु हैं और न उन्हें उसका भय रहा है। उन्होंने अपनी एक प्रार्थना के भाषणमें ये उद्गार प्रकट किए थे : —

‘मेरा पक्ष तेलंगानासे आरम्भ हुआ, किन्तु वह साम्यवादके प्रतिरोधकी दृष्टिसे नहीं। मैं अपने साम्यवादी मित्रोंको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके प्रति मैं कोई दुर्भाव नहीं रखता हूं। दूसरी ओर मेरी भावनाएँ अच्छी हैं। ईश्वरने एक

गलती की कि उसने छातीमें कोई ऐसी खिड़की नहीं लगाई, जिससे कि किसीके हृदयके अन्तर्रंगको जाना जाता। यदि मेरी छातीमें एक ऐसी खिड़की होती तो आप वह देखते कि मेरा हृदय साम्यवादियों के प्रति प्रेमसे परिपूर्ण है।'

यही नहीं, अपने एक दूसरे भाषणमें उन्होंने शोपित किया—‘विना पिस्तौलके धनियोंको मिटाया जा सकता है, क्योंकि अब प्रत्येक बालिग व्यक्तिको मत देनेका अधिकार प्राप्त हुआ है। भविष्यमें सरकार प्रत्येक व्यक्तिकी होगी। मैं साम्यवादियोंसे बहुँगा कि वे बाहर निकल आएँ और काम करें। यदि वे बाहर आकर काम कर सकें तो मैं उन्हें अपना पूरा सहयोग देंगा।’

साम्यवादियोंका कोई मिश्र इससे आगे फ्या जाएगा। फिर आगे विनोदाके यज्ञके विरुद्ध यह तीव्र आरोप लगाया गया कि उसमें भूमिदान देनेवालोंकी अधिक संख्या मध्यम वर्ग तथा गरीब किसानोंकी हैं, जो शोपितकी परिधिमें आते हैं और जो स्थर्य उत्पादक हैं। उनसे भूमि लेनेपर उनकी अज्ञानतासे लाभ उठाकर उल्टा शोपण किया जाता है। इसके सिवाय जिन दें जमीदारोंने जमीन दी है, वह निकम्मी और अनुत्सादक है। यह पीड़ितोंकी नहायता का कोई वाल्तविक प्रबल नहीं है।

इन दारोपोंके प्रति चट कहा जा सकता है कि विनोदाने गरीबोंसे भी रेंट स्थीरार की है, क्योंकि उनका कार्य एक यज्ञके

रूपमें है, जिसमें एक गरीब भी अपनी भेट दे सकता है। यहाँ दान देनेवालेकी 'साम्पत्तिक-निर्धनता' का विचार नहीं है, प्रत्युत उसके हृदयके धनी पन' की। और यह कौन नहीं जानता है कि उन गरीबोंका हृदय कितना धनी है। पर क्या जीससने यह नहीं कहा था—'एक ऊँटके लिए सुईके छेदमें से निकल जाना आसान है, वनिस्वत एक धनीके लिए कि वह ईश्वरके राज्यमें प्रवेश कर सके।' यदि धनीवर्ग आसानीसे अपनी जमीन नहीं देता है तो यह कोई कारण नहीं कि गरीबोंकी श्रद्धापूर्ण भेटसे भी इत्कार किया जाए। साधारण भूमिवाले गरीब किसानोंने अपनी स्वतः प्रेरणासे अपने भूमिहीन किसानोंके लिए भूमिदान देनेका हाथ बढ़ाया। उनपर न कोई जोर-जुलस किया गया और न किसी प्रकारका दबाव डाला गया, जिस प्रकार रूस और अन्य सोवियट देशोंमें किया गया। अपितु भारतीय किसानोंने अपने दानसे भारतीय संस्कृति और परम्पराका महान निरूपण किया।

यह सही है कि धनी जमीन अक्सर कुछ लाभ पानेकी गर्ज से दान देते हैं, उन्हें राज्यसे उसके बदलेमें कोई लाभ मिले, उनका नाम हो या ऐसी वीसों सुविधाएँ प्राप्त होनेकी वातें ही सकती हैं। कभी-कभी ऐसे लोग विवादप्रस्त जमीनके हिस्सेको छत रुथालसे दे डालते हैं कि एक पत्थर यारनेसे दो पक्षियोंका नहजमें बच हो। विनोदा उन सबसे गहरे सचेत रहे। इन कानोंको चाहे चालाकी कहा जाय या जाल, पर उन सबसे विचलित न होकर उन्होंने विश्वासपूर्वक यह उत्तर दिया —

‘वे उन्हें आज जो कुछ देते हैं, जो कुछ वे दे सकते हैं, कल वे और अधिक देंगे और वाकी उसके उपरांत देंगे, कारण, यह भूमि मेरी है, उनकी नहीं हैं।’

इस प्रश्नके उत्तरसे कि धनियोंने वहुत थोड़ा दिया, उनका यह विश्वासपूर्वक उत्तर रहा—‘मैं एक सागर हूँ, जिसमें सब प्रकारके गन्दे, कठोर, मुलायम और स्वच्छ, जलकी नदियां वह कर आती हैं। मैं उन्हें पूर्ण द्यासे स्वीकार करता हूँ।’

‘धनी वर्ग अपनी सम्पत्तिका द्रृस्टी है और वह उसके हृदय परिवर्तन द्वारा सहजमें प्राप्त की जा सकती है’ विनोदाने नाथीजीकि इस यहान सिद्धान्तका लक्ष्मि प्रयोग कर दिखाया। यह यश उन्हें ही प्राप्त हुआ और आज जब विश्वलें सान्यवादकी धारागले सरकारी आदेश तथा जोर-बुल्मसे सम्पत्तिकी जप्तीके पार्य हो रहे हैं, विनोदाका मार्ग सम्पत्तिके वितरण और वर्ग-भेद भाव मिटानेका एक सहान भारतीय प्रयोग है। विनोदा या कमद्दू हृदय परिवर्तनमें अटल विश्वास है। सान्यवादी इन विश्वासको परिवर्तन द्वारा दूर नहीं कर सकते। वस्तुतः जोहू भी व्यक्ति जन्मजात सान्यवादी नहीं होता है। अपने जीवनकी किनी अवस्थामें पहुँचनेपर कह उसमें परिवर्तित होता है। और यह परिवर्तन निःसन्देश अहिंसक रूपमें होता है। यह परिवर्तन नवोदय विचारधारासे निरुट्टन नन्दन्ध रूपता है। इसके अन्तर्गत किसी एकका और नक्का अधिकते

अधिक हित करना है। सर्वोदयका सिद्धान्त यथावत स्थिति कायम रखनेके पक्षमें नहीं है। इस प्रकार एक अमेरिकनका यह प्रचार भी उसके भाव भंगी विचारोंका घोतक है कि भारत की सामूहिक योजनाएँ गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमका अंग हैं। वस्तुतः वे नहीं हैं। गांधीजीके जन्म-दिवस पर उन्हें परिणत करना, मारा बहनके अश्रुपूर्ण शब्दोंमें बापूके हृदयको चीरना है। इसी प्रकार सर्वोदय समाजकी वर्तमान स्थितिको परिवर्तन करना चाहता है। यदि मौजूदा अवस्था कायम रखना अभीष्ट होता तो भारतने न तो गांधीजी जैसे महापुरुषको जन्म दिया होता और न विनोबा जैसे साधु पुरुष समाजकी आर्थिक असमानता दूर करनेके लिए घर-घर भूमि माँगते।

एक आरोप यह भी है कि भूमिदान यज्ञने सामाजिक ढाँचेमें एक अंशमात्र भी परिवर्तन नहीं किया है। देशकी आर्थिक अवस्था यथावत बनी हुई है। पर विनोबाने यह कभी नहीं सोचा कि प्रति दिन किसी स्थानपर सोलह मील चलकर वे उसका सामाजिक ढाँचा बदल देंगे। किसी भी सुधारक, विचारक तथा नेता या जगतके महापुरुषने ऐसा किया या वह ऐसा कर सका। प्रातःकाल उदय होनेवाला सूर्य, जो उच्च शिखरोंकी वर्फको पिघला सकता है, क्या सबको जाग्रत कर सका? वह केवल उनके जीवनमें परिवर्तन लाता है, जो अपनी शश्या त्यागनेके लिए तत्पर होते हैं। पर जो लोग नहीं उठना चाहते, उनके लिए उसका भी कोई चारा नहीं है। अतः हमें भूमिदान यज्ञको

इस इन्डिसे देखना चाहिए कि उसने आर्थिक क्षेत्रमें किस ढंगकी क्रान्ति की है, किस अवस्था तक उसने कितने लोगोंका हृदय परिवर्तन किया है। फिर भूमि सुधारके कार्यक्रमसे ही समाजका दौंचा नहीं बदलता है। वह, इस परिवर्तनका केवल एक अंग नात्र है। विनोदाने स्वयं प्रकट किया :—

“मैं भूमि सम्बन्धी बड़ी समस्याओंके हूल करनेका प्रयत्न नहीं कर रहा हूं। पर निःसन्देह मैं उसे शांतिपूर्वक हूल करना चाहता हूं, किन्तु कोई भी संसारकी सभी समस्याओंको हूल नहीं कर सकता है। यहाँ ही राम हुए हैं और यहाँ ही कृष्ण हुए हैं, संसारके लिए वे जो कुछ कर सकते थे, उसे उन्होंने किया किन्तु समस्याओंका फिर भी कोई अन्त नहीं है। हर एक व्यक्ति केवल अपना काम कर सकता है।”

राष्ट्र फुमारणपाने अक्सर यह प्रकट किया कि ‘मैं चीन और रूस गया। किन्तु मैंने भारतके सियाच कहीं भी सान्ध्य-पाद नहीं पाया।’ यह स्थिति जो कुछ हो, विनोदाने अपना कार्यालय किसी राजनीतिक दलका प्रतीक नहीं बनाया। पर राजनीतिक दलवन्दियोंकी अपेक्षा सबसा एक बलारम्भं खड़ा होना कहीं अधिक योग्यनीय है। नए चीनके निर्माता माओंने शीगली विजयलभ्नी पंडितसे किन सुन्दर शब्दोंमें राष्ट्र निर्माण के लिए एकत्राता संवेदन किया—‘निर्माणके लिए हम जब एक हैं, शांतिके लिए हम सब एक हैं निलें।’ पर यह भारतका उभार है जिन्हें जन्म-जन्म दल राष्ट्रके जन्मानके लिए मंदुख नहीं

हो सकते हैं। उन्होंने देशकी हालत उस रोगीके समान बना दी है, कि जिसका जितना इलाज करो, रोग बढ़ता ही जाता है। अतः भूमिदान यज्ञका लक्ष्य समाजको आर्थिक और नैतिक स्वतन्त्रता प्रदान करना है। विनोदा एक क्रान्तिकारी है, जो अपनी गतिविधिसे समाजको बदल देना चाहते हैं। इस दिशामें वे एक सफल सत्याग्रही हैं। इसीसे उन्होंने काशीके सेवापुरी सम्मेलनमें कहा था—

‘मुझे सत्याग्रही होनेका गौरव है। मुझे दूसरा और कोई गौरव नहीं है। यह विश्वास रखें कि एक सत्याग्रहीकी दृष्टिसे मैंने कभी कोई ऐसा विचार नहीं किया जिसका फल न हुआ हो।’

विनोदने आर्थिक क्षेत्रमें एक नई प्रेरणा उत्पन्न की है। इस यज्ञ-योजनाके पूर्ण सक्रिय होने पर भूमिकी समस्या हल हुए बिना न रहेगी। देशकी सारी भूमिका पुनः वितरण होगा और उसके आधार पर ही राज्योंको भूमि कानून बनाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेशमें भूमिदान यज्ञको जितनी भूमि प्राप्त हुई, उससे प्रादेशिक सरकारको तत्स्वन्धी नया कानून बनाना पड़ा। ५ लाख आमोंमें ५० लाख एकड़ भूमि प्रथम प्रयास में प्राप्त करनेका यह आयोजन है।

### ‘ग्रामीकरण

भारतमें भूमिका इस प्रकार वितरण पूर्ण हो जाए और सब किसान और खेतिहर मजदूरोंको थोड़ी-थोड़ी भूमि मिल जाए तो

फिर उसकी व्यवस्था सहजमें सहकारी संगठन द्वारा हो सकती है। इस प्रकार भारत अपनी सांख्यिक परम्परा द्वारा छुस-ओर चीनकी अपेक्षा इस समस्याको हल करनेमें सफलीभूत हो सकता है। भारतकी यह क्रान्ति संसारमें नवीनतम होगी। इसमें किसानोंके सहयोगकी आवश्यकता है। एशिया तथा भारतमें भूमिके सम्बन्धमें खसकी समूहीकरण पद्धतिका अपनाना बांधनीय नहीं है, पर्यांकि उससे शासन तंत्र द्वारा काम करनेवालोंका शोषण होता है। भारतीय किसान और वेतिहार मजदूर बनकर काम करनेके लिए तैयार नहीं हैं।

इसकी अपेक्षा भारतीय ग्रामोंमें 'ग्रामीकरण' पद्धति कर्दी अधिक बांधनीय है। इसके द्वारा किसानोंके एक नए वर्गका निर्माण होगा। किसान, जो भूमि-पति होंगे, अपनी-अपनी भूमिके योगसे ग्रामीण संगठनका निर्माण करनेमें अव्यसर होंगे और उनकी यह व्यवस्था तथा उनके प्रत्येक कार्य समानता पर आधारित होंगे। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण द्वारा राष्ट्रका प्रत्येक दल और संगठन प्रशासनमें भाग ले सकेगा। लोकतन्त्र सनातनाद्या चाहिए यही ध्येय है। पर इसमें जिस प्रकार भूमिके समूहीकरणकी व्यवस्था जारी है, उसमें दाम करनेवाले किसानोंको प्रशासनके सम्बन्धमें कोई भी गत देनेका अधिकार नहीं है। इसलिए साम्यदादी खसका ठांचा इन देशोंके लिए किन्तु प्राचार भी अनुचरणीय नहीं है।

भारतीय लोकतन्त्रमें एक दलका शासन और नायारार्थी

कभी अपेक्षित नहीं है। रुसकी स्वेच्छाकरणकी नीति भारतीय लोकतन्त्रताके सर्वथा विपरीत है। भारतमें गांधीवाद और लोकतन्त्र-समाजके आदर्शपर समाजका ढांचा निर्माण किया जा सकता है, जिसमें सबको सत देनेका अधिकार प्राप्त हो। सोवियत रुसने जिन सौलिक विचारोंको अपना लक्ष्य बना रखा है, उस पर वह आज कायम नहीं है।

### राष्ट्रीयकरण

भारतीय विधानमें निजी सम्पत्ति पर राष्ट्रके अधिकारके सम्बन्धमें मुआवजे सम्बन्धी जो भी व्यवस्था हो, किन्तु भूमिके वितरणके तरीकेपर शान्तिपूर्ण हल निकल सकता है। भारतमें पूँजीवाद अंकुरित अवस्थामें है। अन्यथा इस देशमें जितना राष्ट्रीयकरणका क्षेत्र विस्तृत है, उतना लोकतन्त्रवादी ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और योरपके अन्य किसी देशमें भी नहीं है। यहाँ भूमिका उन्मूलन तथा उसका समान आधारपर वितरण चीनकी अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। देशका यह सबसे बड़ा उद्योग है, और राष्ट्रकी आयका सबसे बड़ा श्रोत है। इसके उपरांत रेलवेका उद्योग है, जिस अकेले धंधेमें इतनी पूँजी लगी है, जितनी कि निजी क्षेत्रके समस्त धन्धोंमें लगी है। इस धंधेका भी पूर्णतया राष्ट्रीयकरण हो चुका है। विद्युत, संचार और उद्योग आदिका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। केवल बैंक, बीमा कंपनियाँ तथा उपभोक्ता पदार्थोंके धंधे हैं, जो निजी पूँजी के क्षेत्र बने हुए हैं। बुनियादी धंधोंकी स्थापना सरकारी पूँजीसे हुई है।

## छोटे खेतोंमें सम्मिलित खेती

भारतवर्षमें पैदावार घटनेके अनेक कारणोंमें एक प्रधान कारण यह भी है कि कृषि-उत्पादन करनेवाले खेतोंका छोटे-छोटे टुकड़ोंमें विभाजन। खेतोंके इस बैटवारेने भले ही पारियारिक समस्याएँ हल की हों, किन्तु उससे खेतीकी वृद्धि पर उपारपात-सा पड़ा। पारिवारिक सदस्योंमें जमीन टुकड़े-टुकड़ोंमें फैटती चली गई। परिणाम यह हुआ कि बहुतसे टुकड़े इतने छोटे हो गए कि आज उनका लाभदायक उपयोग ही नहीं हो सकता। माना कि हरएक किसान जमीनका मालिक हो, किन्तु उनका रूप जमीनका छोटे-छोटे टुकड़ोंमें बैटवारा नहीं है। जमीनका इस प्रकारका बैटवारा शायद ही संसारके किसी देशमें हो। इसके सिवा किसी देशके किसानोंमें भारतीय किसानोंके समान यह भावना नहीं है कि वे मिलकर खेती न करें। पर इस नए जीवनमें इस देशका किसान फिर भी अलग रहना चाहता है। यह कैसी दृश्यनीय स्थिति है।

कृषि-उत्पादनकी व्याप्तिसे इन छोटे टुकड़ोंका कोई लाभदायक उपयोग नहीं है। वे टुकड़े केवल छोटे-छोटे ही नहीं हैं, वल्कि इनमें पूर्ण विवरे पढ़े देंते हैं, जिससे किसानोंको अपने लाल-रंग आदि खेतीके साधन—एक जगहसे दूनरी जगह ले कर जाने-शानेमें ही पढ़े समय और धनरा अपव्यय खरना पड़ता है। ये तो किसी टुकड़ोंकी विवरी निपत्तिके पारण किसानके लिए

अपनी फसलोंकी देखभाल भी सुचारू रूपसे संभव नहीं हो पाती। खेतोंकी सीमाओंके लिए पड़ोसियोंसे झगड़े भी इसी कारण होते हैं, जिनके परिणाम दुश्मनी, मारपीट और मुकदमे-बाजीमें प्रकट होते हैं। खेत छोटे होनेके कारण, न तो उनका विकास ही किया जा सकता है और न उनकी भले प्रकार वैधार्इ ही की जा सकती है। प्रायः खेत छुटाईकी अधिकताके कारण परती छोड़ दिए जाते हैं।

किसानोंकी बढ़ती हुई जन-संख्याके साथ-साथ खेतोंके टुकड़े होते चले गए। यह बुराई धीरे-धीरे बढ़ती गई। परिणाम यह हुआ कि जमीनकी उर्वरा शक्तिका ह्रास हुआ। आर्थिक हृषित्से किसानके लिए न तो तब संभव था और न आज संभव है कि वह खेतका विकास करे। उसमें नए साधनोंका उपयोग नहीं हो सकता है। यदि किसी किसानके पास सात आठ छोटे खेत इधर-उधर विखरे हुए हैं, जो साधारणतः होते ही हैं, तो उन सबकी व्यवस्था भले प्रकार नहीं हो पाती है। अतएव कृषि-विकासके लिए यह आवश्यक है कि, विखरे खेतोंका संयुक्ती-करण कर बड़े-बड़े खेत बनाए जाएँ।

यह कार्य किसानोंके करनेका है। वे अपने सर्वोपरि हितकी हृषित्से एक-दूसरेसे मिलकर बड़े खेत बनाएँ और उन सबकी एक साथ खेती हो। संयुक्त रूपमें बड़े खेतोंपर सबका अधिकार हो। इस स्वामित्वमें जब कभी भले ही परिवर्तन हो,

किन्तु खेतोंका विभाजन कभी न किया जाय। भारतके सभी प्रान्तोंमें खेतोंका यह शोचनीय विभाजन है।

इस दिशामें बम्बई प्रदेशकी सरकारने साहसपूर्ण कदम उठाया और खेतोंकी चकवन्दीके लिए खेतोंके बँटवारेके निषेध पा कानून बनाया। इस व्यवस्था द्वारा भविष्यके लिए खेतोंका पैटवारा रोक दिया गया। हर प्रकारकी जमीनके लिए खेतोंकी मीमा—स्थानीय खेतोंकी सीमाके आधारपर नियत की गई। इस सम्बन्धमें खेतकी व्याख्या इस प्रकार की गई—

‘ऐसा खेत, जिसका लाभदायक रीतिसे पूर्ण उपयोग किया जा सके, अर्धांत् किसान—जो अपने किसी निर्धारित खेतमें जाए, वहां उसे पूरे दिन भरके लिए काम मिले। खेतका क्षेत्रफल इतना छोटा न हो, कि वह दिन भरके थोड़े समयमें ही अपना काम पूरा कर ले और फिर उसे अपने दूसरे खेतमें कामके लिए दौड़-पूँप करनेमें अम और समय नष्ट न करना पड़े। निर्धारित नेतृत्वकी उपज, पैदावारका व्यव और लगान चुकानेके बाद पर्याप्त लाभ देचे।’

सामान्य रूपसे जमीनके रूप इस प्रकार हैं (१) सूखी फसलें, शाम और दानवानी की जमीन—जिले जिलोंकी जमीनोंमें आपसमा, नीसम, खेतीकी विधि और अन्य वातोंके विभेदोंके पास बद्दुसार खेतोंके निरधारित क्षेत्रफलोंमें मिलताएँ हैं। इन प्रकार प्रत्येक क्षेत्रमें खेतोंका निरधारित क्षेत्रफल निश्चित प्रत्येक निहान्त वहकि खेतोंके छोटे से छोटे निरधारित

खेतकी दृष्टिसे है, जिससे कम निरधारण होनेपर उस भूमिकी खेती लाभदायक नहीं होगी। निरधारित खेतको, जो कि आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी खेतसे अलग है, उसके निश्चित करनेकी कार्य-विधि इस प्रकार है :—

(२) जिराअत जमीन— एकसे चार एकड़, धान खेतीकी जमीन एक गुँठेसे एक एकड़, बरीचा जमीन—पांच गुँठेसे एक एकड़; बरकत जमीन—दो से छः एकड़। इस प्रकार निर्धारित खेत निश्चित करनेके उपरान्त निर्धारित खेतसे कम आकारवाले जो टुकड़े शेष रहते हैं, उन्हें टुकड़े रूँभासे प्रकट किया गया। इन टुकड़ोंके बेचने या पट्टे देनेके सम्बन्धमें कुछ प्रतिबन्ध कायम किए गए हैं, जिससे भविष्यमें उनका हस्तांतरण इस प्रकारसे होगा कि जिससे उनके टुकड़े एकत्रित किये जा सकें। इसलिए वर्तमान टुकड़ोंको अधिकारोंके अभिलेखमें प्रविष्ट किया गया है और उसके सम्बन्धमें टुकड़ेके मालिकोंको सूचित किया जाता है। किसी भी व्यक्तिको अपना टुकड़ा दूसरेके नामपर चढ़ाना या पट्टे पर देना पड़ता है, जिससे कि वह पासवाली सर्वे नम्बर में अथवा सर्वे नम्बरोंके उप-विभागोंमें समाविष्ट हो जाए।

जमीनके विलीनकरणकी व्यवस्थामें कोई भी किसान अपनी जमीनसे वंचित नहीं किया जाता, भले ही उसकी जमीन का कितना ही क्षोटा टुकड़ा क्यों न हो। टुकड़ेवाली जमीनका मालिक किसान जब तक स्वयं उसपर खेती करता है, वह उसके लिए स्वतन्त्र है। उसके उत्तराधिकारी भी उस टुकड़ेके परम्परा-

गत अधिकारी होते हैं। पर यदि किसान किसी समय उसे बेचना चाहे या उसे पहुँचे पर देना चाहे तो उसके लिए कानून द्वारा यह व्यवस्था है कि वह जमीनका टुकड़ा इस प्रकार बेचा या पहुँचे पर दिया जाए कि पासमें लगे हुए खेतमें विलीन किया जा सके। यदि पासमें लगे खेतका मालिक ऐसे खेतकों न देना चाहे या जान पूँक्कर कम कीमत देना चाहे तो उस टुकड़े की जमीनके मालिकको सरकारसे सहायता प्राप्त हो सकती है; जो भूमि-प्राप्ति-एक्स्चेंजिशन-अधिनियम की व्यवस्थाके आधार पर उन टुकड़ोंको निर्धारित विक्री-मूल्यपर खरीद सकती है। इस प्रकार इस टुकड़ेवाली जमीनका मालिक हानिसे बचता है।

अब: किसी किसानसे अनिवार्य रूपसे जमीन ले लेनेका गोर्ह प्रत्यन नहीं है। इस व्यवस्थाके अन्तर्गत कानूनका प्रयोग नी नभी होता है, जब कि किसान उसे बेचता है। इस प्रकार यदि यह स्वयं ही अपना अधिकार विक्री द्वारा दूसरेको देने जाता है, तब उसे जमीनसे घंचित करनेका प्रत्यन ही नहीं रहता है। इस मन्दन्पर्में फैलट प्रतिवन्ध भविष्यमें टुकड़े न रहनेये पड़ते हैं। उसे या तो पढ़ोनी किसान खरीदे या उसे फिर सरकार प्राप्त करे, जिससे कि यह आगे चलकर यहाँ नेत बनाने में समर्थ हो और जब तक भरपारके लिए यह भव्य भव्य न हो। यदि यह यह नजदीकी है किसानही उस जमीनको पहुँच पर देनेवाले लिये नहीं है।

सर्वानन्द टुकड़ेशाही जमीनोंकी चढ़परदी है लेकिं यहाँ

भविष्यमें उनका हस्तांतर या बँटवारा टुकड़ा बनानेके लिए न हो सकेगा। इस प्रकारकी कार्यवाही कानूनके खिलाफ़ होगी और किसान दण्डित होगा।

खेतोंका एकीकरण अर्थात् संघननके प्रयत्न खेतोंको छड़ा बनाने के लिए हैं। इस प्रक्रिया द्वारा खेतोंका नया मूल्य निरधारण होता है और उनका मुनः विभाजन होता है। इस व्यवस्थाका लक्ष्य यह है कि खेतोंके बिखरे हुए टुकड़ोंको एकत्र कर—बड़े खेतोंमें परिणत किया जाए। पैदावारकी दृष्टिसे उपयोगी खेत बनानेके लिए यह योजना है। यह स्मरण रहे कि दुनियादी सिद्धान्त किसीको अपनी जमीनसे वंचित नहीं करनेका है। जहाँ जमीनका विनियम बदले जाएं उपर्युक्त उपाय कीमत और पैदावारकी जमीन बदले में मिलती है।

आज अनेक किसानोंके पास लाभहीन खेत हैं। पर ऐसे किसानोंको भी जमीनके अधिकारोंसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस दिशामें केवल प्रयत्न यह है कि वे जमीनपर अपना अधिकार रखते हुए एक दूसरेसे मिलकर खेती करें। सबसे उपयुक्त उपाय तो सहकारी-ग्रणालीके आधारपर स्वेच्छापूर्वक संगठन द्वारा समिलित रूपसे खेती करना है। कानूनकी व्यवस्थाके अन्तर्गत भी खेतोंके मिलाने—संघनन कार्यके लिए उर्वरा शक्ति और उपजके खेत विनियम किए जाते हैं। इस सम्बन्धमें मुआवजेकी व्यवस्था की गई है कि थोड़े उत्पादनबाले खेतका संबंध अधिक उत्पादनबाले खेतसे किस प्रकार किया जाए। बन्वईके

कानूनमें अधिनियमों द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। खेतोंके एकोपरणसे पहलेके विवरे खेतोंसे जो आय होती थी, वह प्रत्येक जमीनके मालिकको बादमें भी होती है। किसी भी विनाशको कोई क्षति नहीं होती है, वल्कि भविष्यसें सन्मिलित देतोंमें भी उपज घटती है, उससे उनकी आयमें उत्तरोत्तर घट्ट होती है।

जर्नानका एकोपरण होनेपर पहलेकी काश्तकारियाँ बदल दर नए नेपिटिन क्षेत्रोंकी होती हैं। इस प्रकार पट्टा, कृष्ण और दूसरोंकी वर्षतिके अधिकार—जो पुराने खेतोंपर होते हैं, वे भी बदल दर नए एकोपरणके खेतोंके लिए शुभार किए जाते हैं। जिस विनानके पास ५ एकड़ जमीनके न्यौत हैं, उसे १० एकड़ चिह्न दर्शानी उसे व्यापक जमीन मिली, किन्तु समष्टि रूपसे उस नमान ही होगी। एकोपरणके नगद वही लार रहेगा। इस रार्थमें विनानके दिनोंका ध्वान रखा जाता है। किसीकी विनानकी रट नहीं की जाती है, उसे अधिकारसे हटाया नहीं जाया है और न उसे नुकसान ही पहुँचाया जाया है। नामान्यतः एकोपरणमें भिलजेपाली जमीनकी दिनी उसीकी ओर आती है। ऐसे जातेही जमीन और नई जर्नानके मूलमें अन्दर ही तो ५%में भी उस परिमाणमें परिवर्तन किया जाता है।

संसदनमन्तर्यामीतरण द्वारा उन्नति राजव्य प्राप्तोंका निर्दिश्य प्रस्तुत है। इसके उत्तरात् संसदनमन्तर्यामी अधिकारी अधिकारोंका अभिनव संशोधन करता है। प्राप्त अंतरात्मों द्वारा आम नियमितता सुनाय-

निरधारण और एकीकरणके कार्यमें सहयोग देती हैं। मूल्य निरधारण होनेपर संघनन अधिकारी टुकड़े खेतोंके अस्थायी एकीकरण खेत तैयार करता है, वह इस बातका ध्यान रखता है कि प्रत्येक किसानको समान उपजकी जमीन मिले। ग्रामके पंच और किसान तथा संघनन अधिकारीके परामर्शसे सब निर्णय होते हैं। इसके उपरांत भी जो विरोध होता है, उस पर सरकार विचार करती है। सेटलमेण्ट कमिश्नर योजना को स्थाई रूप देता है। जो किसान नई जमीन सिलने पर मुआवजा देनेमें असमर्थ होता है, उसे सरकार तकाबी ऋण देती है। एकत्र खेतोंके एक बार नए खेत बन जानेके बाद, कलक्षटरके आदेशके बिना उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और न उनका हस्तान्तर ही हो सकता है तथा न बँटवारा ही।

---

## ओटी जमीनमें खेतोंकी सफल पैदावार

कितनी जमीनमें खेती करनेसे अच्छी पैदावार हो सकती है, यह आजकी गंभीर समस्या है। फिर कितनी एकड़ जमीनमें कितनी लागत लगती है और आव कितनी होती है। यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ सिर्फ २५ एकड़ जमीन में ही लागत और आवका दिनाव लगाया गया है।

एपिरे उद्योगमें आर्थिक सफलता किस प्रकार हो, वह एक दृष्टी गणना समस्या है। अब तक इस देशमें कृषि-उत्पादन अबांधित रूपसे हुआ। पर अब अवधाने पलटा खाद्य और हम यह नोकरनेके लिए प्रियता हुए हैं कि किस उद्योगमें किस प्रकार आगे एक्सेस सफलता संभव है। इस हितसे यह प्रकट है कि एपिरे सरकार प्राप्त करनेके लिए जमीन, मजदूरी और पूँजी गोंतोंका टीक बनुपान होना चाहिए। अन्य पर्याप्ति समाज सुरक्षियोंमें भी जर्मन, गोंतम, यारों और जाधव ही किसानकी दिक्षा-श्रियता तथा शार्य इसलाई आवाद पर गिन्न-भिन्न तर पर आव होती है। अतः ये नीली आव पर इस तरह नत्योंका आवाद पड़ता है। एक अनुभवी किसान जर्मन और पश्चिमोंदो देशोंरहा ही सरकार उत्तीर अमरकृताया अनुमान करा देता है। यह गोंतरहा है कि इस जर्मनमें इस दृष्टिकोण से नीली दरजे पर उत्तर का आव होगा। अन्यों जौनी हुई जर्मन और दक्षिण पश्चिमोंके उत्तरोंमें किसान आवाद उठानेमें समर्पि-



(२) सामान—हल जोड़ी—२ ( पंजावकी बनी हुई )	१४२ रुपए
नेट्रन हल—३	६० "
देशी हल—३	३८ "
युद्धी काटनेवाली मशीन—१	८० "
वैलगाड़ी—१	३०० "
द्वेषीकी अन्य औजार	८० "
	<hr/>
जोड़	७०० रुपए

(३) सामान—पशुओंके लिए सायदान १०

(  $10 \times 5$  ) ५०) की दरसे १२५० रुपए

मजदूरोंकी चाकान ४

(  $12 \times १०$  ) १२०) की दरसे १२०० "

गोदान २०/५१५—६) १० की दरसे १८०० "

अदाना या नारकता पेरा या लकड़ीके

ईटोंपा पेरा १० रु. प्रति पकड़हुली दरसे १२५० रुपए

किसानसाधान जादि ३०/५२०—६ रु. की दरसे १८०० रुपए

कुल आरम्भिक पूँजी का जोड़ १५२०० रुपए

साम घरते र्ही पूँजी

(४) ग्राम पंचायती सामान—

स्पर्शी, हुदाई, हनिया और बेट—प्रति १०. पाठा ३

( ३ इकाई और ५ हुमला ) दरिया २४, रमरी १२, बाल्डी

( बाल्डी ५, चमल ५ और दोट ५, धोरे ५ ) और इमरी बालुर्द  
= २५८८ रुपए

होता है। खादका उपयोग, अधिक वर्पासे फसलकी रक्षाके लिए खेतोंमें क्यारियोंका नया निर्माण और कीड़ों आदिसे उत्पादन की रक्षाके भी प्रश्न हैं, जिन्हें किसान भूलता नहीं है। पर खेतीके लिए सबसे बड़ी समस्या जमीन और पशुओंकी है। अच्छी खेती करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम उन खेतोंको देखें, जहाँ आदर्श-रूपमें खेतीका प्रयोग होता है और उचित साधनोंद्वारा खेतीमें सफल परिणाम प्रकट किए जाते हैं। किसानोंको उन खेतोंका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यह होने पर ही कृषिकी उपजसे वास्तविक लाभ उठाया जा सकता है।

अतः हमें यह विचार करना है कि, जमीन, मजदूरी पूँजी का किस अनुपातमें समन्वय हो कि, खेती लाभदायक हो। यदि हम २५ एकड़ जमीनके एक ऐसे खेतको लें, जिसे नहरकी सिंचाईकी सुविधा प्राप्त है और पासमें चीनीकी फैक्टरी भी है, तो उस अवस्थामें कितना व्यय पड़ेगा और कितना लाभ होगा:

### आरंभिक पूँजी

(१) पशु	(क) बैलोंकी तीन जोड़ी	२४०० रुपए
	(ख) दूध देनेवाले पशु	८०० रुपए
	गाय—एक, भैंस—एक	

जोड़—३२०० रुपए

(२) मामान—एल जोड़ी—२ ( पंजाबकी बनी हुई ) १४२ रुपए

मेटन एल—३	६० "
देशी एल—३	३८ "
हुटी काटनेवाली मशीन—१	८० "
वैल गाड़ी—१	३०० "
द्वेतीकी अन्य औजार	८० "

जोड़ ७०० रुपए

(३) महान—पशुओंके लिए नायवान १०

(१०×५') चाँची दरसे १२५० रुपए

मज्जदूरोंके गकान ४

(१२×१०') चाँची दरसे १२०० "

गोदाम २०×२५'—६) न० की दरसे १८०० "

अलाता या नारका पेरा या लकड़ीकि

दर्तीसा पेरा ५० न० द्रवि लकड़ीकी दरसे १२५० रुपए

किसानरामधान आदि १०×२०'—६ न० एकी दरसे १८०० रुपए

एक आरम्भिक दृढ़ी का जोड़ ११२०० रुपए

साम करने की पूर्जी

(४) नदर द्वियाना मामान—

सरसी, इलाई, छुकिया और गोद—प्रयत्न १०, साहा ३

(३ फॅटो और १ इनाना ) रुपियां २४, रस्सी १२, पलटी १५, गोदी १२, गोदी और गोद ४, घोरि ५३, और दूसरी प्रमुख  
प्रयत्न १८ रुपए

## बीजमें लागत

## फसलकी योजना

एकड़	खरीफ	रवी
१½	छारी जुआर-धास	चना
१½	मक्का धास	—
४	गन्ना	
४	—	गेहूं
२	मूँग	गेहूं
१	मक्का ( अनाज )	आलू
२	जुआर "	अरहर
३	धान	मटर
२	मकान और मार्गके अन्तर्गत	

२५ एकड़

८६५ रुपए

(३) खाद—१४० गाड़ी खाद ५ रु० की दरसे

और अमोनिया सलफेट १० मन २० रु०

प्रति हंडर की दरसे

८४५ रुपए

(४) पशुओंके पालनमें व्यय—

बैलों पर व्यय ७०) मासिक

व्यय प्रति बैल जोड़ी पर

२५२० रुपए

दूध देनेवाली गाय भैंस ५०) मासिक

प्रति पशु पर

रुपए

श्रोटी जमीनमें खेतीकी सफल पैंडावार

१६७

(१) मडदरों पर व्यव है, जिनकी संख्या ८ है, ४०)	
वासिककी दरसे	३८४० रुपए
(२) लौजार आदिकी दुरस्ती आदिमें व्यव	३५ रुपए
(३) भद्रानोंकी दुरस्ती आदिमें व्यव	१५२ रुपए
(४) निचार्ट-व्यव	२२० रुपए
(५) किराया	२५० रुपए
दरब निधारणके लिए काम करने की कुल पैंजी	१०१८७
(६) पिनार्ट या कमी	
पिनार्टमें गोत आदिसे १० प्रतिशतकी दरसे कमी ३२०	
सामानमें पिनार्ट १०% की दरसे	७०
भद्रानमें पिनार्ट ४ प्रतिशत की दरसे	८४२
	५१२ रुपए
(७) प्रदानका शुभार	
आर्निरु पैंजी ८ प्रतिशत की दरसे	१६८ रुपए
१ काम दरसेवी पैंजी पर १८ प्रतिशतकी दरसे	१८८ रुपए
	३५६ रुपए
हर काम दरसेवी पैंजी	१३०६६ रुपए

## आसद

फसल	पैदावार (मन)	मूल्य (रुपए)
छारी	४५०	३३८
चना	२२५	२६३
और उसका भूसा	२०	२६०
मक्का	३००	३००
वेरसीम	६००	६००
गन्ना	२४००	३१५०
गेहूं और	२००	३२००
भूसा	४००	१६००
मङ्ग और	१२	२४०
भूसा	१२	३६
मक्का	२०	२००
आलू	१६०	१२८०
जुआर और कड़वी	२०	२००
अरहर और	२०	४००
भूसा	२०	६०
धान—और	७५	७५०
भूसा	२००	१५०
मटर—और	३६	७२०
भूसा	३०	६०
फसल से आय—		१३८६७ रुपए

₹८ ग्रन दृष्ट २० रु. मनवी दरसे— १६८० रुपए

कुल जोड़—१६८० रुपए

घट्य १२०६३ "

असली मुनाफा ३७५४ "

प्रति एकड़ असली मुनाफा १५० "

आमदारे वार्षिक-व्ययोंकी पूर्ति :- वार्षिक आयका प्रतिशत

१.—गड़बूरी ३८४० रुपए ८४.३

२.—पीढ़, गाढ़, लिचार्ह १६३० रुपए ४८.८

३.—प्राणोंका पालन और

सहान गधा औजारों

४.—मुमर्हीने ४१८७ रुपए ८५.४

५.—दिशाया ८५० " १.८

६.—पूर्णी पर चार १२५४ " ८.०

७.—पिचारे ८५० " ४.०

८.—प्राणोंका और लिचार्ह ३७५४ " ४३.४

तोटवारी आमद १६८० " १००.०

इसका एक दर्शाई आय १६८० रुपए इसी दरबारी के अनुसार लोक वित्तीकरण लाभार्थी का व्यवहार आयी ही है। ऐसा हमें लोक वित्तीकरण व्यवहार नहीं देखा जाता है। इस वित्तीकरण

में और भी अन्य तरीके हैं, जिनसे काफी बचत की जा सकती है। इसके सिवा जमीनके अधिक उपजाऊ बनाने, एक एकड़में अधिकसे अधिक उत्पादन बढ़ाने और अच्छी सिंचाईकी व्यवस्था करनेसे काफी उत्पादन बढ़ाना संभव है और तदनुसार आय भी बढ़ती है। इस योजनामें औजारों आदिकी घिसाई, दुरस्ती और पशुओंके न रहने या बदलनेके लिए धनकी व्यवस्था रखनेसे किसी वर्षमें भी किसानको अतिरिक्त व्ययकी चिंता नहीं करनी पड़ती है।

---

